खण्ड-109, अंक-5
गुरूवार, 27 भाद्रपद, शक संवत् 1874
(18 सितम्बर, 1952 ई0)

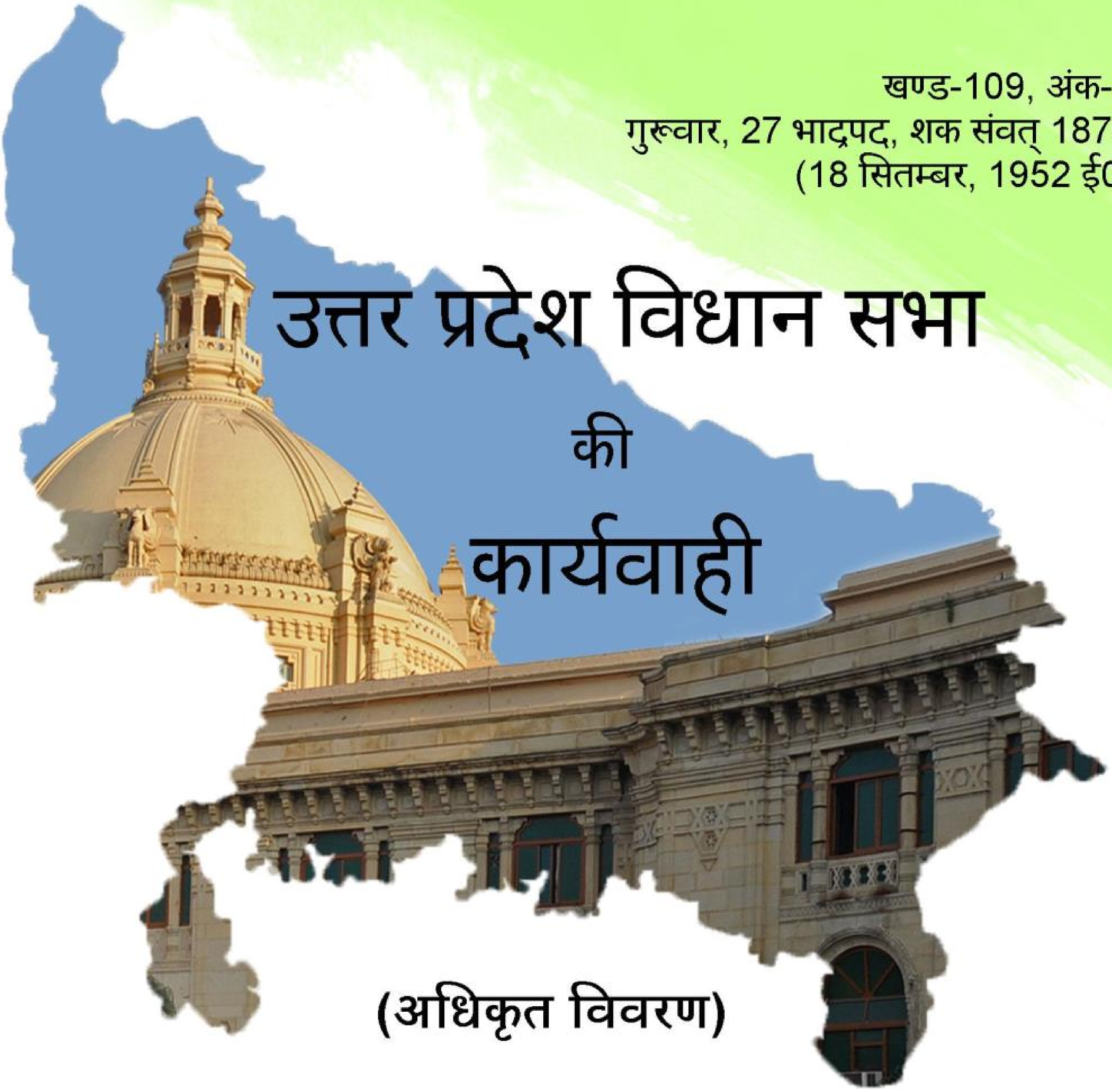

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 109 में 6 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहबाद , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५२

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार, १८ सितम्बर, १९५२

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३५६)

अक्षयवर सिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अतहर हुसैन ख़्वाजा, श्री
अनन्तस्वरूप सिंह, श्री
अब्दुल मुईज खां, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधशरण वर्मा, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतजा हुसैन, श्री
इसराहल हक़, श्री
इस्तफ़ा हुसैन, श्री
उमाशकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उल्फ़त सिंह चौहान निर्भय, श्री
ऐजाज रसूल, श्री
ओंकार सिंह, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमाल अहमद रिजवी, श्री
करन सिंह, श्री
कल्याण राय, श्री
कामता प्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण टण्डन, श्री
काशीप्रसाद पाण्डेय, श्री
किन्दरलाल, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केदारनाथ, श्री
केवल सिंह, श्री
केशव पाण्डेय, श्री
कैलाश प्रकाश, श्री
खुशीराम, श्री
खूब सिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद पाण्डेय, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरुप्रसाद पाण्डेय, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गुलजार, श्री
गेंदा सिंह, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गोविन्द वल्लभ पन्त, श्री
गौरीराम, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रपाल वाजपेयी, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चरण सिंह, श्री
चित्तर सिंह निरञ्जन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री

छेदालाल, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगन प्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथबख्श दास, श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगपति सिंह, श्री
जगमोहन सिंह नेगी, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जवाहर लाल, श्री
जवाहर लाल रोहतगी, डाक्टर
जुगल किशोर, श्री
जोरावर वर्मा, श्री
ज्वालाप्रसाद सिन्हा, श्री
झारखण्डे राय, श्री
टीकाराम श्री
डल्लाराम, श्री
डालचन्द, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तुलसीराम, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेजबहादुर , श्री
तेजा सिंह, श्री
त्रिलोकी नाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवमूर्तिराम, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र प्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारका प्रसाद मौर्य, श्री
द्वारिका प्रसाद पाण्डेय, श्री
धर्म सिंह, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नत्थू सिंह, श्री
नन्दकुमार देव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नवलकिशोर , श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायणदास, श्री
नारायणदीन, श्री
निरंजन सिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपाल सिंह, श्री
नौरंगलाल, श्री
पद्मनाथ सिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरी राम, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पहलवान सिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिन विहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपाल सिंह, श्री
प्रभाकर शुक्ल, श्री
प्रभुदयाल, श्री
फ़ज़लुल हक़, श्री
फ़तेह सिंह राणा, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बलदेव सिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवीर सिंह, श्री
बलभद्रप्रसाद शुक्ल, श्री
बलवन्त सिंह, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूराम गुप्त, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बाबूलाल मीतल, श्री
विशम्भर सिंह, श्री
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बेनी सिंह, श्री
बैजनाथ प्रसाद सिंह, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीदीन तिवारी, श्री
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबंकी)
भगवानदीन मिश्र, श्री
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भगवानसहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भुवरजी, श्री
भूपाल सिंह खाती, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोला सिंह यादव, श्री
मक़सूद आलम खां, श्री
मंगला प्रसाद, श्री
मथुरा प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मथुरा प्रसाद पाण्डेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मलखान सिंह, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महाराज सिंह, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीर प्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
मान्धाता सिंह, श्री
मिजाजीलाल, श्री
मिहरबान सिंह, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक़अली खां, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ़, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री
मुहम्मद तक़ी हादी, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद मञ्जूरुल नबी, श्री
मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहन सिंह शाक्य, श्री
यमुना सिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुराज सिंह, श्री
रघुवीर सिंह, श्री
रणञ्जय सिंह, श्री
रतन लाल जैन, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेशवर्मा, श्री
राघवेन्द्र प्रताप सिंह, राजा
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजराम शर्मा, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअधीन सिंह यादव, श्री
रामअनन्त पाण्डेय, श्री
रामअवध सिंह, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचरन लाल गंगवार, श्री
रामजी लाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनाथ तिवारी, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामप्रसाद सिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रायलखन मिश्र, श्री

रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामशंकर रविवासी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पाण्डेय, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप श्री,
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेत सिंह, श्री
रामेश्वर प्रसाद, श्री
लक्ष्मण दत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मण राव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लताफ़त हुसैन, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालबहादुर सिंह काश्यप, श्री
लीलाधर अष्ठान, श्री
लुत्फ़ अली खां, श्री
लेखराज सिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वशीधर मिश्र, श्री
वसी नक़वी, श्री
वासुदेव प्रसाद मिश्र, श्री
विचित्र नारायण शर्मा, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्वनाथ सिंह गौतम, श्री
विश्वम्भरनाथ पांडेय, श्री
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रनाथ मिश्र, श्री
वीरेन्द्रपति यादव, श्री
वीरेन्द्र शाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासीलाल, श्री
व्रजविहारी मिश्र, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवदान सिंह, श्री
शिवनाथ काटजू, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराम पाण्डेय, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिववचन राव, श्री
शिवशरण लाल श्रीवास्तव, श्री
शिवस्वरूप सिंह, श्री
शुकदेव प्रसाद, श्री
शुगनचन्द, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्रीचन्द, श्री
श्रीनाथ भार्गव, श्री
श्रीनाथ राम, श्री
श्रीनिवास, श्री
श्रीपति सहाय, श्री
सईद जहां मखफ़ी शेरवानी, श्रीमती
सच्चिदानन्द नाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जन देवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायण दत्त, श्री
सत्य सिंह राणा, श्री
सत्यानन्द, श्री
संग्राम सिंह, श्री
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सावित्री देवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दरलाल, श्री
सुरुजूराम, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सूर्य्यप्रसाद अवस्थी, श्री

सेवाराम, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हमीद खां, श्री
हरखयाल सिंह, श्री
हरगोविन्द पन्त, श्री
हरगोविन्द सिंह, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र वाजपेयी, श्री
हरिसिंह, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुना, श्री

सदस्य का शपथ ग्रहण करना

निम्नलिखित सदस्य ने शपथ ग्रहण की
श्री मजखान सिंह ।

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

प्रश्नोत्तर

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

ग्राम दहलवा (प्रतापगढ़) के महादेव, सरजू तथा सीताराम का पीटा जाना

*१—**श्री राम किंकर** (ज़िला प्रतापगढ़)—क्या यह सच है कि प्रतापगढ़ में चनुआडीह (दहलवा) में महादेव, सरजू अहीर के डाका के गिरोह के पांच व्यक्तियों के नाम बतलाने पर भी कंधई के दारोग़ा ने डाका केस नहीं लिखा और न उसकी कोई जांच ही की ?

गृह मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—जी नहीं, २९,३० अप्रैल सन् १९५२ की रात को लगभग १२ व्यक्तियों ने महादेव, सरजू और उसके भाई सीताराम को मारा, जिसकी लिखित रिपोर्ट ३०—४—५२ को सीताराम ने खुद जाकर थाने में दी। उसमें डाके या लूट का बिलकुल जिक्र नहीं था। इसी रपोर्ट के आधार पर धारा १४७/३०८ आई० पी० सी० की रिपोर्ट थाने में दर्ज की गयी।

श्री राम किंकर—क्या माननीय गृह मंत्री कृपा करके बतलावेंगे कि सीताराम ने जो लिखित रिपोर्ट दी थी उस पर उसने अगूंठे का निशान लगाया था और वह दरख्वास्त दूसरे आदमी ने लिखी थी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—वह उसी के गांव के जगनू कुर्मी ने लिखी थी और उस पर सीताराम के अंगूठे का निशान था।

श्री राम किंकर—क्या माननीय गृह मंत्री बतलावेंगे कि उस मारपीट का अभिप्राय क्या लूट जायदाद के छीनने या बदला चुकाने का था ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—अभिप्राय तो वही बतला सकते हैं जो मारने या लूट मार करने गये थे, मैं उसके बारे में क्या बतला सकता हूं।

श्री राम किंकर—क्या माननीय गृह मंत्री जी बतलावेंगे कि थाने में लिखित रिपोर्ट भी ली जाती है और रोज़नामचे पर भी लिखी जाती है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जब उसको लिखित रिपोर्ट सुनाई गयी और उसने कहा कि ठीक है तभी वह रिपोर्ट लिखी गयी और उसके मुताबिक कार्यवाही हुई।

*२—**श्री राम किंकर**—क्या यह सही है कि उपरोक्त नामज़द पांच व्यक्तियों के आतंक के कारण महादेव और सरजू ने अपने परिवार सहित प्रतापगढ़ ज़िले में स्थित घर द्वार छोड़ कर सुल्तानपुर ज़िले में शरण ली है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—दहलवा पनदरी गांव में ५ घर का एक पुरवा है। घटना के बाद महादेव आदि ने अपने बाल बच्चों को वहां से दो फर्लांग पर स्थित सुल्तानपुर ज़िले की हद के अन्दर एक गांव गुथवा में अपने किसी संबंधी के यहां भेज दिया है। दिन भर यह लोग दहलवा में अपना काम करते हैं और रात में गुथवा चले जाते हैं।

विधान सभा सचिवालय का पुनर्संघठन

*३—**श्री भगवान सहाय** (ज़िला शाहजहांपुर)—क्या न्याय मंत्री कृपया बतायेंगे कि विधान सभा सचिवालय के पुनर्संगठन के संबंध में कोई प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब से ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जी हां। विधान सभा और विधान परिषद् सेक्रेटेरियटों के पुनर्संगठन का मामला कुछ अर्से से सरकार के विचाराधीन है।

श्री भगवान सहाय--क्या माननीय मंत्री कृपा कर के बतलावेंगे कि विधान सभा सचिवालय की ओर से पुनर्संगठन के लिये क्या क्या प्रस्ताव सरकार को भेजे गये और उस संबंध में क्या कार्यवाही हुई ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--प्रस्ताव बहुत से हैं, लम्बे लम्बे नोट हैं, और उनके पढ़ने में बहुत समय लग जायगा।

श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)--क्या सरकार मेहरबानी करके बतलावेगी कि स्टाफ़ की कमी होने की वजह से जो आजकल मेम्बरों को रुपया पैसा दिया जाता है उसके भुगतान में दिक्क़त होती है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--कोई खास शिकायत तो नहीं है और हालांकि अभी पूरे प्रस्ताव पर अमल नहीं हुआ है फिर भी थोड़ा सा स्टाफ़ बढ़ाया गया है ताकि ज्यादा दिक्क़त न हो।

श्री रामकुमार शास्त्री--क्या सरकार को मालूम है कि सवाल बहुत ज्यादा बढ़ गये हैं उनके लिये टाइम नहीं मिल रहा है, इसके लिये सरकार क्या प्रबंध कर रही है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--मेरा खयाल है सवालों से मतलब प्रश्नों के उत्तर से होगा। मेरे पास इस बात की कोई शिकायत नहीं है कि उत्तर ठीक तरह से नहीं मिल रहे ह।

श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा)--क्या माननीय मंत्री जी को यह मालूम है कि सवालों के लिये जो स्टाफ़ रखा गया है वह बहुत कम है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जी नहीं, इसकी कोई सूचना नहीं है।

मेरठ व मुजफ्फरनगर के पश्चिमी भागों में अत्यधिक वर्षा के कारण हानि

*४--श्री श्रीचन्द (जिला मुज़फ़्फ़रनगर)--क्या सरकार को ज्ञात है कि मेरठ व मुज़फ़्फ़रनगर के पश्चिमी भागों में (जमुना के निकट) में अत्याधिक वर्षा के कारण अधिक घर गिर गये हैं और अनेक गांवों की फ़सलें नष्ट हो गयी हैं ?

माल मंत्री (श्री चरण सिंह)--सरकार को यह मालूम है कि मेरठ ज़िले के कुछ हिस्सों में बहुत सख़्त बारिश की वजह से काफ़ी तादाद में और कई गांवों के घर गिर गये और फ़सलों को नुक़सान हुआ। मुज़फ़्फ़रनगर ज़िले के मुताल्लिक़ कोई इत्तिला नहीं है।

श्री श्रीचन्द--क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि मुज़फ़्फ़रनगर में जहां जहां वर्षा के कारण क्षति पहुंची है उनके बारे में सरकार कोई जांच करायेगी ?

श्री चरण सिंह--मुज़फ़्फ़रनगर के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने गवर्नमेंट को कोई इत्तिला नहीं दी इससे ज़ाहिर होता है कि वहां पर ऐसा कोई ज्यादा नुक़सान नहीं हुआ कि गवर्नमेंट को रिपोर्ट करते। अगर माननीय सदस्य के नोटिस में ऐसे कोई गांव हैं तो ज़िला मैजिस्ट्रेट से पूंछ लिया जायगा।

श्री श्रीचन्द--क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि मेरठ ज़िले के किन किन ग्रामों में वर्षा से क्षति पहुंची है ?

श्री चरण सिंह—गांवों की पूरी फेहरिस्त मेरे पास नहीं है लेकिन तहसील बागपत के ८० गांव, सरगनी तहसील के १० गांव, और गाजियाबाद तहसील के २० गांवों को क्षति पहुंची है ।

*५—श्री श्रीचन्द—यदि हां, तो क्या सरकार इस ओर शीघ्र प्रबंध करने की कृपा करेगी ?

श्री चरण सिंह—सरकार उन इलाकों में जहां पानी भर गया था पानी का निकास ठीक कराने के लिये मुहक्मा आबपाशी के चीफ इंजीनियर को हुक्म दे रही है । कलेक्टर ज़िला ने उन इलाकों में पब्लिक की माली इमदाद से मुसीबतज़दा लोगों को मदद देने का इन्तज़ाम किया है । सरकार ६००० रु० मदद के लिये अब तक दे चुकी है और ४००० रु० के लिये हुकुम जारी हो रहा है । फ़सल का पूरा नुक़सान मालूम होने पर मालगुजारी में माफी या मुलतवी के मामले पर ग़ौर किया जायगा। इस इलाके के पानी का निकास मुस्तक़िल तौर पर दुरुस्त करने के लिये कार्यवाही जल्द से जल्द की जायगी।

श्री तेजा सिंह (ज़िला मेरठ)—जिन ग्रामों में वर्षा की वजह से नुक़सान हुआ है क्या सरकार उन ग्रामों में तकावी और बीज के लिये रुपया देगी ?

श्री चरण सिंह—रबी के बीज के लिये १ लाख रुपया ज़िलाधीश को दिया गया है, मकान बनाने के लिये सामान खरीदने के लिये ५० हज़ार और १० हज़ार रुपया बहुत ग़रीबों को ग्रेटुटस रिलीफ़ के लिये दिया गया है ।

*६—श्री दीनदयालु शास्त्री (ज़िला सहारनपुर) (अनुपस्थित)—[देखिये आगे पृष्ठ ३८५ पर]

उत्तर प्रदेशीय अध्यापक मंडल की मागों की पूर्ति

*७—श्री गंगाधर शर्मा (ज़िला सीतापुर)—क्या सरकार को ज्ञात है कि उत्तर प्रदेशीय अध्यापक मंडल ने डिस्ट्रिक्ट बोर्डों तथा उत्तर प्रदेशीय सरकार की उपेक्षित नीति से विक्षुब्ध हो अपनी मांगों की पूर्ति के लिये ता० १० सितम्बर, सन् १९५२ ई० को विधान सभा भवन तथा लखनऊ शहर में राज्य के प्रत्येक ज़िले के अध्यापकों का विराट प्रदर्शन करने का आयोजन किया है ?

शिक्षा मंत्री के सभा सचिव (डाक्टर सीताराम)—अध्यापक मण्डल ने हड़ताल करने का विचार अब छोड़ दिया है ।

श्री गंगाधर शर्मा—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि अध्यापकों ने हड़ताल और प्रदर्शन करना क्यों शुरू किया ?

डाक्टर सीताराम—इसका उत्तर तो अध्यापक मंडल ही दे सकता है।

*८—श्री गंगाधर शर्मा—यदि हां, तो उसकी मांगों की पूर्ति के संबंध में सरकार क्या करने जा रही है ?

डाक्टर सीताराम—मामला विचाराधीन है ।

श्री गंगाधर शर्मा—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जो मामला विचाराधीन है उसका संतोषजनक निर्णय कब तक हो जायगा ?

शिक्षा मंत्री (श्री हरगोविन्द सिंह)—इसका उत्तर मुश्किल है, इस पर विचार किया जा रहा है ।

श्री गंगाधर शर्मा—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि १९४९ में भी अध्यापकों ने ऐसे ही प्रदर्शन की घोषणा की थी और उस समय उनको जो आश्वासन दिया गया था उसकी पूर्ति नहीं हुई ?

श्री हरगोविन्द सिंह—इसकी सूचना चाहिये ।

तारांकित प्रश्न

सौड़लेख शिल्पकार कालोनी (अल्मोड़ा) के लिए सुविधायें

*१—श्री खुशीराम (जिला अल्मोड़ा)—क्या यह सच है कि जिला अल्मोड़ा, तहसील पिथौरागढ़ के सौड़लेख शिल्पकार कालोनी में प्रत्येक शिल्पकार कुटुम्ब को ४० नाली या दो दो एकड़ भूमि दी गयी या देने का निश्चय हुआ है ?

वन उप-मंत्री (श्री जगमोहन सिंह नेगी)—जी हां । सौड़लेख कालोनी में दो दो एकड़ भूमि के टुकड़े ४४ शिल्पकार कुटुम्बों को दिये गये हैं ।

श्री खुशीराम—क्या माननीय मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि यह जो ४४ कुटुम्ब को दो दो एकड़ भूमि दिये जाने की बात कही गयी है वह उनके पास पहुंची है या नहीं ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—जी हां, पहुंच गयी है ।

*२—श्री खुशी राम—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस शिल्पकार कालोनी को आबाद करने वाले शिल्पकारों को सरकार की तरफ से इस कालोनी में जंगली जानवरों द्वारा नुक्सान से बचाने अथवा उनके जल कष्ट निवारणार्थ क्या क्या सुविधायें दी गयी हैं ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—जंगली जानवरों द्वारा नुक्सान से बचने के लिये इस कालोनी में बसे हुये शिल्पकारों को बन्दूक के लाइसेन्स दिये जा रहे हैं । जिला नियोजन अधिकारी दीवार या लोहे के ताट के घेर बनाने वाले हैं । जल प्राप्ति की सुविधा देने की योजना जिला बोर्ड के विचाराधीन है ।

श्री खुशी राम—यह जो बन्दूक वग़ैरह की सुविधा उनको दी जा रही है उनके लाइसेंस कब तक उनके पास पहुंच जायेंगे ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—बन्दूकों के लाइसेंस दिये जा चुके हैं । इस वक्त यही एक प्रार्थनापत्र आया था जिसके लिये लाइसेंस दिया जा चुका है ।

श्री खुशी राम—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि यह जल कष्ट निवारण के लिये जो प्रबंध किया जा रहा है, वह कब तक हो जायगा ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—यह तो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को लिखा गया है और यह उनके विचाराधीन है ।

सुपीरियर तथा इन्फीरियर फारेस्ट सर्विस में हरिजनों का चुनाव

*३—श्री पुत्तूलाल (जिला आगरा)—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि पिछले पांच साल के अन्दर सुपीरियर फ़ारेस्ट सर्विस के लिये कितने व्यक्ति चुने गये और उनमें से कुल कितने व्यक्ति हरिजन वर्ग से लिये गये ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—कुल ३५ व्यक्ति चुने गये और उनमें एक व्यक्ति हरिजन वर्ग का था ?

*४—श्री पुत्तू लाल—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि पिछले पांच वर्षों में इन्फ़ीरियर फ़ारेस्ट सर्विस (रेंजर्स) के लिये कितने व्यक्ति चुने गये और उनमें से कितने व्यक्ति हरिजन वर्ग से लिये गये ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—कुल ५१ व्यक्ति चुने गये और उनमें ३ व्यक्ति हरिजन वर्ग के थे।

आगरे की दरी और फर्शों के व्यवसाय में मंदी

*५—श्री रमेश वर्मा (जिला आगरा)—क्या उद्योग मंत्री को यह विदित है कि देश विभाजन के बाद आगरे का दरी और फ़र्श का घरेलू उद्योग क्षीण होता जा रहा है ?

उद्योग मंत्री (श्री हुकुम सिंह)—जी हां, इस उद्योग में इधर कुछ समय से कमी हो गयी है।

*६—श्री रमेश वर्मा—इस व्यवसाय की उन्नति के लिये क्या सरकार ने कोई व्यवस्था की है ?

श्री हुकुम सिंह—दरी और फ़र्शों के व्यवसाय में मंदी है लेकिन वहां के कारीगरों ने इस संबंध में कोई सहायता नहीं मांगी। सम्भवतः यह मंदी सामयिक हो इसलिये सरकार को कोई व्यवस्था करने की आवश्यकता नहीं प्रतीत हुई।

श्री रमेश वर्मा—क्या माननीय उद्योग मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इस व्यवसाय की सामयिक अथवा अस्थायी मंदी के कारणों के अनुसंधान करने तथा उसके निवारण करने के लिये सरकारी तौर पर अब तक कोई चेष्टा की गयी है ?

श्री हुकुम सिंह—न तो किसी ने कोई दरख्वास्त दी और न सरकार ने इसकी कोई जरूरत ही समझी।

श्री रमेश वर्मा—क्या गवर्नमेंट इस व्यवसाय का स्तर ऊंचा करने के लिये क्वालिटी अंकित योजना और टेक्निकल औद्योगिक शिक्षा की स्थापना आगरे में कर रही है ?

श्री हुकुम सिंह—इस वक्त तो कोई जरूरत महसूस होती नहीं है।

*७—श्री नागेश्वर द्विवेदी (जिला जौनपुर)—[९ अक्तूबर, १९५२, के लिये स्थगित किया गया।]

अस्थायी जुडिशियल अफसरों को स्थायी बनाना

*८—श्री राम अधार तिवारी (जिला प्रतापगढ़)—क्या मुख्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इस समय माल व फ़ौजदारी के मुक़द्दमों का निर्णय करने के लिये कितने जुडिशियल अफ़सर काम कर रहे हैं और उसमें कितने स्थायी हैं और कितने अस्थायी हैं ?

मुख्य मंत्री (श्री गोविन्द बल्लभ पन्त)—जुडीशल अफ़सरों की वर्तमान संख्या १७३ है जिसमें से ६० स्थायी तथा ११३ अस्थायी हैं।

श्री राम अधार तिवारी---क्या सरकार यह कृपा करके बतलायेगी कि जिन जुडिशियल अफ़सरों को नियुक्त किया गया है वह सब पब्लिक सर्विस कमीशन से सेलेक्ट किये गये हैं ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त---वह किस तरीके पर नियुक्त किये गये हैं इसका ब्योरा इस भवन में कई दफा दिया जा चुका है ।

*९---श्री राम अधारतिवारी---क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अस्थायी जुडिशियल अफ़सरों को कब तक स्थायी बनाया जा सकेगा ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त---जमींदारी उन्मूलन तथा भूमिसुधार कानून १९५० के भली प्रकार कार्यान्वित होने पर जुडीशल अफसरों द्वारा निर्णय किये जाने वाले माल के मुक़द्दमों की साधारणतः क्या स्थिति होगी और उनमें फैसला देने के लिये कितने जुडीशल अफसरों की आवश्यकता होगी इन बातों पर पूर्णरूप से विचार करने पर ही अस्थाई जुडीशल अफसरों के स्थायी करने के प्रश्न पर सरकार विचार कर सकेगी ।

कैंधा, जिला कानपुर की सरकारी टैनरी का चालू किया जाना

१०---श्री मुरलीधरकुरील (ज़िला कानपुर)---क्या उद्योग मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि ग्राम माडल टैनरी कैंधा ज़िला कानपुर की स्थापना, बिल्डिग व मशीन आदि में कुल अब तक कितना रुपया खर्च हुआ है और मशीनों को मंगाये कितने दिन हो गये हैं ?

श्री हुकुम सिंह---कैंधा, ज़िला कानपुर में सरकार द्वारा खोली गयी टैनरी की बिल्डिग में लगभग १६,००० रुपया तथा मशीनों में लगभग १५,००० रुपया व्यय हुआ है । मशीनों को मंगाए हुये लगभग ढाई वर्ष हो गये हैं ।

*११---श्री मुरलीधर कुरील---क्या उद्योग मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि उक्त टैनरी में मशीनों द्वारा कार्य प्रारम्भ किया गया है ? यदि नहीं तो क्यों नहीं ?

श्री हुकुम सिंह---उक्त टैनरी में मशीनों द्वारा कार्य आरम्भ हो गया है ।

श्री मुरलीधर कुरील---यह मशीनें कब चालू की गयीं ?

श्री हुकुम सिंह---थोड़ा अरसा हुआ जब से यह चालू की गयी हैं ।

श्री भगवान सहाय---क्या माननीय मंत्री जी यह बतलायेंगे कि जब यह मशीन ढाई वर्ष से आई थी तो अब तक क्यों नहीं चालू की गयीं ?

श्री हुकुम सिंह---इमारत मुकम्मल नहीं हुई थी ।

शुगर मिलों से सेस (cess) राजकीय कर की वसूली

*१२---श्री भगवती प्रसाद शुक्ल (ज़िला बाराबंकी)---क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि राज्य के किन किन शुगर मिल्स के ज़िम्मे कितना कितना राजकीय कर (cess) अभी तक शेष है ?

श्री हुकुम सिंह---इसका विवरण संलग्न तालिका में दिया गया है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ.... १३९ .....पर)

श्री भगवती प्रसाद शुक्ल (बाराबंकी)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि लगभग ४ करोड़ रुपये का जो बकाया है वह किन असाधारण कारणों की वजह से है ?

श्री हुकुम सिंह---शकर न बिकने के कारण।

श्री नेक राम शर्मा (जिला अलीगढ़)---क्या यह सही है कि सरकार ने अपना नियत कोटा मिलों से नहीं उठाया है इसलिये वह इतना रुपया नहीं प्राप्त कर सकी है ?

श्री हुकुम सिंह---ऐसा तो मुझ नहीं मालूम होता ।

श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)---क्या माननीय उद्योग मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि अगला सीजन शुरू होने के पहले यह रक़म किसानों को मिल जायगी ?

श्री हुकुम सिंह---यह बहुत सी वजूहात पर मुनहसिर है ।

*१३-**श्री भगवती प्रसाद शुक्ल** (बाराबंकी)---क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि उपरोक्त कर की वसूली के लिये उसने क्या उपाय किया है ?

श्री हुकुम सिंह---उपरोक्त कर की वसूली का उत्तरदायित्व जिलाधीशों पर है और संबंधित जिलाधीशों को आदेश दिया गया है कि वे इसकी वसूली का पूरा प्रयत्न करें ।

श्री भगवती प्रसाद शुक्ल (बाराबंकी)---इस धन की वसूली के कौन से तरीक़े सरकार ने नियत किये हैं ?

श्री हुकुम सिंह---तरीका तो निश्चित नहीं है लेकिन सरकार तो जल्द-अज़ जल्द वसूल करना चाहती है ।

मोदीनगर में शरणार्थियों को बसाने के लिये कर्ज दिया गया धन

*१४-**श्री तेजा सिंह**---क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि सरकार ने १५ लाख रु० मोदीनगर में शरणार्थियों को बसाने के लिये मोदी नगर के मालिक को क़र्ज़ दिया है ?

श्री हुकुम सिंह---जी हां, कुल ३५ लाख रुपया ऋण के वायदे के अनुसार, केवल ३० लाख रु० दिया गया है ।

श्री तेजा सिंह---क्य माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि गोविन्द-पुरी में कितने मकान, दूकानें और कारखानों की इमारतें तैयार हो चुकी हैं और उनमें कितने शरणार्थियों के परिवार आबाद किये गये हैं ?

श्री हुकुम सिंह---इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुना (जिला इलाहाबाद)---क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि जो रुपया मोदी साहब को दिया गया उस रुपये का बड़ा हिस्सा उनकी टेक्सटा-इल मिल के बनाने में लगाया गया ?

श्री हुकुम सिंह---ऐसी इत्तला तो सरकार को नहीं है ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुना---क्या सरकार इस बात की जांच करेगी कि जो रुपया इन क्वार्टर्स को बनाने के लिये दिया गया उसको मोदी साहब ने अपनी टेक्सटाइल मिल्स के बनाने में खर्च किया ?

श्री हुकुम सिंह---जैसा कि मैंने कहा सरकार को इसकी इत्तला नहीं है । जब शक होगा या खबर मिलेगी तो जरूर जांच करवाऊंगा ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुना--क्या सरकार को यह मालूम है कि इन क्वार्टर्स को बनाने में देर महज इसलिये हुई कि जो रुपया सरकार ने मोदी साहब को दिया था उस रुपये को वह दूसरी जगह फंसाये हुये थे ?

श्री हुकुम सिंह--नहीं ।

*१५-**श्री तेजा सिंह**--क्या सरकार को यह मालूम है कि वहां पर बजाय शरणार्थियों के मोदी मिल्स के काम करने वाले ही अधिकतर आबाद किये जा रहे हैं जो शरणार्थी नहीं हैं?

श्री हुकुम सिंह--जी नहीं। वहां पर अधिकतर उद्वासित लोग बसाये जा रहे हैं।

श्री बलवन्त सिंह (जिला मुजफ्फरनगर)--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि कितने रजिस्टर्ड शरणार्थी इन क्वार्टर्स में बसाये गये हैं ?

श्री हुकुम सिंह--तादाद बहुत बड़ी है । लेकिन इनकी ठीक तादाद बताने के लिये नोटिस की आवश्यकता है ।

श्री नेक राम शर्मा--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या यह सही है कि कुछ शरणार्थी सरकार ने वहां बसाने के लिये भेजे थे और उनको नहीं बसने दिया गया ?

श्री हुकुम सिंह--नहीं सही है ।

*१६-**श्री मिहरबान सिंह** (जिला इटावा)--[९ अक्तूबर, १९५२ के लिये स्थगित किया गया।]

*१७-१९--**श्री गंगा प्रसाद** (जिला गोंडा)--[३ अक्तूबर, १९५२, के लिये संख्या ५२-५४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

*२०-२१--**श्री राजा राम शर्मा** (जिला बस्ती)--[९ अक्तूबर, १९५२, के लिये स्थगित किये गये।]

*२२-२३--**श्री झारखंडे राय** (जिला आजमगढ़)--[९ अक्तूबर, १९५२, के लिये स्थगित किये गये ।]

जंगलात लगाने के लिये किसानों से ली गई भूमि का प्रतिकर

*२४-**श्री रामजीलाल सहायक** (जिला मेरठ)-क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जो नये जंगलात लगाने के लिये किसानों से जमीन ली जाती है क्या उसका मुआवजा किसानों को दिया जाता है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--जी हां।

श्री रामजीलाल सहायक--क्या सरकार यह बतलाने का कष्ट करेगी कि किसानों को दिया जाने वाला मुआवजा नकदी में होता है या किसी दूसरे रूप में?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--नक़दी में ।

श्री रामजीलाल सहायक-क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि मुआविजा किस प्रकार निश्चित किया जाता है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—लैंड एक्विजीशन ऐक्ट के मुताबिक, जो निर्णय अदालतें देतीं हैं उनके मुताबिक ।

कांच के उद्योग को प्रोत्साहन

*२५—**श्री श्रीनिवास** (ज़िला अलीगढ़)—क्या सरकार कृपा कर बतलायेगी कि कानपुर में स्थित कांच विशेषज्ञ के मुख्य-मुख्य कर्त्तव्य क्या क्या हैं ?

श्री हुकुम सिंह—कांच विशेषज्ञ का मुख्य कार्य प्रदेश के कांच उद्योग की उन्नति करना है ।

श्री शिवकुमार शर्मा (ज़िला बिजनौर)—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि कांच विशेषज्ञ के रखने के बाद में कांच फ़ैक्टरीज की टैक्नीक और यहां के तैयार हुए माल की क्वालिटी में कुछ सुधार हुआ है ?

श्री हुकुम सिंह—अवश्य हुआ है ।

*२६—**श्री श्रीनिवास**—कांच के वास्ते सामान वितरण के संबंध में कांच विशेषज्ञ किस नीति का अनुसरण करते हैं और कितने कारखाने गत ४ वर्षों में सामान न मिलने के कारण बन्द हो गये हैं ?

श्री हुकुम सिंह—कांच के वास्ते सामान वितरण के लिये निम्नलिखित नीति का अनुसरण किया गया है :—

१—एक कारखाने में केवल एक ही बड़ी भट्टी जलाना ।

२—१ जनवरी, १९४६ से प्रथम स्थापित कारखानों को सहायता देना ।

३—नई फ़ैक्टरियों को उन्हीं हालतों में कोयला देना जब वह मौजूदा फ़ैक्टरियों से कोई नये तरह का सामान बनायें ।

लड़ाई के ज़माने में फीरोज़ाबाद में कारखानों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हो गयी जिससें मांग से अधिक उत्पत्ति होने लगी तथा भयकंर कम्पीटीशन होने लगा । इस कारण कई कारखानों को मिला कर एक कारखाना चलाने की नीति चलायी गयी । इस कम्बीनेशन सिस्टम के कारण ४०/५० कारखाने बन्द रहते हैं ।

*२७—**श्री श्रीनिवास**—क्या सरकार को पता है कि अलीगढ़ ज़िले के पुरदिलनगर हसायन, अकबराबाद ग्रामों में स्थित मूंगा व चूड़ी का कुटीर उद्योग काफ़ी दिनों से नष्ट प्रायः सा हो चला है ? सरकार व उसके कांच विशेषज्ञ उसमें काम करने वालों और उस उद्योग को जीवित रखने के लिये क्या प्रयत्न कर रहे हैं ?

श्री हुकुम सिंह—पुरदिलनगर, हसायन, अकबराबाद ग्रामों का चूड़ी आदि का कुटीर उद्योग नष्ट तो नहीं हुआ है । हां, भद्दे प्रकार का माल बनने के कारण उसकी खपत कम है । इस विषय में जांच करवाई जायगी और उसके बाद आवश्यक कार्यवाही की जाएगी ।

श्री शिवकुमार शर्मा—क्या सरकार इस पर प्रकाश डालने की कृपा करेगी कि यह जो कांच के कारखाने बतलाये गये हैं कि घाटे में जा रहे थे जब क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट हुआ है तो क्यों घाटे में जा रहे हैं ?

श्री हुकुम सिंह—माल बहुत और ग्राहक कम ।

श्री नेक राम शर्मा—क्या सरकार को विदित है कि अभी हाल ही में पुरदिल नगर के कुछ सैम्पिल्स कुछ माननीय मंत्री को दिखलाये गये थे ?

श्री हुकुम सिंह—जी हां ।

श्री नेक राम शर्मा—क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि वह जो सैम्पिल्स दिखाये गये थे वह भद्दे थे ?

श्री हुकुम सिंह—कुछ भद्दे जरूर थे ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुना—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि कांच की चूड़ियों और कांच इत्यादि को हमारी प्रदेश की सरकार ने दूसरी चीजों में खपत करवाने के सिलसिले में कोई जांच या कोई तरीका सोचने का कष्ट किया ?

श्री हुकुम सिंह—मैं माननीय सदस्यों से दरख्वास्त करूंगा कि इसमें हमारी कुछ मदद करें ।

श्री नेक राम शर्मा—क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि माननीय मुख्य मंत्री जी को और उद्योग मंत्री को जब वह सैम्पिल्स दिखाये गये तो उन्होंने ऐप्रूव किये थे और सुन्दर बतलाये थे ?

श्री हुकुम सिंह—मेरी दृष्टि में सुन्दर, लेकिन ग्राहकों की दृष्टि में भद्दे ।

*२८-२९—**श्री नारायण दत्त तिवारी** (जिला नैनीताल)—[९ अक्तूबर, १९५२, के लिये स्थगित किये गये ।]

कानपुर में गोविन्दनगर शरणार्थी बस्ती में रोशनी और नल की व्यवस्था

*३०—**श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित** (जिला कानपुर)—क्या उद्योग मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि कानपुर में गोविन्दनगर शरणार्थी बस्ती में कितने शरणार्थी परिवार रहते हैं और कितने क्वार्टरों में रहते हैं ?

श्री हुकुम सिंह—गोविन्दनगर कानपुर में लगभग ३,००० उद्वासितों के परिवार २,६०० क्वार्टरों में तथा कुछ अस्थाई मकानों में रहते हैं ।

श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित—कितने अस्थायी क्वार्टरों में कितने परिवार और रहते हैं ?

श्री हुकुम सिंह—इसके लिये नोटिस की जरूरत है ।

श्री हरदयाल सिंह पिपल (जिला अलीगढ़)—क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर बतलायेंगे कि गोविन्दनगर बस्ती में शरणार्थियों से कुछ किराया लिया जाता है या फ्री लाजिंग में रहते हैं ?

श्री हुकुम सिंह—किराया लिया जाता है, लेकिन जब दें तो ।

*३१—**श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित**—क्या उद्योग मंत्री यह भी बतलाने की कृपा करेंगे कि कुल कितने शरणार्थी क्वार्टरों में रोशनी और नल की व्यवस्था है ?

श्री हुकुम सिंह—उद्वासितों के क्वार्टरों में बिजली की रोशनी और नल की अलग व्यवस्था नहीं है । सड़कों पर रोशनी और पानी का सार्वजनिक प्रबंध किया गया है । कुछ परिवारों ने अपने खर्चे से अपने क्वार्टरों में पानी तथा बिजली की व्यवस्था कर ली है ।

श्री व्रजविहारी मेहरोत्रा (जिला कानपुर)---क्या सरकार को मालूम है कि बिजली और पानी की उचित व्यवस्था न होने के कारण किराये की वसूली ठीक नहीं हो पाती है ?

श्री हुक्म सिंह---जब बिजली थी तब बिजली के चार्जेज नहीं अदा होते थे ।

श्री भगवान सहाय---क्या माननीय मंत्री जी को यह पता है कि २४ सौ क्वार्टर जो वहां हैलेट स्कीम में बने थे और अब जो गोविन्दनगर के नाम से मशहूर हैं उनमें बिजली उसी जमाने में फिट कर दी गयी थी ?

श्री हुक्म सिंह---थोड़े दिन रही, जब बिजली के चार्जेज लोग नहीं देने लगे तब कट गयी ।

श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित---क्या माननीय मंत्री जी जानते हैं कि अब भी उन क्वार्टरों में बिजली लगी हुई है ?

श्री हुक्म सिंह---मैंने कहा कि कुछ लोगों ने अपना इन्तजाम कर लिया है ।

*३२-३४---**श्री सुल्तान आलम खां** (जिला फ़र्रुखाबाद) (अनुपस्थित)---[देखिये आगे पृष्ठ ३८५---३८६ पर]

राज्य से खनिज पदार्थों का निर्यात

*३५---**श्री नेकराम शर्मा**---क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगा कि कौन-कौन से खनिज पदार्थ उत्तर प्रदेश में पाये जाते हैं ?

श्री हुक्म सिंह---उत्तर प्रदेश में कोई खास खनिज पदार्थ नहीं पाये जाते हैं । केवल लाइम स्टोन और जिप्सम कहीं-कहीं खोदा जाता है ।

श्री नेक राम शर्मा---क्या सरकार के पास ऐसी कोई इत्तिलाएं आयी हैं कि अमरीकन एक्सपर्ट्स ने यह बताया है कि तराई के कुछ हिस्सों में पेट्रौल पाने की संभावना है ?

श्री हुक्म सिंह---मैंने बाजारी गप्प सूनी थी, लेकिन मेरे पास कोई सूचना नहीं आयी ।

श्री भगवान सहाय---क्या माननीय मंत्री जी को इस बात का पता है कि ईस्ट इंडिया कम्पनी के जमाने में मिर्जापुर में कोयला निकाला जाता था ?

श्री हुक्म सिंह---वह बड़ा क़दीम जमाना था । तब मैं पैदा ही नहीं हुआ था, इस लिये उस वक्त का हाल नहीं जानता ।

*३६---**श्री नेकराम शर्मा**---क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश में खनिज पदार्थों के खोज के लिए कोई योजना बनायी है ? यदि हां, तो वह क्या है ?

श्री हुक्म सिंह---नहीं । यह कार्य उत्तर प्रदेश में ज्योलोजीकल सर्वे आफ इण्डिया करती है ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुना---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि ज्योलोजिकल सर्वे आफ इंडिया की कोई उनके पास ऐसी रिपोर्ट आयी है जिससे यह ज्ञात हो कि हमारे प्रदेश में खनिज पदार्थों के मिलने की संभावना है ?

श्री हुक्म सिंह---मेर पास कोई इत्तला नहीं है ।

*३७—श्री नेकराम शर्मा—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश से कौन-कौन से पदार्थ और वस्तुएं दूसरे प्रान्तों और विदेशों को जाती हैं ?

श्री हुकुम सिंह—केवल जिप्सम दूसरे प्रान्तों को भेज जाता है ।

श्री नेकराम शर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि कितने रूप में यह जिप्सम दूसरे प्रान्तों को भेजा जाता है ?

श्री हुकुम सिंह—इसके लिये नोटिस की जरूरत है । वह फीगर्स मेरे पास नहीं हैं ।

श्री नेक राम शर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि विदेशों में यह जिप्सम भेजा जाता है ?

श्री हुकुम सिंह—विदेशों के बारे में मैं इस वक्त नहीं कह सकता हूं ।

*३८—श्री झारखंडे राय—[३ अक्तूबर, १९५२, के लिये संख्या ९५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

*३९—श्री चिरंजीलाल जाटव (जिला एटा)—[६ अक्तूबर, १९५२, के लिये संख्या ३० के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

*४०-४२—श्री कृष्णचन्द्र गुप्त (जिला सीतापुर)—[वापस लिये गये ।]

*४३—४५—श्री द्वारिका प्रसाद पांडेय (जिला गोरखपुर)—[९ अक्तूबर, १९५२, के लिये स्थगित किये गये ।]

*४६—श्री पातीराम (जिला फर्रुखाबाद)—[३ अक्तूबर, १९५२, के लिये, संख्या ६३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

यू० पी० हैण्डीक्रैफ्ट विभाग की ग्रेडेड लिस्ट

*४७—श्री रामलखन मिश्र (जिला बस्ती)—क्या उद्योग मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि यू० पी० हैण्डीक्रैफ्ट विभाग मुस्ताक़िल है या नहीं ?

श्री हुकुम सिंह—जी हां, कुछ स्थानों को छोड़कर शेष विभाग स्थाई है ।

*४८—श्री रामलखन मिश्र—यदि हां, तो उक्त विभाग के अधीनस्थ कर्मचारीगण का ग्रेडेड लिस्ट किस आधार पर बना हुआ है ?

श्री हुकुम सिंह—ग्रेडेड लिस्ट कर्मचारियों की सर्विस तथा व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर बनाई जा रही है ।

श्री रामलखन मिश्र—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि मुस्तकिल स्थानों की संख्या कितनी है और किस ग्रेड से प्रारम्भ होते हैं ?

श्री हुकुम सिंह—इसके लिये नोटिस की अवश्यकता है ।

शकर देकर गन्ने की क़ीमत की अदायगी

*४९—श्री नत्थू सिंह (जिला बरेली)—क्या सरकार को यह मालूम है कि काश्तकारों के न चाहने पर भी मिलें गन्ने की कीमत शकर की बोरी देकर देना चाहती हैं जिससे

काश्तकारों को फी बोरी ४ से ८ रु० तक का नुकसान है? यदि हां, तो क्या सरकार इस प्रथा को रोकने का विचार रखती है?

श्री हुकुम सिंह—ऐसी कोई शिकायत सरकार की सूचना में अभी तक नहीं आई है।

श्री नत्थू सिंह—क्या सरकार की आज्ञा के बिना शकर की मिलें काश्तकारों को गन्ने की कीमत में शकर दे सकती हैं?

श्री हुकुम सिंह—अगर दोनों फरीक में रजामंदी है तो ले दे सकती हैं।

श्री शिवकुमार शर्मा—क्या सरकार को मालूम है कि काश्तकार की रजामन्दी के खिलाफ भी उन्हें ८५ रुपये में बोरियां दी जाती हैं और मिल के अन्दर ही वे बोरियां ७९ रुपये में खरीद ली जाती हैं?

श्री हुकुम सिंह—नहीं मालूम।

श्री विश्वनाथ सिंह गौतम (जिला गाजीपुर)—क्या माननीय मंत्री जी इस विषय में जानकारी करने की कोशिश करेंगे?

श्री हुकुम सिंह—जानकारी हासिल करने की कोई जरूरत नहीं मालूम होती, नहीं तो अब तक लोग मेरे पास शिकायत करते।

*५०-५२—**श्री वीरेन्द्र वर्मा**—(जिला मुजफ्फरनगर) (अनुपस्थित)—[देखिये आगे पृष्ठ ३८६—३८८ पर]

*५३-५५—**श्री गेंदा सिंह**, [१९ सितम्बर, १९५२ के लिये संख्या ८७-८९ के अंतर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

मैजिस्ट्रेटों का समय से अपनी अदालत में न आना

*५६—**श्री देवकी नन्दन विभव**—क्या मुख्य मंत्री का ध्यान इस ओर गया है कि बहुत से जिलों में मैजिस्ट्रेट अपनी अदालत में समय से नहीं आते?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त—सरकार ने इस बारे में जरूरी कार्यवाही की है और काफी हिदायतें भेजी हैं। उसके बाद फिर किसी किस्म की शिकायतें नहीं हैं।

श्री देवकी नन्दन विभव—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि मैजिस्ट्रेटों के आने और जाने के समय को लिखने के लिये कोई रजिस्टर रक्खा जाता है, अगर नहीं तो क्या रखने पर वह विचार करेंगे?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त—हिदायत है कि रक्खे जायं।

श्री भगवान सहाय—क्या माननीय मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मैजिस्ट्रेटों के अदालत में आने के लिये कौन से टाइम का प्रयोग किया जाता है?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त—११ बजे से पहले आ जाना चाहिये और ११ बजे से पीछे नहीं।

श्री शिवनाथ काटजू (जिला इलाहाबाद)—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी को ज्ञात है कि अक्सर कचेहरियों में लोगों को मैजिस्ट्रेट साहब का इन्तजार करना पड़ता है और बाद में सूचना मिलती है कि मैजिस्ट्रेट साहब नहीं आयेंगे?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त---कोई खास शिकायत मेरे पास आये तो मैं उसे देखूंगा।

श्री शिवनाथ काटजू---क्या यह सही है कि मैजिस्ट्रेटों को बहुत सा ऊपर का काम करना पड़ता है जिससे वे कचेहरियों का काम ठीक समय से नहीं कर पाते ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त---ऊपर के काम के मानी तो मैं नहीं समझा। मैजिस्ट्रेटों को अपना काम करना होता है, अपना फर्ज उन्हें अदा करना है मुकदमों की सुनवाई के अलावा उनको एक्जिक्यूटिव काम भी करना होता है लेकिन अदालत में हर हालत में उनको ११ बजे पहुंच जाना चाहिये।

आजमगढ़ जिले में कपड़ा बुनने के लिये सरकारी सहायता

*५७---**श्री श्रीनाथ राम** (जिला आजमगढ़)---क्या उद्योग मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ में कपड़ा बुनने के लिये सरकार द्वारा कितनी सहायता किस रूप में दी जाती है ?

श्री हुकुम सिंह---आजमगढ़ जिले में कपड़ा बुनने के लिये सरकार द्वारा दी गई सहायता के भिन्न रूप हैं। मऊ तहसील में कर्घा उन्नति पर व्यय के आंकड़े निम्नलिखित हैं---

	व्यय लगभग	
	गत वर्ष	इस वर्ष जुलाई मास तक
	रु०	रु०
१---राजकीय आदर्श बुनाई विद्यालय, मऊ	१६,२००	५,२३०
२---राजकीय कर्घा वस्त्रोत्पादन केन्द्र आदर्श बुनाई तथा रंगाई व फिनिशिंग के कारखाने	१,६३,५००	३१,२५०
३---केन्द्रीय सहकारी समितियां	८,६००	२,८५०
	१,८६,३००	३९,३३०

उपरोक्त योजानओं के अन्तर्गत राजकीय कर्मचारियों की देख रेख में लगभग ६७९ बुनकरों ने कर्घा वस्त्रोत्पादन के हेतु गत वर्ष में कार्य किया। इन बुनकरों ने लगभग ११,०५, १९२ गज कपड़ा तैयार किया और लगभग ७७,७६२ रुपये बुनाई के रूप में उपार्जित किये। सहकारी समिति के १०,९५९ सदस्यों में ८,१३,००० रुपये का सूत वितरण किया गया। आदर्श रंगाई कारखाने में लगभग २७,९७० पौंड सूत रंगा गया। इस प्रकार से उत्पादन में लगभग ४७ नये नमूने भी चालू किये गये। आदर्श बुनाई विद्यालय में गत वर्ष १८ विद्यार्थियों ने शिक्षा प्राप्त की। इन विद्यार्थियों को ४८२ रुपया छात्रवृत्ति के रूप में दिया गया। एक सहकारी समिति को ५०० रुपया की सबसिडी कर्घा आदि खरीदने के लिये दी गई।

श्री श्रीनाथ राम---क्या सरकार विचार रखती है कि हैंड लूम इंडस्ट्री को प्रोत्साहित करने के लिये मिलों की अपेक्षा धोती तथा साड़ियां तैयार करने के लिये इस उद्योग धंधे को ही महत्व दें ?

श्री हुकुम सिंह---यह तो आल इंडिया प्रश्न है, मेरे लिये राय देना अनुचित है।

श्री श्रीनाथ राम---क्या यह सत्य है कि कपड़ा बनाने के लिये सूत का वितरण इम्पोरटर्स द्वारा होता है जिससे बुनकरों को प्रायः उनकी धांधली के कारण उनको अच्छे किस्म का सूत न मिलने की वजह से अधिक परेशानी उठाना पड़ती है ?

श्री हुकुम सिंह---कुछ परेशानी तो उनको अवश्य है।

श्री झारखंडे राय---क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि आजमगढ़ जिले के कई हजार बुनकर बड़े शहरों में बेकारी की वजह से भाग गये हैं ?

श्री हुकुम सिंह---तादाद बतलाना तो मेरे लिये नामुमकिन है लेकिन भाग जरूर गये होंगे।

जिला रायबरेली में हरे पेड़ काटने के अभियोग

*८५---श्री गुप्तार सिंह (जिला रायबरेली)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला रायबरेली के वन विभाग अधिकारी ने पिछले वर्ष हरे पेड़ काटने के अभियोग में कितने केस पकड़े ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी---जिन पेड़ों का काटना निजी जंगल अधिनियम के अन्तर्गत वर्जित है उनको काटने के अभियोग में पिछले वर्ष ३१ केस पकड़े गये।

श्री गुप्तार सिंह---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जो ३१ केस पकड़े गये ह उनमें क्या कार्यवाही हुई ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी---१० केस पकड़े गये और १८५ रु० दंड दिया गया बाकी २१ केस विचारालय में भेजे गये जिनमें से तीन में प्रमाण न होने से अभियुक्त छोड़ दिये गये आठ केसों में ३८४) दंड लिया गया और १० केस अभी विचाराधीन हैं। यह मैंने आपको ब्यौरा दे दिया है। यह पिछले साल का है। इस साल केवल एक ही केस पकड़ा गया है।

श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़)---क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि सूबे के और जिलों में भी ऐसे केस पकड़े गये हैं ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी---अवश्य पकड़े गये होंगे मगर उनकी सूचना इस वक्त हमारे पास नहीं है।

२५० रुपये से कम वेतन वाले सरकारी कर्मचारियों को अपने जिले से बाहर न भेजने की आज्ञा

*५९---श्री बलवन्त सिंह---क्या सरकार ने कोई ऐसी आज्ञा निकाली है या निकालने का विचार रखती है कि २५० रुपयों से कम वेतन पाने वाले सरकारी कर्मचारियों को अपने घर के जिले से अधिक दूर न भेजा जाय ? यदि नहीं, तो क्या सरकार इस पर विचार करेगी ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी---सरकार ने कोई ऐसी आज्ञा नहीं निकाली है, न सरकार इस संबंध में कोई विचार कर रही है।

श्री बलवन्त सिंह---क्या सरकार को यह मालूम है कि कम तनख्वाह पाने वाले कर्मचारी यदि अपने घरों से दूर रहते हैं तो उनको बहुत असुविधा होती है ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त--अपने घरों में रहने से उनको बहुत असुविधा भी हो सकती है।

श्री श्रीचन्द---क्या माननीय मुख्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि किसी सरकारी कर्मचारी को एक स्थान पर रहने के लिये क्या कुछ समय निर्धारित है ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त---सब जगहों के लिये समय निर्धारित नहीं है। ऊंची खास जगहों के लिये कुछ अन्दाजा रहता है मगर वह भी कोई खास कायदा नहीं है।

मैं यह कहना चाहता था कि इस सवाल का जवाब खत्म होने के बाद दो सेकिंड मैं कुछ कहने के लिये चाहता हूं।

अध्यक्ष---बहुत अच्छा।

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त---मैं सिर्फ यह बात कहना चाहता था कि बलवन्त सिंह जी के सवाल का जो अभी जवाब दिया गया। उनका सवाल ५९ नम्बर पर है और वह यह है कि "क्या सरकार ने कोई ऐसी आज्ञा निकाली है या निकालने का विचार रखती है कि २५० रुपयों से कम वेतन पाने वाले सरकारी कर्मचारियों को अपने घर के जिले से अधिक दूर न भेजा जाय ? यदि नहीं, तो क्या सरकार इस पर विचार करेगी ?" इस तरह का जब आम सवाल पूछा जाता है कि सरकार ने कोई ऐसी आज्ञा निकाली है या नहीं तो सरकार के बहुत से महकमे हैं ७०, ८० के करीब महकमे हैं और उनके नीचे भी बहुत से होते हैं उन सब से पूछना होता है। इस सवाल के जवाब के जमा करने में १००,२०० रुपया तो जरूर खर्च हो गया होगा मुमकिन है इससे भी ज्यादा हुआ हो और समय भी काफी लगता है। इसका सर्फा टैक्स पेयर के ऊपर जाकर पड़ता है। तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब किसी विशेष जगह के बारे में या किसी विशेष अफसर के बारे में सवाल हो तो उसको उतने तक ही सीमित किया जाय तो अच्छा है। जहां तक इस किस्म के सवाल होते हैं तो मजबूरन टैक्सपेयर के इन्टरेस्ट में यह करना पड़ता है कि अगर वह किसी खास जगह के लिये हो तो अच्छा है। नहीं तो उसका इतना खर्चा ज्यादा लगता है कि जिसके अनुपात से जवाब के जमा करने में बहुत औचित्य नहीं रहता है। और इस तरह से वह मतलब भी हल नहीं होता है जिसके लिये वह पूछा गया है। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि सवाल जब इस किस्म का पूछा जाय तो वह स्पेसिफिक पूछा जाय और जनरल न पूछा जाय।

* * * * *

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

हरिद्वार को तहसील बनाना

*७६--श्री दीनदयालु शास्त्री (अनुपस्थित)---क्या यह सच है कि सरकार हरिद्वार को जल्दी ही तहसील बनाने जा रही है ? यदि हां, तो यह निश्चय कब तक अमल में आजायेगा ? और इसकी रूपरेखा क्या होगी ?

श्री चरण सिंह---जी नहीं।

* * * * * *

तारांकित प्रश्न

प्रांतीय रक्षक दल से पृथक् किये गये व्यक्तियों को फिरसे भर्ती में लेना

*३२--श्री सुल्तान आलम खां (अनुपस्थित)---क्या सरकार कृपा कर के बतायेगी कि इस प्रदेश में प्रान्तीय रक्षक दल की कितनी तादाद है और १९५१-५२ में तथा १९५०-५१ में क्या तादाद थी ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त---इस प्रदेश में प्रान्तीय रक्षक दल की तादाद निम्न-लिखित है :

१९५०-५१	१९५१-५२	वर्तमान
६,३८,२९९	५,८४,७२४	६,२८,४५१

*३३---श्री सुल्तान आलम खां (अनुपस्थित)---क्या सरकार ने उनके कर्त्तव्यों में कोई परिवर्तन किया है ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त---जी हां। अब यह दल विशेष रूप से विकास तथा नियोजन संबंधी योजनाओं को सफल बनाने में सहयोग देता है।

*३४---श्री सुल्तान आलम खां (अनुपस्थित)---क्या सरकार प्रान्तीय रक्षक दल के लोगों को जो दल से अलाहिदा किये गये हैं और जो ट्रेण्ड भी हैं फिर किन्हीं जगहों पर रखना चाहती है ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त---अभी रक्षक दल का पुनः संगठन हो रहा है। उसके बाद आवश्यकता पड़ने पर ऐसे व्यक्तियों को फिर से दल में लेने पर विचार होगा।

* * * *

मिल मालिकों पर वाजिब गन्ने की कीमत, गन्ना समितियों के कमीशन व सेस की अदायगी

*५०---श्री वीरेन्द्र वर्मा (अनुपस्थित)---क्या उद्योग मंत्री कृपा कर बतायेंगे कि सन् १९५१-५२ ई० की किस कदर गन्ने की कीमत, गन्ना समितियों का कमीशन व सेस (Cess) अभी तक गन्ना मिल मालिकों पर वाजिब है ?

श्री हुकुम सिंह---सन् १९५१-५२ ई० की गन्ना की कीमत, गन्ना समितियों का कमीशन, व सेस का रुपया जो मिल-मालिकों पर बाकी है वह इस प्रकार है---

गन्ने की कीमत ९७८.५३ लाख रुपया १५ अगस्त, ५२ तक, गन्ना समितियों का कमीशन ६१.३१ लाख रुपया, सेस ३,३६,५५,५२५ लाख रुपया।

श्री गेंदा सिंह---क्या मंत्री जी कृपा कर के बतलावेंगे कि बकाया की रक़म जितनी है उस से कुछ कम या उसके बराबर ही मिलों की कीमत होगी ?

श्री हुकुम सिंह---इस का अन्दाजा करना मेरे लिये नामुमकिन है।

श्री भगवती प्रसाद शुक्ल---(बाराबंकी) क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि काश्तकारों को जो गन्ने का मूल्य नहीं मिला है और उनका जो रुपया फैक्टरियों के पास पड़ा हुआ है क्या सरकार उस पर ब्याज दिलायेगी ?

श्री हुकुम सिंह---ब्याज के संबंध में सरकार ने अभी तक कोई विचार नहीं किया है।

*५१---श्री वीरेन्द्र वर्मा (अनुपस्थित)---उपरोक्त अदायगी के लिये सरकार ने क्या कदम उठाया है अथवा उठाने का इरादा रखती है और कब तक यह मुकम्मिल अदायगी हो जावेगी ?

नोट---तारांकित प्रश्न ५०-५२ श्री भगवान सहाय ने पूछे।

श्री हुकुम सिंह---सरकार भरसक प्रयत्न कर रही है कि जहां तक हो सके उपरोक्त रुपये की अदायगी शीघ्रातिशीघ्र चीनी मिल कर दें। इसके लिये चीनी मिलों पर स्थानीय अफसरों द्वारा पूरा दबाव डाला जा रहा है। इसके अतिरिक्त गन्ना सहकारी समितियों को प्राविंशियल कोआपरेटिव बैंक से गन्ने के मूल्य का गन्ना उत्पादकों को भुगतान कराने के लिये ऋण दिलाने का प्रबन्ध कर दिया गया है। लेकिन कोई निश्चित तिथि जिस तक पूर्ण अदायगी हो जायगी बताना बड़ा कठिन है।

श्री भगवान सहाय---क्या मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि बाकी रुपये की अदायगी के लिये वही तरीके इस्तेमाल किये जायेंगे जो लैंड रेवेन्यू की वसूली में किये जाते हैं ?

श्री हुकुम सिंह---पहले ही कुरकी करना ठीक नहीं है, पहले तो आसानी से कोशिश की जायगी और अगर मजबूरी होगी तो कोअरसिव मेज़र्स भी इस्तेमाल किये जा सकते हैं।

श्री भगवान सहाय---क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर के बतलावेंगे कि वह इस निर्णय पर कब पहुंचेंगे कि कुर्की की जरूरत है ?

श्री हुकुम सिंह---जब जरूरत होगी।

श्री भगवान सहाय---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि गन्ने का रुपया २४ घंटे के अन्दर मिल जाना चाहिये ?

श्री हुकुम सिंह---जिन परिस्थितियों में इस साल गन्ना पेला गया है उसके लिये २४ घंटे की कैद नहीं है।

श्री भगवती प्रसाद शुक्ल (बाराबंकी)---क्या सरकार ने गन्ना विभाग के अधिकारियों को इस किस्म के आदेश दिये हैं या देने पर विचार कर रही है कि गन्ने का मूल्य वे फैक्टरियों के प्लाण्ट्स को अटैच करके वसूल कर लें ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त---इस विषय में बहुत से सवाल पहले भी पूछे गये थे और आज भी पूछे गये हैं तथा उन सवालों पर उप प्रश्न भी पूछे गये हैं। अतः यह मामला ऐसा है कि उस पर अगर पूरा बयान दे दिया जाय तो अच्छा होगा। असल में पिछली सालों में आम-तौर से १६ करोड़ मन से ज्यादा गन्ना नहीं पेला जाता था, लेकिन इस सीजन में करीब-करीब २५ करोड़ मन गन्ना पेला गया। गुड़ की कीमत कम होने से तथा और वजूहात के कारण खेतों में बहुत गन्ना खड़ा था। जो सीजन कि मामूली फैक्टरियों का होता है वह खत्म हो गया था मगर गन्ना बहुत ज्यादा बाकी था। कारखानों से यह कोशिश की गई कि वे उस गन्ने को भी पेल दें नहीं तो गन्ना बरबाद हो जाता और कुछ भी कीमत उसकी न मिलती। इसलिये यह मुनासिब समझा गया कि सब के फायदे के लिये इंतजाम करना चाहिये और वह यह कि इस वक्त यह गन्ना पेल दिया जाय चाहे उसकी कीमत देर में ही क्यों न मिले और गन्ना बाकी न रह जाय। इसलिये रियायत करना जरूरी हुआ चूंकि कारखानों की वर्किंग कैपीटल खत्म हो चुकी थी ऐसी हालत में उनको इस बात के लिये रियायत दी गई। यह कल्टीवेटर्स के लिये मुनासिब समझा गया कि चाहे उनको कीमत देर में मिले यह न हो कि गन्ना जाया चला जाय और कोई भी कीमत मिलने की उम्मीद न रहे। इस तरीके पर करीब ४५ करोड़ रुपये का गन्ना फैक्टरियों में पेला गया जिसमें तीन चौथाई यानी ३३, ३४ करोड़ रुपये के करीब लोगों को मिल चुके हैं। ११ करोड़ रुपये के करीब बाकी है। जो शुगर अब बनी वह और सालों के मुकाबले में बहुत ज्यादा है तथा आज भी बहुत ज्यादा मिकदार में वह कारखानों में पड़ी हुई है। जैसे-जैसे शुगर बिकती जाती है वैसे-वैसे कीमत अदा की जा रही है। यह पहिली अप्रैल के बाद जो गन्ना लिया गया है उसके बारे में है। जो गन्ना बाद को पेला गया उसी की कीमत बाकी है। सरकार की तरफ से बराबर यह कोशिश रही है,

केन कमिश्नर साहब और जिला अहलकारों को यह हिदायतें दी गई हैं कि जितनी जल्दी हो सके इस कीमत को दिलाया जाय। यह भी इंतजाम किया गया है कि जितने कोआपरेटिव बैंक्स वगैरा हैं उनसे जिनको जरूरत है रुपया दिया जाय ताकि उसकी वह जरूरत पूरी हो जाय। इसलिये इन खास वजूहात की वजह से उस वक्त यह रियायत करनी पड़ी लेकिन हमारी यह ख्वाहिश है कि यह रुपया जल्द से जल्द मिले और आमतौर से जब गन्ना लिया जाय तभी कीमत भी दे दी जाय और उसमें देरी न हो।

कुछ यह भी इन्तजाम किया गया है कि जहां कोआपरेटिव बैंक वगैरह हैं उनसे रुपया लिया जाय ताकि जिनको खास जरूरत हो उनको रुपया दे दिया जाय। इसलिये कुछ खास वजूहात की वजह से इस वक्त ये रियायतें करनी पड़ीं। मगर हमारी ख्वाहिश जरूर है कि जल्द यह रुपया मिल जाय और आमतौर पर जब गन्ना दिया जाता है तो उसकी कीमत जल्द अदा हो जाय और उसमें देर न हो।

*५२—**श्री वीरेन्द्र वर्मा** (अनुपस्थित)—क्या कृषि मंत्री कृपा करके बतायेंगे कि डिफर्ड पेमेंट (deferred payment) के संबंध में सरकार की क्या नीति है? क्या डिफर्ड पेमेंट (deferred payment) ३० अप्रैल, सन् १९५२ के बाद की गन्ने की कीमत पर लागू होगा या नहीं? यदि होगा, तो कितना?

श्री हुकुम सिंह—डेफर्ड पेमेंट उस गन्ने पर १२ आने प्रतिमन के हिसाब से लागू किया गया था जो गन्ना मार्च १८, १९५२ को या इसके उपरान्त चीनी मिलों ने सीजन के अन्त तक खरीदा। चूंकि यह विषय केन्द्रीय सरकार के अधीन है, इसलिये इस नीति के विषय पर कोई प्रकाश यहां नहीं डाला जा सकता है।

श्री बलवंत सिंह—क्या सरकार कृपा कर के बतलावेगी कि डिफर्ड पेमेंट का रुपया अगले सीजन से पहले पहले अदा कर दिया जायगा?

श्री हुकुम सिंह—उद्योग तो यही कर रहा हूं।

अतारांकित प्रश्न

झांसी जिले में राजनीतिक पीड़ितों की सहायता

१—**श्री लक्ष्मणराव कदम** (जिला झांसी)—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि उसने झांसी जिले में किन-किन राजनीतिक पीड़ितों को कितनी-कितनी मासिक पेन्शन, मंहगाई तथा अन्य सहायता दी है?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त—सूचना संलग्न सूचियों में देखी जा सकती है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ४४३ पर)

---

१० जुलाई, १९५२ के तारांकित प्रश्न २४ के उत्तर में अभिदिष्ट तालिका का शोधन

उद्योग मंत्री (श्री हुकुम सिंह)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं श्रीमान् की अनुमति से सदन को यह सूचित कर देना चाहता हूं कि सन् १९४८-४९ के गन्ने के मूल्य में कटौती का ब्योरा श्री गेंदा सिंह के १० जुलाई, सन् ५२ के प्रश्न संख्या २४ के संबंध में मैंने

जिस तालिका द्वारा दिया था, वह तालिका अशुद्ध थी। अब शुद्ध तालिका माननीय सदस्य को दे दी जावे जिसे मैं प्रस्तुत कर रहा हूं।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ४४९ पर)

अध्यक्ष--श्री गेंदा सिंह जी, मैं इस तालिका को आपके पास भेज दूंगा। (कुछ समय पश्चात) क्या वह तालिका आपके पास पहुंच गयी है?

श्री गेंदा सिंह--जी हां।

बुलन्दशहर के सत्याग्रह के संबंध में गृह मंत्री के २७ अगस्त, १९५२ के वक्तव्य का शोधन

गृह मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)--अध्यक्ष महोदय, २७ अगस्त को बुलन्दशहर सत्याग्रह के संबंध में जो वक्तव्य मैंने दिया था उसमें गलती से मैंने यह कह दिया था कि २५-२६ को वहां कोई गिरफ्तारी नहीं हुई यद्यपि बाद को कागज देखने से मालूम हुआ कि २६ ता० को वहां गिरफ्तारी हुई। मुझे दुख है कि प्रमाद से मैंने सदन को गलत सूचना दी। इसके साथ ही मैं आपके द्वारा माननीय राजनारायण जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मेरा ध्यान इस गलती की ओर आकृष्ट किया।

१० जुलाई, १९५२ के तारांकित प्रश्न २४ के उत्तर में अभिदिष्ट तालिका का शोधन (क्रमागत)

श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)--क्या माननीय उद्योग मंत्री जी यह कृपा करेंगे कि जो आखिरी मीजान लिस्ट में दिया हुआ है उसको सदन के सामने पढ़ दें?

उद्योग मंत्री (श्री हुकुम सिंह)--१,८२,३४,७३१ रु०। (कुछ रुक कर) १५,०२,३०१ रु० १० आ० ४ पा०।

श्री गेंदा सिंह--स्पष्ट नहीं हुआ। मैं यह चाहता था कि.....

अध्यक्ष--इस वक्त तो प्रश्नोत्तर का सवाल है नहीं। आपने इच्छा प्रकट की, उन्होंने पढ़ कर सुना दिया। अब माननीय सदस्य यदि इसके ऊपर प्रश्न करना चाहते हैं तो बाद में कर सकते हैं।

अनेक विषयों से सम्बद्ध कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

अध्यक्ष--मेरे पास श्री झारखंडे राय ने फिर एक कामरोको प्रस्ताव भेजा है जिसका जिक्र करना मैं उचित नहीं समझता हूं। क्योंकि वह अनिश्चित है और इतने महत्व का भी मालूम नहीं होता है। उसका एक निश्चित विषय से संबंध भी नहीं है। अनेक विषय अनेक जगहों के उन्होंने उसमें पेश किये हैं इन कारणों से मैं इजाजत नहीं देता कि वह सहमति के लिये इसको इस सदन के सामने पेश करें।

उत्तर प्रदेश भूमि व्यवस्था (अनुपूरक) विधेयक, १९५२ *खंड ३ (क्रमागत)

अध्यक्ष--अब उत्तर प्रदेश भूमि व्यवस्था (अनुपूरक) विधेयक, १९५२ ई० पर, जैसा कि वह प्रवर समिति द्वारा संशोधित हुआ है, विचार जारी रहेगा।

---

*१७ सितम्बर, १९५२, की कार्यवाही में छपा है।

श्री सुरेश प्रकाश सिंह (जिला सीतापुर)—अध्यक्ष महोदय, कल मैंने आपकी आज्ञा से जो संशोधन इस भवन में उपस्थित किया था वह इस प्रकार है—

"किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि खातेदार यह साबित कर दे कि उक्त व्यक्ति का उसकी भूमि पर कब्जा गासिबाना था तो ऐसी स्थिति में उक्त व्यक्ति का कब्जा अवैध माना जायगा।"

श्रीमन्, कल मैं अपने संशोधन पर कुछ निवेदन करते हुये यह कह रहा था कि जहां तक मेरे संशोधन का प्रश्न है, माननीय सदस्यों को यह विचार करना है कि इस संशोधन द्वारा जिससे यह प्रयत्न किया जा रहा है कि यदि गासिबाना कब्जा हो तो वह इस विधेयक द्वारा अवैध करार दिया जाय, तो कहीं ऐसा तो नहीं होता है कि उन काश्तकारों को जिनके प्रोटेक्शन के लिये यह विधेयक यहां रखा गया है उससे उनको कुछ नुकसान पहुंचे। मैंने, श्रीमन्, यह भी निवेदन किया था और जैसा कि माननीय राजस्व मंत्री ने कहा कि यदि एक फीसदी गासिबाना कब्जा हुआ हो और उससे ९९ फीसदी काश्तकार जिनको यह विधेयक प्रोटेक्शन देना चाहता है, जिनको यह विधेयक मदद करना चाहता है, अगर उनके रास्ते में कोई रोड़ा अटकाया जाय या उनको कोई ज्यादा कष्ट महसूस हो तो यह उचित नहीं होगा।

अध्यक्ष—सदन में अधिक हलचल हो रही है। मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य शांति कायम रखेंगे।

श्री सुरेश प्रकाश सिंह—श्रीमन्, इस संशोधन पर तो नहीं परन्तु कम से कम गासिबाना कब्जे के प्रश्न पर पहले भी माननीय राजस्व मंत्री ने और कुछ और माननीय सदस्यों ने अपने-अपने विचार प्रकट किये हैं और मैं क्षमा किया जाऊं यदि उन विचारों के आधार पर मैं उनकी आपत्तियों को अपने इस भाषण में ऐन्टीसिपेट करूं। जहां तक गासिबाना कबजे का प्रश्न है माननीय मंत्री और इस भवन के सभी माननीय सदस्य जिन्होंने इस प्रश्न पर विचार प्रकट किये हैं या नहीं किये हैं इससे सहमत हैं कि वह किसी प्रकार भी इस विधेयक द्वारा गासिबाना कब्जे को प्रोत्साहन नहीं देना चाहते और उसको किसी प्रकार वैध नहीं करना चाहते। परन्तु मेरे संशोधन को स्वीकार करने में मैं समझता हूं कि दो आपत्तियां हो सकती हैं। एक तो माननीय राजस्व मंत्री ने कहा कि अगर एक फीसदी के लिये कानून में हम गासिबाना कब्जे को स्पष्ट करना चाहें और उसके द्वारा ९९ फीसदी गरीब किसानों को हानि पहुंचे जिनकी हम कुछ मदद करना चाहते हैं तो उचित न होगा। माननीय राजस्व मंत्री ने यह कहा कि उनका यह विचार है कि ऐसे केसेज जो गासिबाना हों और जिनके खिलाफ १८० या १८३ यू० पी० टेनेंसी ऐक्ट के अन्तर्गत मुकदमे दाखिल हो गये हों वह शायद एक फीसदी होंगे। दूसरे एक संशोधन पर अपने विचार प्रकट करते हुये उन्होंने यह कहा था कि ऐसे वर्बल ऐग्रीमेंट्स जो लिखित न हों बहुत कम होते हैं और शायद ५ फीसदी इस सूबे में हुये हों तो उन ५ फीसदी को भी इस विधेयक से वंचित नहीं रखना चाहिये और इसीलिये एक और संशोधन उन्होंने अस्वीकृत कर दिया था। तो श्रीमन् यह जहां तक ५ फीसदी या १ फीसदी का सवाल है मैं यह निवेदन करूं कि इसमें डिफरेंस आफ ओपीनियन (विचार वैभिन्य) हो सकता है यदि मैं यह कहूं कि ऐसे केसेज जहां रिटेन ऐग्रीमेंट नहीं है बहुत कम होते हैं शायद ५ फीसदी नहीं होते हैं और माननीय मंत्री मेरे अनुरोध पर इसको ५ फीसदी से नीचे लाकर २ फीसदी कम करके ३ फीसदी कर दें और मंत्री जी जो अंक १ फीसदी कहते हैं कि गासिबाना कब्जा शायद एक फीसदी हुआ हो उसमें २ का अंक जोड़ कर ३ फीसदी कर दें। तो आप देखेंगे कि ३ फीसदी हो जाता है। कहने का मतलब यह है कि जब ५ फीसदी ऐसे व्यक्तियों के लिये जिनके वर्बल ऐग्रीमेंट्स हुए हों विधेयक में उनके लिये यह चिन्ता रखी गयी है और माननीय राजस्व मंत्री या सरकार को यह चिन्ता है कि उन ५ फीसदी को कोई नुकसान न पहुंचने पावे तो मैं समझता हूं कि अगर ९९ उन ग़रीब काश्तकारों का कोई नुकसान न हो और एक या दो फीसदी ग़ासिबाना क़ब्ज़ा अवैध करार दिया

जा सके। स्पष्ट रूप से इस विधेयक में तो मैं समझता हूं कि कोई अनुचित बात नहीं होगी। श्रीमन्, जहां तक माननीय राजस्व मंत्री का यह कहना है कि ग़ासिबाना क़ब्ज़ा करीब एक फीसदी के होगा मैं इस अंक का विरोध नहीं करता। हो सकता है डेढ़ हो, आधा हो या तीन हो। परन्तु इतना मैं अवश्य निवेदन करूंगा कि माननीय सदस्यों ने जो असहमति टिप्पणियां प्रवर समिति की रिपोर्ट में दी हैं उनको पढ़ कर ऐसा मालूम होता है कि गासिबाना क़ब्ज़े के प्रश्न पर उन्होंने काफी विचार किया है। वह प्रश्न ऐसा है कि यह कहकर कि शायद एक फीसदी हों, टाला नहीं जा सकता या टालना अनुचित होगा।

श्रीमन्, माननीय बलवन्त सिंह जी ने अपनी असहमति टिप्पणी के अन्त में कहा है "इस क़ानून से ऐसे लोगों को भी हक़ मिल जाता है जिन्होंने १३५९ फ़सली में जबरन क़ब्ज़ा कर लिया है और क़ानून में दावा करने की मियाद बाक़ी रहने से उनकी बेदख़ली नहीं की जा सकी। १३५९ फ़० बहुत ही निकट का साल है। लोग फर्ज़ी भी यह कह सकते हैं कि मेरा क़ब्ज़ा है मगर नाम दर्ज नहीं, ऐसे काबूयाफ्ता लोगों को गांवों में मददगारों और हाकिमों के सामने कहने वालों की क्या कमी। इस क़ानून के पास होने से गांव के जीवन में बेचैनी और बेईमानी बढ़ जाने का भारी खतरा है।"

श्रीमन्, बहुमत दल के एक सदस्य की यह राय है। मेरे दाहिनी ओर बैठे माननीय सदस्यों की जो पार्टी है। उनके तीन सदस्य जो प्रवर समिति में थे वे अपनी असहमति टिप्पणी में कहते हैं, माननीय कमला सिंह, माननीय गेंदा सिंह और माननीय रामसुन्दर पाण्डेय कहते हैं, "कृषकों की भूमि पर १३५९ फ़० में जो जबरदस्ती काबिज हैं उनको तो हक़ दिया जाय।" आगे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। यहां पर माननीय गेंदा सिंह, माननीय कमला सिंह और माननीय रामसुन्दर पांडेय को भी कम से कम इतनी आशंका है कि उन लोगों को हक़ दिया जा रहा है जिनको हक़ नहीं मिलना चाहिये था, या जिनका क़ब्ज़ा जबरदस्ती या ग़ासिबाना था।

श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)—आगे भी पढ़िये।

श्री सुरेश प्रकाश सिंह—मैं पढ़ता हूं। कोई छुपाने की बात नहीं थी। मैं तो..

अध्यक्ष—माननीय सदस्य आपस में बातें न करें।

श्री सुरेश प्रकाश सिंह—मैंने आगे इसलिये नहीं पढ़ा क्योंकि उससे मेरा तात्पर्य नहीं निकलता था। खैर मैं पढ़े देता हूं।

"कृषकों की भूमि पर १३५९ फ़सली में जो जबरदस्ती क़ाबिज़ हैं उनको तो हक़ दिया जाय और उनका क़ब्ज़ा नियमित माना जाय परन्तु ऐसे काश्तकारों का क़ब्ज़ा जो अधिक दिनों से किसी भूमि पर क़ाबिज़ रहे हों और १३५९ फ़सली तक क़ब्ज़ा चला आ रहा हो। उसको हक़ मुक़दमा ख़ारिज होने के कारण न दिया जाय यह ठीक न होगा।"

श्रीमन्, जहां तक यह वाक्य है मुझे कोई विरोध नहीं है। माननीय सदस्य अपने-अपने विचार रख सकते हैं। परन्तु मेरे कहने का मतलब यह था कि माननीय गेंदा सिंह, माननीय कमला सिंह, और माननीय रामसुन्दर पांडेय यह मानते हैं कि इस विधेयक के द्वारा गासिबाना क़ब्ज़ा वैध किया जा रहा है।

माननीय नेता विरोधी दल ने भी गासिबाना क़ब्ज़ा पर अपने कुछ विचार प्रकट किये और खासतौर से एक माननीय सदस्य के प्रश्न करने पर उन्होंने कुछ कहा था। उस पर तो मैं इस समय कुछ अधिक नहीं कहूंगा। इतना अवश्य कहूंगा कि माननीय नेता विरोधी दल आवेश में आकर कभी कहना कुछ चाहते हैं और कह कुछ जाते हैं। जैसा कि मैंने अभी अर्ज़ किया माननीय गेंदा सिंह जी इससे सहमत हैं कि ग़ासिबाना क़ब्ज़े को किसी तरह प्रोत्साहन नहीं मिलना चाहिये। वह इससे सहमत हैं कि ग़ासिबाना क़ब्ज़े को अवैध करार देना चाहिये। किसी तरह से इस बिल के द्वारा उसको प्रोत्साहन नहीं मिलना चाहिये। परन्तु उनकी आपत्ति श्रीमन्, मैं

[श्री सुरेश प्रकाश सिंह]

क्षमा किया जाऊं, एक बिल्ली की आपत्ति के समान है, जो गरम दूध पी कर जल जाने के बाद मट्ठा भी फूंक फूंक कर पीती है। उन्होंने कल सदन को बताया कि भूतपूर्व अनुभव उनको ग़ासिबाना क़ब्ज़े का यह है कि भूतपूर्व जमींदारों ने इस शब्द ग़ासिबाना का फायदा उठा कर न मालूम कितने काश्तकारों पर जुल्म और अत्याचार किया। उन्होंने भी संकेत किया है कि शायद उस अत्याचार के शिकार वह स्वयं बने थे। श्रीमन्, मैं निवेदन करूंगा कि जहां तक ग़ासिबाना कब्ज़े का सवाल है, जहां तक भूतपूर्व जमींदारों के जुल्म का सवाल है, बहुत हद तक मैं उनसे सहमत हो सकता हूं, परन्तु इसके साथ ही साथ मैं निवेदन करूंगा उनसे और माननीय सदस्यों से आप के द्वारा कि वह अब वातावरण नहीं रहा। अब इस तरह के फैसले नहीं होते अब इस तरह के केसेज दायर नहीं किये जाते। अब जमींदार वह जमींदार नहीं रहा। अब उसके हाथ में ताक़त नहीं। अब उससे ताक़त छीनकर जनता को दी गयी है। परन्तु फिर भी श्रीमन् आप की आज्ञा से मैं यू० पी० टेनेंसी ऐक्ट की दफ़ा १८० की कुछ चीजें पढ़ कर सुनाना चाहता हूं जिससे मैं यह साबित करने की कोशिश करूंगा कि बुरा अनुभव होते हुये भी अब इस विधेयक में इस संशोधन के बारे में मैं माननीय गेंदा सिंह जी की यह आपत्ति निर्मूल है। पहले तो श्रीमन्, सेक्शन १८० यू० पी० टेनेंसी ऐक्ट, क्षमा करेंगे मुझे अंग्रेजी में पढ़ना पड़ रहा है क्यों कि मेरे पास यही किताब है।

"A person taking or retaining a possession of land without the consent of the person entitled to occupy such land or plot."

[कोई व्यक्ति जो किसी भूमि का क़ब्ज़ा उस व्यक्ति की सम्मति के बिना लेता है या कायम रखता है, जो ऐसी भूमि या गाटे पर अध्यासीन होने का अधिकारी है।]

तो श्रीमन्, पहले तो यह ट्रेस्पासर की डैफ़िनीशन है। इसके बाद यदि मैं यह पढ़ कर माननीय गेंदा सिंह जी को सुनाऊं कि कौन ऐसे-ऐसे लोग हैं, जो कि ट्रेस्पासर करार दिये जा चुके हैं आनरेबिल कोर्ट द्वारा, तो मुझसे वह सहमत होंगे कि ट्रेस्पासर की परिभाषा केवल एक जमींदार के ऐसे काश्तकार जिसने कि जबरदस्ती क़ब्ज़ा कर लिया हो उसी तक सीमित नहीं रहती। ट्रेस्पासर केवल वही काश्तकार नहीं होता जो कि जमींदार की आराजी पर क़ब्ज़ा कर लेता हो। ट्रेस्पासर कौन-कौन हैं और कौन-कौन करार दिये गये हैं, मैं इस भवन का समय लेते हुये बतलाना चाहता हूं।

अध्यक्ष--आप हिन्दी में उसका खुलासा पढ़ सकते हैं, पहले अंग्रेजी पढ़ कर उसके समझाने की आवश्यकता नहीं मालूम होती।

श्री सुरेश प्रकाश सिंह--ट्रेस्पासर केवल जमींदार की जमीन पर काश्तकार ही नहीं होता। एक कमजोर काश्तकार, एक ग़रीब काश्तकार की जमीन पर जमींदार ट्रेस्पास कर सकता है। एक उससे जोरदार, एक उससे मजबूत और उससे मालदार काश्तकार ट्रेस्पास कर सकता है। दो जमींदार भाइयों की जमीन पर, जिनमें बटवारा न हुआ हो और बाद में हो तो एक भाई दूसरे की जमीन पर ट्रेस्पास कर सकता है। दो खातेदारों का बटवारा न हुआ हो, बाद में किया जाय, तो एक काश्तकार अपने दूसरे साझी की भूमि पर ट्रेस्पासर कर सकता है। और भी बहुत से ऐसे हैं यहां पर जिनको हाई कोर्ट ने और अन्य अदालतों ने ट्रेस्पासर करार दिया है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जब कि इस भवन के माननीय सदस्य मेरे इस संशोधन पर, इस ग़ासिबाना क़ब्ज़े के प्रश्न पर, विचार करें तो उन्हें क़तई यह नहीं समझना चाहिये कि यदि यह संशोधन स्वीकार होता है तो इस विधेयक द्वारा केवल जमींदारों को ही जमीन मिलेगी, जिनकी जमीन ग़ासिबाना कब्ज़ा कर के किसी ने ले ली हो।

मैं पहले भी कह चुका हूं श्रीमन्, कि क़रीब १२ या १३ लाख ऐसे जमींदार हैं जिनकी जमीन शिकमी काश्त पर उठी हुई है और १७ लाख ऐसे काश्तकार हैं जिनकी जमीन उठी हुई है,

तो यह स्वीकार करने का कोई कारण नहीं है कि केवल जमींदारों ही की जमीन पर ग़ासिबाना क़ब्ज़ा हुआ है । मैं तो यहां तक कहने को तैयार हूं श्रीमन्, कि बहुत कम शायद ऐसे केसेज़ हों जिनमें जमींदार की जमीन पर ग़ासिबाना क़ब्ज़ा हुआ हो, वह अब तक चुप बैठा हो और उसने १८० के अन्दर दावा दायर न किया हो । लेकिन वह दावे जो १८३ में दाख़िल नहीं हुये हैं जिनके दायर न करने से अब वह खातेदार वंचित रह जायगा, वह ज्यादातर काश्तकार हो सकते हैं । क्योंकि ज़मींदार को मालूम है कि किसने उसकी सीर, खुदकाश्त जमीन या प्लाट पर ग़ासिबाना क़ब्ज़ा किया, वह फौरन् अदालत में जावेगा, लेकिन काश्तकार ऐसे हो सकते हैं, वह झगड़ते रहते हों, लड़ते रहते हों और अभी तक वह १८३ में दावा दायर नहीं कर सकते हों । श्रीमन्, एक बात मैं और आपसे इस विषय पर निवेदन करूंगा और वह यह है कि यू० पी० टेनेंसी ऐक्ट में दफा १८० में आप देखेंगे जिसकी वजह से हमारे माननीय गेंदा सिंह जी को आशंका है और जो कुछ हद तक ठीक है और वह इसलिये है कि ग़ासिबाना क़ब्ज़ा के प्रश्न पर यू० पी० टेनेंसी ऐक्ट की दफ़ा १८० में बर्डन आफ प्रूफ काश्तकार पर पड़ता था, उसको यह साबित करना पड़ता था कि मेरा क़ब्ज़ा ग़ासिबाना नहीं है । उसको यह साबित करना पड़ता था कि मेरा क़ब्ज़ा जमींदार की या किसी और खातेदार की रजामन्दी से है और यह ग़ासिबाना क़ब्ज़ा नहीं है । परन्तु श्रीमन्, आप यह देखेंगे कि मैंने बर्डन आफ प्रूफ वहां से उठा कर खातेदार के कंधों पर रख दिया है । अब खातेदार से यह कहा जायगा कि वह यह साबित करे कि फलां शख्स का फलां भूमि पर ग़ासिबाना क़ब्ज़ा था और उसका नाम पटवारी के काग़ज़ात में दर्ज नहीं होना चाहिये । मेरे इस संशोधन से अब उस बर्डन आफ प्रूफ से बहुत अन्तर हो जाता है । इसलिये मैं समझता हूं कि माननीय गेंदा सिंह जी की जो आशंकायें हैं, जो उनकी आपत्ति है वह कम से कम इस संशोधन के संबंध में सर्वथा निर्मूल है । श्रीमन्, आप देखेंगे कि खंड ३ के द्वारा यह कहा गया है कि कोई भी काश्तकार मैजिस्ट्रेट के यहां अप्लीकेशन दे सकता है कि वह १३५९ फसली में किसी समय क़ाबिज़ था, अब क़ाबिज़ है या नहीं, परन्तु किसी समय क़ाबिज़ था इसलिये उसके नाम का इन्दराज हो जाना चाहिये । मैजिस्ट्रेट वहां पर पधारेंगे और आन दि स्पाट इन्क्वायरी होगी और वहां के स्थानीय सबूत पर वे यह तय करेंगे कि उसका क़ब्ज़ा था या नहीं था और पटवारी के काग़ज़ात में उसका नाम दर्ज होना चाहिये या नहीं होना चाहिये । अब आप देखेंगे कि श्रीमन्, कि उस स्थानीय इन्क्वायरी में जहां कि वर्बल एवीडेंस ही होगी वहां पर उस काश्तकार को, जिसने अप्लाई किया है कि मैं इस तरह क़ाबिज़ था या काबिज़ हूं और मेरा नाम दर्ज होना चाहिये, कुछ नहीं करना होगा । जहां तक मेरे संशोधन का सवाल है उसको केवल इतना कह देना होगा कि मैं काबिज़ हूं या काबिज़ था । अब खातेदार के ऊपर यह साबित करने की जिम्मेदारी आ पड़ती है कि वह स्थानीय सबूत दे कि किस तरह से काश्तकार का क़ब्ज़ा हुआ । अगर वह क़ब्ज़ा मान लेता है तो आधे से ज्यादा केस उस खातेदार का उसी समय खत्म हो गया और जो ५० परसेंट या आधा केस उसका रह गया उसमें उसको यह साबित करना है कि यह क़ब्ज़ा ग़ासिबाना था । इसलिये श्रीमन्, मैं समझता हूं कि यह आपत्ति कि ग़ासिबाना क़ब्ज़े के अन्दर पिछले ज़मींदारों ने फायदा उठा लिया है या काश्तकारों पर अत्याचार किया है वह यहां पर निर्मूल है । दूसरे श्रीमन्, यह कहा गया कि अगर ९९ की भलाई होती है और एक चोर के पकड़ने में ९९ के लिये आपत्ति आती हो, तो ऐसा कानून न्यायसंगत न होगा, परन्तु श्रीमन् मैं यहां पर यह साबित करना चाहता हूं कि मेरे संशोधन को स्वीकार करने से यह विधेयक केवल उन ९९ ग़रीब और कमज़ोर काश्तकारों को प्रोटेक्शन ही नहीं देगा बल्कि वह एक चोर को भी पकड़ता है कि वह ग़ासिबाना क़ब्ज़ा न करे ।

श्री गेंदा सिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय श्री सुरेश प्रकाश सिंह जी ने जो संशोधन रखा है उसका मैं विरोध करना चाहता हूं । माननीय सुरेश प्रकाश सिंह जी ने अपने वक्तव्य के दौरान में मेरा भी ज़िक्र किया है और उन्होंने यह कहा है कि मेरी जो असहमति टिप्पणी है वह उनके विचारों का समर्थन करती है । मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे ग़लत समझा है और ग़लत तरीके से सदन के सामने पेश किया है ।

श्री सुरेश प्रकाश सिंह—आन ए प्वाइंट आफ़ एक्सप्लेनेशन सर ।

अध्यक्ष--एक्सप्लेनेशन का कोई सवाल ही नहीं है । अभी उन्होंने कुछ कहा ही नहीं है ।

श्री सुरेश प्रकाश सिंह--ग़लत तरीके पर सदन के सामने कहा है ।

अध्यक्ष--लेकिन कह तो लेने दीजिये कि क्या कहते हैं ।

श्री गेंदा सिंह--अगर मेरी टिप्पणी को पूरी वह पढ़ जाते तो शायद उन्हें ऐसा कहने का मौका न मिलता और इस सिलसिले में मैं केवल एक जगह का उल्लेख करना चाहता हूं और उस तरफ उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । मैं समझता हूं कि इसके जानने के बाद वह अपना विचार बदलेंगे । उन्होंने अपने वक्तव्य के दौरान में यह कहा है कि वह जो यह प्रबंध लगाना चाहते हैं कि ग़ासिब लोगों को हक़ न मिले तो उसका सारा का सारा लाभ कमज़ोर लोग ही उठायेंगे । लेकिन इसी सिलसिले में हमने जो दलील दी है उसे मैं उनके सामने पेश करना चाहता हूं । "परन्तु बहुमत न रहने के कारण निर्बल कृषकों के अधिकारों की रक्षा जिनका वर्णन उद्देश्य में किया गया है न हो सकी, बल्कि इसके विपरीत उन जमींदारान के हक़ों की रक्षा की गई, जो १३५९ फ़सली में जबरदस्ती कृषकों की भूमि बेदख़ल कर काबिज़ हो गये" तो ग़ासिब हमारी निगाह में यह लोग थे और इसीलिये हम जरूरी समझते थे कि ऐसे ग़ासिब लोगों को मौका न मिलता तो अच्छा होता । लेकिन जहां तक इस कानून का संबंध है और हम क्या चाहते हैं और उसी के अनुसार यह क़ानून बन जायगा हम आशा नहीं करते हैं । जो कुछ यह कानून बन रहा है उसमें मैं समझता हूं कि जितनी भी सहूलियत दी जा सकती है ऐसे लोगों को जिन्होंने १३५९ फ़सली में जबरदस्ती खेतों पर क़ब्ज़ा कर लिया है और जो सही माने में ग़ासिब कहे जा सकते हैं उनके निकालने का कोई मौका नहीं है क्योंकि हमने कल भी अर्ज़ किया था १३५९ का छीना-झपटी का वर्ष रहा है । १३५७ या १३५८ या पहले से जो लोग काबिज़ चले आते थे उनको मजबूत लोगों ने निकाला है जैसे जैसे जमींदारी विनाश क़ानून के लागू होने की तिथि निकट आती गई वैसे-वैसे ही छीना-झपटी भी हुई और मज़बूत लोगों ने कमज़ोरों को निकाला तो वह ग़ासिब हो सकते हैं । लेकिन जब हम इस कानून की तरफ देखते हैं तो इतना ज़रूर देखते हैं कि जो माननीय सुरेश प्रकाश सिंह जी चाहते हैं उसकी रक्षा ज़रूर हो गयी है । लेकिन मैं समझता हूं कि वह ज़रूरत से ज्यादा चाहते हैं उनकी रक्षा का प्रबंध है । ग़ासिब की बात के लिये मैंने कल भी निवेदन किया था और मैं नहीं चाहता हूं कि उस फिर सदन का वक्त लूं ।

हमारे सूबे की ग़ासिब की कहानी और ग़ासिब का इतिहास बहुत ही ख़राब इतिहास है । फिर इस तरह से ग़ासिब कह कर जो सही माने में जोतने वाले हैं उनको बेदख़ल करने का अवसर निकालना मुनासिब बात नहीं है । यह बात उन्होंने कही कि अब वह जमींदार नहीं रहे हैं । यह मैं भी मानता हूं कि नाम के वह नहीं रहे । पहले तो जमींदारों के पास दूसरे धंधे भी थे, लगान वसूली वग़ैरह की और दूसरी आमदनी थी लेकिन अब इतनी छूट रही और इन्हें बेदख़ली करने का अवसर मिल सकता है तो सारे काम से छुट्टी पा कर भी इतने ही पर अपनी पुरानी आदत को चलाने की कोशिश करेंगे और दोनों के संबंध में कोई अच्छी बात पैदा नहीं होगी । अच्छा होगा कि इस तरह का अधिकार उन्हें न दिया जाय कि कोई बेदख़ली का मुक़द्दमा दायर हो । हम तो स्पष्ट बात यह कहना चाहते हैं कि जो खेत जोतने वाला है वही खेत का मालिक हो जाय । लेकिन हम इस कानून के शिकंजे में हैं, लेकिन जो कुछ कहते हैं वह इस तरह से कहते हैं कि कानून में हमारी बात बढ़ाई जाय । जो इल्जाम हमारी तरफ लगाया जाता है । माननीय माल मंत्री जी कह देते हैं और लोग भी अक्सर कह देते हैं कि आप तो घूमफिर कर जमींन के बटवारे की बात ही करना चाहते हैं । यह बात सही है और हम चाहते हैं कि किसी न किसी प्रकार से इक्वीटेबिल डिस्ट्रीब्यूशन हो यानी वह लोग धरती माता के मालिक हो जायें, जो सचमुच में धरती माता के सपूत हैं, जो धरती की सेवा करते हैं उन्हीं के पास धरती रहे इसे हम फ़र्ज़ समझते हैं, अपना कर्तव्य समझते हैं और चाहते हैं कि इस सदन में

इस बात की कोशिश करते रहें और हम चाहते हैं कि हमारा सरकारी पक्ष हमें इसके लिये जगाता रहे ताकि हम उस भूल न जांय । हम नहीं चाहते कि जो कुछ हो रहा है वह भी हो और हम उसको थोड़ा थोड़ा कर के उसकी शक्ति को क्षीण करते रहें । हम जानते हैं कि हमारी इच्छा के मुताबिक यह कानून नहीं बन रहा है । कल कई भाषणों में यह बात कही गयी थी । मैं उसको स्पष्ट कर देना चाहता हूं । हम चाहते थे कि लाखों आदमियों को फायदा हो, मगर नहीं हो रहा है केवल हजारों को ही हो रहा है तो भी पास करिये कानून को। हम सुझाव देते हैं अगर मान लिया जाता है तो अच्छा है, अगर नहीं माना जाता तो जो हो रहा है वही हो लेकिन बुरा न हो। इस तरह से मैं समझता हूं कि ग़ासिब की बात को लेकर जो चर्चा चली हुई है, मैं इस संबंध में यह कहना चाहता हूं कि एक या दो फीसदी ग़ासिब को बचाने के लिये इस क़ानून में कोई ऐसी गुंजाइश कर दी गई तो परिणाम यह होगा जिनको आप अधिकार देने जा रहे हैं वे मुक़द्दमेबाजी के शिकार होंगे और वह मुक़दमेबाजी इतनी लम्बी मियाद तक चलेगी जिसका फैसला ही न हो पायेगा। फिर एक बात यह अर्ज करना चाहता हूं कि एक आखिरी फैसला कराने की जो बात होती है उसको सरकार छीन नहीं रही है। उसको दे रही है अगर वह चाहें किसी शख्स के नाम अगर जमीन दर्ज हो गयी है वह उससे निकाल दी जाय या उसके अख्तियारात के मुताल्लिक फैसला आखिरीतौर पर किया जाय तो मैं समझता हूं कि सेलेक्ट-कमेटी में जिस तरह से बात हुई थी, उसको माननीय माल मंत्री जी स्पष्ट करेंगे, उसको हम कहें फायनलिटी दे दी जाय, फिर उसका कोई अपील का मौका न दिया जाय, दीवानी न जाय ऐसी बात इसमें नहीं है । वह दीवानी जा सकती है । अगर आक्युपेंट लिखा जाता है और अधिवासी के अख्तियारात मिलते हैं तो फिर उसको मौका है कि चाहे वह ग़ासिब शब्द कर दें या चाहे और शब्द, उसको दीवानी जाने का खुला हुआ मौका है । लिहाजा इस संशोधन की कतई जरूरत नहीं है यहां पर, और मैं आशा करता हूं कि सरकार इसे अस्वीकृत कर देगी।

माल मंत्री (श्री चरण सिंह)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने इस सिलसिले में कल भी अपने मत को स्पष्टरूप से व्यक्त कर दिया था और अब मैं फिर उन्हीं बातों को दोहराना चाहता हूं लेकिन पेश्तर इसके कि मैं कुछ अर्ज करूं मैं माननीय सुरेश प्रकाश जी को, जिस खूबी से उन्होंने बात रक्खी है उस पर उनको बधाई दिये बिना नहीं रह सकता । उन्होंने एक ग़लत बात की जितनी अच्छी पैरवी की जा सकती थी उतनी की है । जैसे एक बड़े आदमी के बाबत कहा गया है कि "ही ट्राइड टु मेक दी वर्स्टटुएपियर दी बेटर रीजन"। एक ग़लत बात को भी अच्छे ढंग से अच्छी बात का रूप दे कर वह कह सकते थे उसे माननीय सुरेश प्रकाश सिंह जी ने पेश किया। कल माननीय सुरेश प्रकाश जी ने एक बात कही थी और सरकार ने जवाब में कहा था कि वह ग़ासिबाना क़ब्जे को प्रोत्साहन देना नहीं चाहती । यह बात बिलकुल ठीक है और आज भी यह बात दोहराना चाहता हूं कि १३५६ में जो लोग ग़ासिब दर्ज थे या बिना तस्फिया लगान दर्ज थे दरअसल वे ग़ासिब नहीं थे, दरअसल में काश्त-कार थे, काश्तकारी में उनका नाम दर्ज नहीं था या लगान की रसीद नहीं दी जाती थी, लेकिन हमारी इत्तिला के मुताबिक वे काश्तकार थे सही मानी में, इसलिये मैंने उनको अख्तियार दिया। कल मैंने माननीय वीरेन्द्रशाह जी के संशोधन के जवाब में एक बात कही थी, मैं समझता हूं कि मैं उसको अच्छी तरह नहीं कह पाया, इसीलिये माननीय सुरेश प्रकाश जी को इस सिलसिले में ग़लतफहमी हो गयी है । वीरेन्द्रशाह जी का संशोधन यह था कि उस व्यक्ति को अधिवासी क़रार दिया जाय जिसके पास लिखित रजामंदी हो, इसके जवाब में मैंने यह कहा था कि आज बाकायादा जो मुक़दमा चलता है और ५ फीसदी आदमी को बिना लिखित रजामंदी के हक मिल जाता है । ९५ फीसदी जो वाकई काश्तकार थे लेकिन लिखित रजामंदी नहीं है वह आजकल जुडिशियल प्रोसीडिंग की वजह से , अदालत की कार्यवाही की वजह से वंचित रह जाते हैं क्योंकि उनके पास कोई तहरीर नहीं है । तो अगर वीरेन्द्रशाह जी का संशोधन स्वीकार कर लिया जाता तो आज जो पोजीशन है वह उससे भी बदतर हो जाती। इसलिये कि जो ५ आदमी हैं और जो बाकायदा मकदमा लड़ कर अख्तियार ले सकते हैं कि जिनके पास रजामंदी

[श्री चरण सिंह]

नहीं है और वह बाकी काश्तकार हैं तो अगर इन ५ फीसदी वालों को मिलने वाला है तो उनको भी नहीं मिलेगा। पोजीशन इससे बदतर हो जायगी । मेरे ख़याल में या तो सुरेश प्रकाश जी ने अपने आशय को अच्छी तरह से प्रकट नहीं किया और या मैं उसको समझ नहीं पाया लेकिन जहां तक इस संशोधन का सवाल है इससे हालत और खराब हो जायगी । तो जहां तक इस संशोधन का संबंध है जैसा मैंने अर्ज किया था कि जो १३५६ में दर्ज थे और जिनका कल्टीवेट्री पज़ेशन १३५६ में था उनको सच्चे मायने में ग़ासिब नहीं कहा जा सकता बल्कि वह काश्तकार हैं और काश्तकारी का उनके पास कोई सबूत नहीं है । तो यह मेरी दलील उनके मुताल्लिक़ अभी तक क़ायम रहती है । फिर सब से बड़ी बात यह है कि जो खण्ड ५ है इसमें खंड ५ 'अ' के नाम से सेलेक्ट कमेटी ने एक संशोधन कर दिया । १८० और १८३ के जो मुकदमे दायर हो गये हैं वह मुक़दमे इसकी जद से बाहर हैं उनको एक्ज़म्प्ट कर दिया गया है । आमतौर पर जिस आदमी का किसी ज़मीन पर क़ब्ज़ा होता है तो वह आदमी, चाहे उस जमीन पर किसी का भी हक़ बाक़ी हो वह यह समझता है कि उसकी जमीन है और वह किसी दूसरे के क़ब्ज़े को बरदाश्त नहीं कर सकता है । ६ महीने की बात तो दूर है वह २ दिन के लिये भी बरदाश्त नहीं कर सकता है । तो ऐसे मामलों में जो क़ब्ज़ा हो चुका है और १८० और १८३ के मुक़दमे दायर हो चुके उनको एक्ज़म्प्ट किया जा चुका। तो अब मेरे कहने का मतलब यह है कि ऐसे मामले हो सकते हैं कि जिनमें मुक़दमे दायर नहीं हुये हों फिर भी वह ग़ासिब हैं तो उनको आप कहते हैं कि वह इस कानून में नहीं आने चाहिये और उनके ख़याल से उनको अधिवासी का हक़ नहीं मिलना चाहिये। अगर यह बात सच है लेकिन जैसा मैंने अर्ज किया कि वह ग़ासिब नहीं रहा जहां पर दावा दायर नहीं हुआ हो लेकिन मान लिया जाय कि ऐसे हज़ार हैं या १०० हैं या १ है तो फिर यह ग़ासिब है । अब दूसरा वाकई सच्चे मायने में काश्तकार है लेकिन उनके पास तहरीरी सबूत नहीं है । अब अगर आप के संशोधन को मान लिया जाय तो काश्तकारों के हित की रक्षा करना जो इस बिल का उद्देश्य है वह इसका उद्देश्य ख़त्म हो जाता है वरना हज़ारों की तादाद में जिन्होंने क़ब्ज़ा कर लिया है उनको हमारा हरगिज़ मन्शा नहीं है कि जानबूझ कर उनको हक़ दिया जाय। मनुष्य की जितनी अक्ल होती है वह कभी पूर्ण नहीं होती है वह डैफिनिट नहीं होती है और उसका काम भी इस तरह से पूरा नहीं हो सकता है । इन दोनों तरह के लोगों में जिनको मैंने अभी बयान किया किसी तरह से इम्तियाज़ नहीं किया जा सकता कि यह ग़ासिब है और यह सच्चे मायने में काश्तकार है । इसलिये अगर आपके संशोधन को मान लिया जाय तो ९९९ आदमियों को हानि होने का अन्देशा है। इस लिये मुझे अफ़सोस है कि मैं इस संशोधन को स्वीकार नहीं कर सकता ।

राजा वीरेन्द्रशाह (जिला जालौन)—अध्यक्ष महोदय, जो संशोधन सुरेश प्रकाश जी ने उपस्थित किया है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। श्रीमन्, जो भाषण माननीय मंत्री जी ने दिया है मैंने उसको बहुत ग़ौर के साथ सुना। माननीय मंत्री जी ने जो विचार हमारे संशोधन पर प्रकट किये मैं समझता हूं उन्होंने इसको इस नज़र से नहीं देखा कि जिससे इसकी अहमियत उनको मालूम होती । मैं इसको मानता हूं कि सरकार ने कोशिश की और माननीय मंत्री जी ने भी कोशिश की सरकार ने भी कोशिश की कि जहां तक हो जबरदस्ती क़ब्ज़ा करने वालों को इस बिल से फ़ायदा न हो। लेकिन मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि बहुत थोड़े से लोग ऐसे होंगे जिन्होंने १८० में दावा नहीं किया हो । सरकार ने स्टे आर्डर कर दिया।

श्री चरण सिंह—नालिशात के दाखिल करने में कोई स्टे नहीं है ।

राजा वीरेन्द्रशाह—लेकिन गांव के लोग शिक्षित नहीं हैं। वे तो यह समझते हैं कि जब एक चीज पर स्टे है तो सभी पर होगा । इस तरह का भ्रम उनमें है । हमारे लाल टोपी वाले सोशलिस्ट भाई भी मौजूद हैं। वे भी इस बात को समझ सकते हैं कि यदि हमारा संशोधन नहीं माना गया तो इससे ग़रीबों को बड़ी हानि होगी । जो जबरदस्त हैं वे इस बात की

कोशिश करेंगे कि ग़रीबों की ज़मीनों पर क़ब्ज़ा किया जाय और उन्हें हटाया जाय। जैसा कि अभी मंत्री जी ने कहा, लिखित कुछ नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि गांव में बग़ैर पुर्जी के कोई ज़मीन नहीं उठाता है और न यह सही रूप में माना जाता है कि बग़ैर पुर्जी लिये हुये, चाहे वह औरत हो या पागल हो या चाहे जो कोई भी हो, हम तो यह समझते हैं कि क़ब्ज़ा हो ही नहीं सकता और जो होगा वह ज़बरदस्ती का होगा। मैं नहीं कह सकता कि पूरब में क्या हाल है और वहां किस तरह ज़मीन उठाई जाती है। लेकिन मैं अपनी तरफ की बाबत सरकार से कहना चाहता हूं कि कोई भी ज़मीन वग़ैर पुर्जी लिये हुये कोई काश्तकार नहीं जोतता है और न उसकी वह इच्छा करता है। हमारे सौभाग्य से आज मुख्य मंत्री जी भी विराजमान हैं। मैं नहीं चाहता कि इस बिल के उद्देश्य से जो लोगों को फ़ायदा पहुंचने वाला है वह न पहुंचे। लेकिन मैं साथ ही साथ माननीय मुख्य मंत्री जी की और मंत्री जी की सेवा में यह निवेदन करना चाहता हूं कि मैं यह भी नहीं चाहता कि इससे नाजायज़ फायदा उन ज़बरदस्त, ताक़तवर, गुंड़ों, मुझे माफ़ किया जाय ऐसा शब्द इस्तेमाल करने पर विवश होने के लिये, को हो जिन्होंने ग़ासिबाना क़ब्ज़ा कर लिया है। अगर स्पष्टीकरण में ग़ासिबाना का शब्द आ जायगा तो यह एक सबूत हो जायगा कि सरकार ने इस बिल में नेकनियती से यह माना है कि वह ग़ासिबाना क़ब्ज़ा नहीं मानती है। मंत्री जी कई दफ़ा कह चुके हैं कि ऐसे लोगों को भी ज़मीन मिल गई है जो सीरदार या मौरूसी काश्तकार बन गये हैं और जिन्होंने ज़बरदस्ती क़ब्ज़ा कर लिया था। मैं मानता हूं कि इनमें बहुत से बिला तसफ़िया वाले हो सकते हैं। मैं यह कहता हूं कि यह अकेली मेरी ही राय नहीं है। बहुत से कांग्रेस के मेम्बरों की यह राय है मगर वह कह नहीं सकते और कुछ ने तो कह भी दिया है, प्रवर समिति की रिपोर्ट में है। उन्होंने कहा कि इससे गांव में अराजकता फैल जायगी और बड़ा वावेला मच जायगा। तो मैं मंत्री जी से कहूंगा कि वह दलीलों में ना जा कर सफाई से जो स्पष्टीकरण हम यहां रखना चाहते हैं उसे मान लें। मैं जानता हूं कि इसमें हमारे साथ श्री गेंदा सिंह जी भी होंगे। इस बिल के और इस संशोधन के अन्दर तो सवाल उन लोगों का आता है जो ग़रीब काश्तकार हैं और जो बैलों आदि का प्रबंध नहीं कर सकते। उनके कई जगह छोटे-छोटे खेत हैं। इसलिये यदि यह संशोधन नहीं माना गया तो ऐसे लोगों को हानि होगी। जब सरकार ने उद्देश्य में साफ़ रखा है और प्रवर समिति ने भी स्वीकार किया है कि १८० में जो मुक़द्दमे दायर हो चुके हैं उनके ऊपर यह बिल लागू नहीं होगा तो फिर यह संशोधन तो और भी उचित और उपयुक्त है कि इससे यह साफ हो जायगा कि ग़ासिबाना क़ब्ज़ा करने वाला किसी भी तरीक़े से इससे फायदा नहीं उठा सकेगा। रहा यह कि मुक़द्दमेबाज़ी बढ़ जायगी, तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह तो वैसे भी बढ़ेगी। जब तक वकील इस भारत में और दुनिया में हैं वे तो कुछ न कुछ ऐसी दलील निकाल ही लेंगे पैसे की ख़ातिर कि जिससे मुक़द्दमेबाज़ी बढ़े। सरकार को तीतर बटेर जैसा आधा काम नहीं करना चाहिये। मैं आशा करता हूं कि सरकार हमारा संशोधन स्वीकार करेगी। इससे सब का भ्रम दूर होगा और सब का कल्याण होगा।

श्री राम नरेश शुक्ल (ज़िला प्रतापगढ़)—माननीय अध्यक्ष महोदय, आज कुछ ताज्जुब सा हो रहा है जब सदन के उस पक्ष के लोगों की तरफ़ से हमारे उस वर्ग के भाइयों की ओर से न केवल इंसाफ की दुहाई दी जाती है बल्कि यह पुकार की जा रही है कि उनके संशोधन में ज़मीदारों का हित नहीं है बल्कि उसमें ग़रीबों का हित छिपा हुआ है। जब इस तरह की दुहाई सुनाई पड़ती है थोड़ा सा शुबहा होता है और यह स्वाभाविक भी है। मैं तो इस संशोधन के अन्दर केवल एक बात की झलक पाता हूं और वह यह है कि इसके द्वारा एक डूबते हुये को तिनके का सहारा ढूंढा जा रहा है। यह सही है कि इसको मैं मानता हूं कि यह मुश्किल है कि उनकी बिना रज़ामन्दी के कोई किसान ज़मीन पर क़ब्ज़ा कर ले। तो यदि इस क़ानून को ध्यान से पढ़ा जाय तो इसकी आत्मा में यही लिखा है कि जिन लोगों ने अपनी ज़मींन को १३५९ में उठाया था, उस ज़मीन का अधिवासी वही काश्तकार हो जायगा जिस का उस पर क़ब्ज़ा था। जब यह चीज़ मान ली गयी तो उसमें यह सहारा लेने की कोशिश की जा रही है कि ज़बरदस्ती क़ब्ज़े का बहाना लेकर जितनी भी दरख़्वास्तें इस प्रकार की किसानों की होंगी उन में प्रत्येक में इस बात का स्टैंड लिया जायगा कि ज़बरदस्ती क़ब्ज़ा लिया

[श्री रामनरेश शुक्ल],

गया है और यह बात सही है और इसका कहना बहुत जरूरी और लाजमी है कि बावजूद इसके कि अब जमींदारी और ताल्लुक़ेदारी समाप्त हो गई है लेकिन फिर भी उनका असर अभी बाक़ी है और इस हद तक बाक़ी है कि अफ़सोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे अधिकारियों के ऊपर भी अभी उनका अधिकार चलता है और जिन वकीलों की तरफ़ इशारा किया है उनको मौक़ा मुक़दमा चलाने का मिल जाता है । अध्यक्ष महोदय, मैं तो इसमें किसी वकील की ही सलाह की झलक पाता हूं और वह वकील ही की सी बात मालूम होती है कि ऐसा संशोधन अगर आ जाय और कानून में शामिल हो जाय तो अच्छा मौक़ा रहेगा हजारों बीघा जमीन जमींदारों को बचाने के लिये । तो मैं बड़ी नम्रता से अपने मित्रों से प्रार्थना करूंगा कि अब वह जमाना चला गया कि जब इस तरीक़े से संशोधन या तक़रीर से कोई काम चलाया जा सकता था, जहां तक मौजूदा सरकार का संबंध है वह तो खुले शब्दों में और बहुत सफाई के साथ इस कानून को सदन में पास कराना चाहती है कि जिससे जरा सी भी गुंजायश या शुबहा न रह जाय कि अपने असरात के जरिये अधिकारियों को मिला कर या गांवों में सबूत ला कर, मुझे तो यहां तक पता है और दो चार को छोड़ कर सब को यह पता होगा कि इन जमींदारों का मौके पर कितना असर है । जबानी गांव में गवाह मिलना मुश्किल हो जायगा । यह ग़रीबों की मदद की बात नहीं है बल्कि इस तरह से रास्ता निकाला जा रहा है कि हमारी जमीनों पर जबरदस्ती क़ब्ज़ा कर लिया गया है । मुझे तो यह षड्यंत्र दिखलाई पड़ता है और मैं सदन से आपके द्वारा प्रार्थना करूंगा कि इसको फौरन् रद्द कर दिया जाय और इस पर वादविवाद न किया जाय ।

श्री रामलखन मिश्र (जिला बस्ती)---आदरणीय अध्यक्ष महोदय, इस संशोधन के द्वारा जो परिचय दिया जा रहा है उस में मैं तो मूर्छा देखता हूं और विवेक के द्वारा यह आत्म-घात की प्रवृत्ति है । यह जूडिशियल प्रोसीडिंग नहीं है । हमारे संशोधन प्रस्तुत करने वाले महोदय इस बात को विस्मृत कर जाते हैं कि यह जूडिशियल मामला नहीं है, यह तो एगजि-क्यूटिव लाइन पर है । गांव में एक अफसर जायगा जो वहां कुछ स्पेशल पड़ताल करेगा और जिनका क़ब्ज़ा होगा उनका नाम वह लिख देगा । इसमें यह भी आवश्यक नहीं है कि दूसरा पक्ष वहां बुलाया जाय । इसके द्वारा यह लाना चाहते हैं कि जिससे ज्ञान हो जाय कि भलीभांति अवसर दिया गया । तो मैं तो कहूंगा कि यह आत्मघात की प्रवृत्ति है । अभी इस विधेयक के द्वारा मुक़द्दमेबाजी का दरवाजा बन्द नहीं होता है । इसमें यह नहीं है कि उनका जो मुद्दमेबाजी का दरवाजा है वह बन्द हो जायगा । यह तो कार्य करने की प्रवृत्ति है । पटवारी भी यदि चाहे तो मौक़े पर अपनी पड़ताल द्वारा यह कार्य कर सकता है । इसमें भय की कोई बात नहीं है । मेरा विचार है कि संशोधन से भय उत्पन्न हो गया है और वह भय यह है कि यदि उस व्यक्ति का नाम अधिवासी के रूप में रख दिया जायगा तो सदा के लिये उनका दरवाजा बन्द हो जायगा । इस समय भूमि की समस्या एक बड़ी महत्वपूर्ण समस्या है समस्त एशिया में यही समस्या है । मिस्र में भी यही भूमि की समस्या है । यू० पी० की सरकार को धन्यवाद है कि उसने अग्नि को भड़काया नहीं और सब कार्य शांति मार्ग से कर दिखाया । प्रस्तावक महोदय इस बात को विस्मृत कर जाते हैं । उन्हें भय है कि जो अधिकारी क़ब्ज़ा की देखभाल के लिये जायगा वह आंख मूंद कर क़ब्ज़ा दिला देगा । लेकिन ऐसा नहीं होगा । यह तो एक एक्जीक्यूटिव प्रासेस है कोई जुडिशियरी प्रासेस नहीं होगा इसमें किसी को कोई भय की बात नहीं होनी चाहिये । यह तो सत्य का निर्णय करने के लिये ही रखा गया है क्योंकि इस सदन का अनुमान है कि ऐसे नर-कंकालों की बहुत बड़ी संख्या है जो मौक़े पर खेती पर क़ाबिज हैं लेकिन जिनका नाम काग़ज़ात में दर्ज नहीं है । यह चीज सेलेक्ट कमेटी के सभी सदस्यों को मान्य थी और इस प्रश्न पर किसी को कोई अपवाद नहीं था । अतः जब यह तय कर दिया गया तो इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये ।

मुख्य मंत्री (श्री गोविन्द वल्लभ पन्त)---मेरा तो इस संबंध में कहने का कोई इरादा नहीं था मगर वीरेन्द्र शाह जी ने मेरा नाम लिया तो मुझे लगा कि मैं भी अपने विचार प्रकट करूं । खंड ३ जैसा कि पहिले था उसमें सेलेक्ट कमेटी ने संशोधन करके काफी सफाई

कर दी है। अब जो कि संशोधित धारा है उसके अनुसार पहले तो आदमी को यह साबित करना पड़ेगा जैसा कि मूल में था, कि उसका क़ब्ज़ा १३५९ में था और वह खेती करता था। यह साबित करने के बाद ही उसका इंदराज हो सकेगा और अगर किसी नाबालिग या किसी डिसएबिल्ड परसन की तरफ से वह काश्त करता है तो वह केवल असामी ही हो सकता है, अधिवासी नहीं हो सकता।

दूसरी बात यह भी साफ हो गई किसी पर दफा १८० या और धाराओं के तहत जिसमें गासिबाना तरीके पर क़ब्ज़ा किया गया है उस पर मुक़द्दमा चल सकेगा और ऐसे लोगों को इस धारा से कोई फायदा नहीं पहुंच सकेगा। इतनी बातें तो साफ हैं। उनके बारे में किसी को कोई भ्रांति नहीं हो सकती। पहिले से इन संशोधनों के द्वारा बहुत सफाई कर दी गई है। अब सिर्फ इतनी बात आप चाहते हैं कि यह संशोधन और किया जाय कि जो इस तरह से क़ाबिज़ हैं, उनका क़ब्ज़ा साबित हो जाय और यह भी साबित हो जाय कि खेती उन्होंने की है। तब भी फिर दूसरे को यह अधिकार साबित करने का रहे कि यह क़ब्ज़ा इसका ग़ासिबाना था और इसलिये ग़ासिबाना साबित होने पर उसका नाम दर्ज न किया जावे। अब देखना यह है कि इस परिस्थिति में इस तरह से संशोधन से आमतौर पर कोई लाभ होगा या हानि होगी। जो लोग इस धारा के अनुसार अपना नाम दर्ज कराना चाहेंगे उनका काम बहुत आसान और सुगम नहीं होगा क्योंकि जिनका नाम दर्ज नहीं है वे इस बात को कहें कि हमने यहां पर खेती की है और हमारा नाम दर्ज हो तो उसके लिये सबूत उनके पास क्या है और ऐसी हालत में दूसरा आदमी जो है यह कहे कि साहब, इसका नाम तो दर्ज नहीं है। वह उनसे अच्छी हालत में रहता है और उसकी पोजीशन उनके मुकाबले में बेतहर होती है। शुरू में प्राइमाफेसी जिनका नाम दर्ज नहीं है और जो असल में काश्तकार रहे हैं और मुद्दत से काश्त करते हैं और जिनका जमीन पर क़ब्ज़ा है उनके बारे में भी फ़रीक़ मुखालिफ यह कह सकता है कि यह जमीन इसके क़ब्ज़े में नहीं है, यह काश्त नहीं करता है। असल में काश्तकार की हैसियत से उसने जमीन काश्त की है तो तब भी उसका नाम दर्ज नहीं है तो दूसरे कह सकते हैं कि साहब असल में जमीन इसके कब्ज़े में नहीं है यह तो बिल्कुल बनावट की बात बना कर यहां आया है। इस तरह से उसको नुक्सान पहुंच सकता है। ऐसे बहुत से काश्तकार हैं जो काश्त तो करते आ रहे हैं लेकिन उनका नाम दर्ज नहीं हुआ और अब वे फिर अपना नाम दर्ज कराना चाहते हैं। मगर कोई दूसरा सहल तरीका इस तरह का नहीं मिल सका जिससे कोई और उपाय निकाल सकते। इसलिये उसको क़ब्ज़ा तो साबित करना ही पड़ता है।

अब सवाल उनका रह जाता है जिनका कि ग़ासिबाना कब्ज़ा रहा है। जमींदारी विलीनीकरण कानून की चर्चा काश्तकारों में बहुत दिनों से चल रही है। इधर इस के बारे में काफी बहस मुबाहिसा हर जगह होता रहा। ऐसी हालत में ग़ासिबाना क़ब्ज़ा हो जाय और वह आदमी जो अपनी जमीन में कुछ भी दिलचस्पी रखता है मुक़द्दमा न करे, यह बात समझ में नहीं आती। अगर वह मुक़द्दमा नहीं करता है तब तो उसने अपनी खामोशी से ही उसको अपना काश्तकार बना लिया। काश्तकार बनाने के लिये यह जरूरी नहीं है कि वह जबानी जा कर कहे कि हमने उसको काश्तकार बना लिया। वह देखता है कि वह जमीन पर काश्तकारी कर रहा है., वह बैल-हल लेकर काम कर रहा है फिर भी वह शख्स कुछ नहीं कहता तो वह ग़ासिबाना क़ब्ज़ा नहीं है बल्कि उसका क़ब्ज़ा बरजामन्दी जमींदार के है चाहे वह साफ लफ्जों में उसको न कहे। जमींदार से मेरा खास मतलब जमींदार से ही नहीं है। यह काश्तकारों पर भी लागू हो सकता है और जमींदारों पर भी लागू हो सकता है। किसी काश्तकार ने जमींदार की जमीन पर कब्ज़ा कर लिया हो, ऐसा भी हो सकता है लिहाजा कोई खास जमींदार के खिलाफ यह खंड नहीं है। परन्तु असल में अगर कोई काश्त करता है तो फिर बाद को यह कहना कि साहब, इसका तो ग़ासिबाना क़ब्ज़ा था, यह सही नहीं लगता। वह उसकी रज़ाबमन्दी से काबिज था। उसने काश्तकार को अपना राइटफुल टिनेंट मान लिया नहीं तो वह फौरन ही उसकी बेदखली का दावा दायर करता। आज अगर इस क़िस्म के

[श्री गोविन्द वल्लभ पन्त]

लोग हैं जिनके नाम जमीन दर्ज है मगर दूसरों ने उस पर ग़ासिबाना तरीके पर कब्जा कर लिया है और उस जमीन में काश्त करते हैं। अगर साल भर उसने काश्त की और फिर भी इसकी इत्तिला जमींदार को नहीं हुई तो इसका मतलब यही है कि उसको अपनी जमीन में इतनी भी दिलचस्पी नहीं है कि उसको इत्तिला मिले। और अगर इत्तिला मिली और उन्होंने फिर कोई कार्यवाही नहीं की तो इसका मतलब यह है कि उन्होंने एक तरह से इस बात को मान लिया कि अगर वह इसमें काश्त करता है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। इस तरह से वह काश्त करता रहा तो इसके माने यह हैं कि उसको अपनी जमीन में कतई दिलचस्पी नहीं है। अब अगर वह उज्र करता है तो सिर्फ झगड़ा करने के लिये, इस सबब से कि जो जमीन रखता है उसको नुकसान पहुंचे। किन्तु इस जमाने में जब कि इस तरीके से विलीनीकरण की चर्चा हर जगह हो रही है कोई आदमी अपनी जमीन में दूसरे को काश्त करने दे या खामोश रहे और कोई उंगली न उठावे तो इसके माने यह हैं कि या तो यह मानता है कि यह काश्तकार उसका हो गया या उसको परवाह नहीं करता कि हो या न हो उसको उस जमीन से कोई ताल्लुक़ नहीं है और इससे लाभ नहीं उठा सकता लिहाजा रहे तो रहे ऐसी हालत में इस सवाल को फिर उठाना इस वक्त उसमें नई तरह की दिक्क़तें पैदा करनी होंगी। आदमी को लालच होता है और जब वह तहकीकात करने जाता है तब एक या दो को मुक़दमेबाजियों की आदत होती है तो ऐसे सवालों को खत्म करना ही अच्छा है न कि किसी चीज को छोड़ना। मगर सारी हालत को देखकर मुझे यह लगता है कि अब भी खतरा है जो काश्तकार अच्छी तरह से बन गया है जो ईमानदारी से काश्तकार की हैसियत से जमीन पर काम कर रहे हैं और उसका दखल उनकी राजी पर है उनको खतरा ज्यादा है कि शायद अब भी नाम दर्ज हो या न हो बमुकाबले उनके कि जो कहीं हजारों में एक आध कोई जगह पर बगैर रजामन्दी काश्त करते आये हों और आज वह अपना नाम दर्ज करा लें। इसलिये जरूरत इस बात की है कि जहां तक हो सहूलियत इस बात की पैदा की जाय जो काश्त करते हैं वह मान लिया जाय और उनको ज्यादा तंग न किया जाय। जिन्होंने १८० के मुक़द्दमे नहीं किये वह जरुर इस बात का लिहाज नहीं करते थे और उसको अपना ग़ासिबाना काश्तकार समझकर उनको रहने न दे अगर उनका यह खयाल होता कि यह क़ब्जा ग़ासिबाना है तो उसको रहने नहीं देता। तो अब फिर झगड़े खड़ा करना कोई फायदेमन्द नहीं है। इस बात में खामखा वक्त खराब करे और अपना रुपया खराब करे और इस तरह की मुक़द्दमेबाजी बढ़े यह भी अच्छा नहीं है। हमारे देश में जहां तक भी हो सके मुक़दमेबाजी की इस तबियत को दबाने की जरूरत है नहीं तो खामखा छोटे बड़े सब मामलों पर बहुत से मुक़द्दमे होते हैं। इस तरह की तरमीमों से कोई खास फ़ायदा भी नहीं है। इससे मुमकिन है कि हजारों में एक आध किसान ऐसे हों जो ट्रेसपासर्स रहे हों और उनका नाम दर्ज हो जाय परन्तु दूसरा और कोई अन्देशा नहीं है। लेकिन ५० ऐसे नहीं होंगे जो असल में सही तरीके पर काबिज हैं। उनका नुक़सान हो जायगा। तो यह तरीक़ा अनुचित है। मैं उम्मीद करता हूं कि जिस तरह के रिकार्ड ये बनेंगे उनमें फिर बहुत ज्यादा कोशिश नहीं की जायेगी कि उनमें दस्तन्दाज़ी की जाय और उनको फिर पलटवाने की कोशिश दीवानी या किसी और अदालत में जाय। मैं इतना ही भरोसा करता हूं कि चाहे ट्रेसपासर के नाम पर या और किसी नाम पर कोशिश की जायगी तो भी अदालतें उसकी वजह से जो रिकार्ड इस वक्त इस तरीक़े से बन जायंगे उसकी क़द्र को कम नहीं करेंगी और उसको बहुत हद तक सही मानेंगी और उसी के मुताबिक अमल करेंगी।

श्री सुरेश प्रकाश सिंह---अध्यक्ष महोदय, जहां तक माननीय सदस्यों के भाषणों का प्रश्न है जिन्होंने इस संशोधन के विरोध में कुछ कहकर अपने विचार प्रकट किये हैं मुझे दुख है कि हम उससे प्रभावित नहीं हो सके हैं और श्रीमान् प्रभावित होते भी कैसे। अपने ही भाषण में इतने कंट्रेडिक्शंस, एक दूसरे के भाषणों में कंट्रेडिक्शंस कि मैं तो हैरान हो गया कि किस तरह की यह कोशिश है कि सुरेश प्रकाश को यह बतलाया जाय कि उनका संशोधन गलत है और वह इसको वापस लेने के लिये मजबूर हो जायं। हमारे एक माननीय सदस्य ने कहा कि इसमें तो

कुछ षडयंत्र मालूम होता है। इसमें हम को बहुत शुबहा होता है कि जमींदार अब इस संशोधन द्वारा इसको डूबते हुए का तिनका बनाना चाहते हैं। उसके साथ-साथ उसी दौरान में वह फरमाते हैं कि जमींदार का अब भी यहां के अफसरों पर इतना जोर है कि वह इस से बहुत फायदा उठा लेना चाहते हैं। श्रीमन, एक तरफ यह कहना कि जमींदार का बहुत बड़ा असर और जोर है कि उनके खिलाफ सबूत भी नहीं मिलेगा, दूसरी तरफ यह कहना कि उनकी जमीन इतनी ज्यादा कब्जे में आ गयी है कि गासिबाना कब्जे में वह इस को डूबते हुये का तिनके का सहारा बनाना चाहते हैं। या तो जमींदार की इतनी ज्यादा जमीन गासिबाना कब्जे में आ गयी है, उनकी गफलत या बेवकूफी की वजह से कि वह इस संशोधन द्वारा रास्ता निकालता चाहते हैं, या तो वे इतने असरदार हैं कि उनकी जमीन पर शायद गसिबाना कब्जा न हो। मैं समझता हूं कि दूसरी बात ही ठीक है कि वे इतने असरदार हैं कि उन की जमीन पर गासिबाना कब्जा नहीं हुआ है। अगर कोई जमींदार इतना बेईमान है, अगर कोई जमींदार ऐसा है जो कानून के खिलाफ जाना चाहता है तो उसने, श्रीमन् नमालूम कितने सालों से जैसा कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा इस जमींदारी अबालीशन बिल की चर्चा चल रही है उसने अपनी जमीन पर, हो सकता है एक आध कोई रह गये हों, जिसने अपनी किसी शिकमी को अपनी काश्त पर इजाजत दे रखी हो और वह इस संशोधन द्वारा कहना चाहता हो कि उसका कब्जा गासिबाना था। मेरे कहने का तात्पर्य यह था कि इस से जमींदारों को फायदा नहीं होता है। हो सकता है कि एक दो जमींदार कोई ऐसे हों परन्तु बहुत कम। इससे फायदा तो उन काश्तकारों का है जिनकी जमीन पर गासिबाना कब्जा हुआ है। वह यह न कोशिश करके कि फौरन मुकदमेबाजी में लग जांय। उन्होंने कोई और कोशिशें की हों और मुकदमा दायर न कर सके और शायद अब भी उनको अपनी भूमि के अधिकार से वंचित रखा जाय। इसलिये उनकी जमीन पर गासिबाना कब्जा हुआ।

एक माननीय सदस्य ने यह कहा कि मैं यह भूल गया, इन्क्वायरी जुडीशल नहीं इग्जिक्यूटिव होगी। मैं नहीं जानता कि क्या इग्जक्यूटिव इन्क्वायरी के मानी यह होते हैं कि वन साइडेड इन्क्वायरी होगी। मान लीजिये एक काश्तकार कहता है कि १३५९ में वह फलां जमीन पर काबिज था। उस गांव में फर्स्ट क्लास या सेकेंड क्लास मैजिस्ट्रेट इग्जिक्यूटिव इन्क्वायरी करने जाता है और खातेदार भी मौजूद है। तो क्या खातेदार की बात सुनने से इनकार कर देगा। अगर कोई सबूत खातेदार पेश करे कि उसका कब्जा १३५९ फ० में था ही नहीं तो क्या इग्जिक्यूटव इन्क्वायरी में वह मैजिसट्रेट उसकी बात सुनने से इनकार ही कर देगा ?

माननीय गेंदा सिंह जी ने कहा कि उनकी असहमति टिप्पणी से कुछ बातें ले कर हमने गलत चीज इस भवन के सामने रखी। मैंने उनकी असहमति टिप्पणी से कुछ लाइनों को कोट करने के पहले निवेदन किया था कि मुझ को इससे मतलब नहीं कि उनके क्या विचार हैं। मैं जानता हूं कि उन के इस पर क्या विचार हैं। मैंने पूरी असहमति टिप्पणी पढ़ी है। मैं यह कहता था कि यह कह कर कि यह विधेयक गासिबाना काबिज को नियमित मानता है, आगे वह क्या कहना चाहते हैं वह मेरे संशोधन के खिलाफ आर्गूमेंट नहीं है। वह तो दूसरी चीज है। वह कहते हैं कि जमींदार ने गासिबाना कब्जा किया और सरकार ने उस का कुछ नहीं किया। मैं कहता हूं कि हो सकता है कि सच हो। परन्तु मेरा संशोधन जो है उसके खिलाफ यह आर्गूमेंट नहीं है कि गवर्नमेंट ने यह नहीं किया वह नहीं किया, या जमींदार का कुछ नहीं किया।

(इस समय १ बज कर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर १५ मिनट पर उपाध्यक्ष श्री हरगोविन्द पन्त, की अध्यक्षता में सदन की कार्यावाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री सुरेश प्रकाश सिंह--उपाध्यक्ष महोदय, अपने संशोधन के उत्तर में श्रीमन्, मैं निवेदन कर रहा था कि जिन माननीय सदस्यों के भाषण मैंने सुने, मुझे दुख है कि उनसे मैं प्रभावित नहीं हो सका हूं।

[श्री सुरेश प्रकाश सिंह]

माननीय श्री गेंदा सिंह जी ने अपने भाषण में, इस संशोधन का विरोध करते हुये यह आपत्ति की कि मैंने उनकी असहमति टिप्पणी से केवल एक लाइन पढ़ करके एक गलत चीज इस भवन के सामने रखने की कोशिश की और उन्होंने मुझे यह आदेश दिया कि मैं उनकी पूरी असहमति टिप्पणी को पढ़ूं। श्रीमन्, जहां तक मेरे संशोधन का प्रश्न है, मैं उनको यकीन दिलाता हूं कि अगर यहां पर खड़े होकर मैं यह घोषणा भी कर दूं कि मैं उनकी असहमति टिप्पणी के हर एक शब्द से सहमत हूं फिर भी मेरे संशोधन के विरोध में जो कुछ माननीय गेंदा सिंह जी ने कहा है उससे उसपर कोई असर नहीं पड़ता। उन्होंने जो अपनी असहमति टिप्पणी में कहा है उससे मेरी दुश्वारी और दिक्कत हल नहीं होती और न मुझे कोई जवाब ही मिलता है जिससे मैं समझ सकूं कि मेरा संशोधन अनुचित है।

श्रीमन्, मैंने अपने पिछले भाषण में माननीय नेता विरोधी दल के लिये जो कुछ कहा था, वह माननीय गेंदा सिंह जी के भाषण के बाद, मुझे दुख है कि वह मैंने कहा और वह मैं वापस लेना चाहता हूं और वह इसलिये कि उनके सिद्धांत को मैं मानूं या न मानूं, उनके सिद्धांतों को मैं ठीक समझूं या न समझूं, या उनका अनुकरण कर सकूं या न कर सकूं, परन्तु जो कुछ माननीय नेता विरोधी दल ने कहा वह उसको मानते हैं। उनके कहने का प्रयोजन यहां तक था कि जिनके पास जमीन नहीं है, वह कब्जा कर लें तो उसको गासिबाना कब्जा मानने को वह तैयार नहीं। मैं इस सिद्धांत को मानूं या न मानूं, लेकिन इस सफाई की अवश्य इज्जत करता हूं और मैं आशा यह करता था कि माननीय गेंदा सिंह जी भी उसी सफाई से किसी बात को कहने की हिम्मत रखते होंगे। उन्होंने अपने भाषण में एक लम्बा-चौड़ा बयान दिया था कि वह किसको गासिबाना कब्जा समझते हैं, किसको नहीं समझते हैं, वह यह कहते हैं कि गासिबाना कब्जा तो जमींदारों का था। वह भी मैं माने लेता हूं। वह यह कहते हैं कि भूमि को जोतने वाला असली काश्तकार होता है और उसके पास कब्जा होना चाहिये, मैं यह भी मानता हूं। परन्तु जहां तक इस संशोधन का प्रश्न है इसके आगे उन्हें यह भी कहना चाहिये था कि अगर भूमि के जोतने वाले खेतिहर के पास भूमि नहीं है और वह गासिबाना कब्जा भी करता है तो वह उसको भी उन मानों में गासिबाना कब्जा नहीं समझते हैं जिन मानों में कि गासिबाना कब्जा कहा जाता है। श्रीमन्, यदि वह यह कह देते तो मुझे संतोष हो जाता और मुझे कुछ आगे कहने के लिये न रह जाता। उन्होंने यह भी कहा कि इसमें मुकदमेबाजी बढ़ेगी। मुझे मालूम नहीं श्रीमन्, कि इस एक्जिक्यूटिव इन्क्वायरी में जहां पर एक सेकेण्ड क्लास मैजिस्ट्रेट इन्क्वायरी करेगा, स्थानीय सबूत लेगा, आन दि स्पाट इन्क्वायरी करेगा, वहां पर यदि कोई शख्स यह कहता है कि यह कब्जा गासिबाना है तो इसमें कहां पर मुकदमेबाजी बढ़ती है। माननीय गेंदा सिंह ने कहा कि जुडीशयल दरवाजा उसके लिये खुला ही है। अगर कब्जा गासिबाना था तो वह अदालत में जा सकता है परन्तु श्रीमन् इसके विरोध में मुझे यह निवेदन करना है कि एक एक्जिक्यूटिव इन्क्वायरी द्वारा अगर पटवारी के कागजात में ऐसे गासिबाना कब्जे वालों का नाम दर्ज होगा तो अदालत में जब कि प्लैंटिफ जायगा तो उसके खिलाफ यह पटवारी का इन्दराज एक बहुत ही बड़ा सबूत होगा।

श्रीमन्, अब मैं माननीय मुख्य मंत्री और माननीय राजस्व मंत्री ने जो अपना विचार यहां पर जाहिर किया उसपर कुछ निवेदन करने की चेष्टा करूंगा परन्तु पहले इसके कि मैं कुछ कहूं मैं आपके द्वारा माननीय राजस्व मंत्री से एक माफी मांगता हूं। माननीय राजस्व मंत्री ने कहा था कि जिस खूबसूरती से सुरेश प्रकाश ने एक गलत चीज को यहां पर रखा मैं उसके लिये उनको बधाई देता हूं। मुझे दुख है और मैं यह मानता हूं कि मैंने एक गलत चीज कही थी लेकिन जानकारी में नहीं कही थी। मैं यही समझता था, जो मैंने कहा कि माननीय राजस्व मंत्री ने कल ऐसा कहा था परन्तु उन्होंने ऐसा कहा नहीं था। उन्होंने वही कहा था जो उन्होंने अपने भाषण में स्पष्ट किया। मैंने गलत सुना था या गलत समझा था और उसके ऊपर मैंने चन्द शब्द कहे थे। माननीय राजस्व मंत्री ने कहा था कि सौ में ५ फीसदी केसेज

ही ऐसे रहते हैं जिन में रजामंदी न होते हुये वे अपनें आप को काश्तकार साबित कर पाते हैं। यह माननीय राजस्व मंत्री ने अपना स्पष्टीकरण देते हुये कहा और मैं फिर आप के द्वारा उनसे क्षमा मांगता हूं। माननीय राजस्व मंत्री ने और माननीय मुख्य मंत्री ने कुछ अल्फाज़ में इस पर जो आपत्ति जाहिर की वह यह थी कि जब तक लिखित रजामंदी न हो, एक ऐसा कब्जा जो कि खातेदार की रजामंदी से किया गया हो और एक ऐसा कब्जा जो कि गासिबाना हो दोनों में एक बहुत ही थिन लाइन, एक बहुत ही कम चौड़ी दीवार रह जाती है। परन्तु मेरा तो ख़याल यह था कि जिस तरह की अदालत हम इस विधेयक में दे रहे हैं सेक्शन ४ के द्वारा उसमें अगर एक थिन लाइन भी हो तब भी किसी काश्तकार को ऐसी कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी जिससे यह संशोधन स्वीकार न हो इसलिये कि उसको तो कुछ करना ही नहीं है। वहां पर तो खातेदार को साबित करना है कि यह कब्जा गासिबाना था। माननीय मुख्य मंत्री ने यह कहा कि वे यह नहीं समझ सकते कि जब इतने सालों से ज़मींदारी उन्मूलन की चर्चा चल रही थी, गांवों-गांवों में और शहरों-शहरों में वादविवाद और चर्चा चल रही थी तो शायद ही कोई ऐसा ज़मींदार होगा जिस ने अब तक किसी गासिबाना कब्जे के खिलाफ कोई मुकदमा १८० में दायर नहीं किया होगा। उन्होंने यह भी कहा कि अगर किसी ने दायर नहीं किया है तो एक तरह की रजामन्दी थी। मैं यह मानता हूं परन्तु मैं पहले कह चुका हूं और अब फिर इस बात को दोहराना चाहता हूं कि मेरा यह पूर्ण विश्वास है कि यह जो गासिबाना कब्जे का प्रश्न है यह ज़मींदारों को बहुत कम छूता है। जैसा एक माननीय सदस्य ने कहा मैं उनसे बिलकुल सहमत हूं कि जमींदार शायद अब भी इतना कमजोर नहीं है, जमींदार शायद अब भी इतना असर रखता है कि उसके खिलाफ गासिबाना कब्जा नहीं हो सकता है। दूसरी बात यह है कि जब जमींदार के सामने यह विधेयक था और ३-४ साल से इसकी चर्चा चल रही है तो शायद ही कोई ऐसा जमींदार हो जो काश्तकार को निकालना चाहता हो और निकाला न हो। लेकिन श्रीमन्, जैसा कि मैंने पहले बतलाने की कोशिश की थी कि गासिबाना कब्जा एक ही प्रकार का नहीं हो सकता है। यह बहुत प्रकार का हो सकता है।

श्रीमान्, मैं आपकी आज्ञा से दो तीन एक्जाम्प्लिस ऐसी दूं जिनको कि आनरेबिल कोर्टस ने गासिबाना कब्जा माना है। एक तो यह है कि " A person admitted as a tenant by an agent of the landholder, when he had no authority."

2. " If joint *sir* of two or more co-sharers is divided by the co-sharers among themselves by a private arrangement, one co-sharer cannot take possession over the *sir* allotted to the other and if he does, he would be liable to be ejected as a trespasser."

3. " A tenant in possession of an area of land in excess of what was leased to him."

4. " A relation of a deceased tenant, not being his heir."

["कोई व्यक्ति जो भूमिपति के अभिकर्त्ता द्वारा बिना प्राधिकार के प्रविष्ट किया जाय।"

२ "यदि दो या ज्यादा सहभागियों की संयुक्त सीर सहभागियों द्वारा आपस में निजी प्रबन्ध द्वारा विभक्त की जाय, तो एक सहभागी दूसरे को प्रदिष्ट सीर पर कब्जा न करेगा और यदि वह ऐसा करता है तो वह अनधिकृत काबिज के रूप में बेदखल कर दिया जायगा।"

३ "कोई काश्तकार जो उस भूमि के क्षेत्र से अधिक पर काबिज हो जो उसको पट्टे पर दी गई थी।"

४ "किसी मृत व्यक्ति का संबंधी जो उसका दायाधिकारी न हो"]

यह सब हैं श्रीमान्, जो ट्रेस पासर्स माने गये हैं। मेरे अर्ज करने का मतलब यह है कि यदि हमारा संशोधन इस दृष्टिकोण से देखा जाय कि अगर जमींदार की जमीन पर

[श्री सुरेश प्रकाश सिंह]

गासिबाना कब्जा कर लिया गया है तो वह नहीं माना जायगा कि जो उत्पादन करता है उसके पास भूमि रहना चाहिये या इस दृष्टिकोण से देखा जाय कि जमींदार को फायदा होता है। इसलिये जमींदार इस संशोधन के पीछे आकर अपनी जमीन बचाना चाहते हैं। यदि गासिबाना कब्जे का स्पष्टीकरण कर दिया जायगा तो परिणाम यह होगा कि जितने बोनाफाइडीज के केसेज हैं उनके ऊपर दिक्कत आजायगी। मैं भी मानता हूं कि दिक्कत आती यदि सारा मामला अदालतों के जरिये होता। यहाँ तो विधेयक में दिया हुआ है कि सब प्रोसेज आफ ला को हटाकर एक मजिस्ट्रेट द्वारा इंक्वायरी होगी और वह साबित करेगा कि १३५९ में उसका कब्जा उस जमीन पर था और उसका कब्जा साबित करना ही काफी होगा तो ऐसी सूरत में श्रीमन्, खातेदार आता है और यह कहता है कि गासिबाना कब्जा था तो सुन लेने में क्या हर्ज है। अगर सरकार यह समझती है कि गासिबाना कब्जे का प्रतिबन्ध लगाकर काश्तकारों के सामने रोड़ा अटकाया जा रहा है तो क्या मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या सैकिंड क्लास जो वहां पहुंचेगा क्या उसके दिमाग में यह बात नहीं आ सकती है कि हमें किसी ऐसे केस को एलाऊ नहीं करना है जो अच्छी तरह से साबित न हो जाय। गासिबाना कब्जा था तो उसमें वह देखेगा कि इंटेंशन आफ दी ऐक्ट, एंड इंटेन्शन आफ दी गवर्नमेंट ऐंड हाउस क्या था। जब कि ऐक्ट बना तो किस के प्रोटेक्शन के लिये यह ऐक्ट पास किया गया है। क्या उसके दिमाग में यह बात नहीं आ सकती है जब कि ऐसा सबूत न हो कि सैंट परसेंट ट्रैसपासर है और इसका सबूत अगर मिलता चला आता है तो क्या आपत्ति है अगर वह यह कह दें कि कब्जा तुम्हारा १३५९ में था लेकिन गासिबाना कब्जा था। श्रीमान् लोग यह कहते हैं कि जहां तक इन ९९ या, ९९९ केसेज का ताल्लुक है, जिनको इस प्रोटेक्शन की आवश्यकता है जो गरीब हैं, निर्धन हैं, कमजोर हैं वे असरदार, मालदार जमींदार या अन्य खातेदारों के द्वारा भूमि पर से निकाले जा रहे हैं, जिनके पास लिखित एग्रीमेंट न हो, लेकिन कंसेंट अवश्य थी, उनके प्रोटेक्शन के लिये सरकार इस बात के लिये राजी नहीं है कि वह हजार में से एक या १०० में से १ केस के लिये यहां कोई प्रतिबन्ध जोड़ दिया जाय जिससे जमींदार या खातेदार उसका गलत फायदा उठाने लग जांय। और इन ९९ या ९९९ के हक में कोई बात ऐसी आ जाय जिससे इनको उतना फायदा न मिल सके जितना कि सरकार इस विधेयक के द्वारा देना चाहती है। श्रीमान्, केवल यही एक प्रश्न है और इसी प्रश्न पर माननीय मुख्य मंत्री ने अपना भाषण दिया और राजस्व मंत्री ने भी। इसलिये मैं इस बात को फिर दोहराना चाहता हूं यहां पर कि जो एक्जिक्यूटिव इन्क्वायरी रक्खी गई है इसलिये किसी बोनाफाइड काश्तकार के लिये इस संशोधन को मान लेने से किसी प्रकार की भी दिक्कत नहीं होती। हां, यह अवश्य है और इस में मतभेद हो सकता है कि हजार में एक केस हो या १० हों वह इसमें नहीं आ सकेंगे और दुनिया यह कहेगी कि सरकार ने कम से कम इस विधेयक के द्वारा यह ऐलान कर दिया है कि १३५६ तक गासिबाना कब्जे को हमने काश्तकारों के हक में माना, चोर लुटेरे और डाकुओं को मान लिया लेकिन अब हम यह बरदाश्त नहीं करेंगे कि काश्तकारों के फायदे को सामने रखते हुये उसमें एक भी चोर या डाकू या लुटेरा फायदा उठा सके।

श्री चरण सिंह—माननीय उपाध्यक्ष, मुझे कुछ नहीं कहना है सिवा एक बात के और वह यह कि कब्जा ही साबित करना मुश्किल होता है क्योंकि जमीन बोलती नहीं कि किसका कब्जा है, न बैल बोलते हैं कि किसने उस खेत को जोता है। बड़ी मुश्किल चीज है। जैसा माननीय मुख्य मंत्री ने कहा कि यह साबित करना मुश्किल हो जायगा। दूसरी बात नेचर आफ पजेशन के बारे में कही गई। पजेशन साबित करना होगा लेकिन आप कहते हैं कि नेचर आफ पजेशन जो है वह ट्रेसपासर है या क्या है। इसे डिप्टी कलेक्टर साबित करे जो तहरीर नहीं है। तो यह समझ लीजिये कि शत प्रति शत केसेज में वह ट्रेसपासर ही

लिखा जायगा। अगर आपका संशोधन मान लिया तो मेरे मित्र का जो संशोधन है उसका मंशा ही खब्त हो जायगा और जो आप उससे चाहते हैं वह तो होगा नहीं, बल्कि गरीब लोग मर जायेंगे जिनकी रक्षा का इन्तजाम सोचा जा रहा है। इन शब्दों के साथ मैं इसका विरोध करता हूं।

उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ३ के स्पष्टीकरण से पहले निम्नलिखित प्रतिबन्ध रख दिया जाय--

"किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि खातेदार यह साबित करदे कि उक्त व्यक्ति का उस की भूमि पर कब्जा गासिबाना था तो ऐसी स्थिति में उक्त व्यक्ति का कब्जा अवैध माना जायगा"।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ।

पक्ष में---२
(विपक्ष में---१६८)

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)---उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं यह संशोधन उपस्थित करना चाहता हूं कि खंड ३ के स्पष्टीकरण के अन्त में निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक वाक्य बढ़ा दिया जाय--

"किन्तु यह स्पष्टीकरण उन जोतों के लिये लागू नहीं होगा जिन सीरदारों या भूमिधरों के पास उस भूमि के अलावा ३० एकड़ भूमि पहले से मौजूद हो।"

उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक मौजूदा विधेयक का संबंध है इसमें ऐसे लोगों को अधिकार दिया जा रहा है कि जिनका खेती करने के रूप में १३५९ फसली में कब्जा रहा हो और एक तरह से नये सिरे से फिर भूमिधर, सीरदार, अधिवासी और असामी का वर्गीकरण किया जा रहा है। इस बिल की यह भी मंशा है और इसके अनुसार जैसी भी स्थिति होगी कोई सीरदार, अधिवासी या असामी बन जायगा। मैंने जो संशोधन पेश किया है वह यह है कि अगर किसी भूमि पर किसी का कब्जा १३५९ में हो लेकिन अगर सीरदार याभूमिधर के पास ३० एकड़ से ज्यादा हो तो वह छोड़ दी जाय और ज्यादा पर जैसी भी स्थिति हो दूसरे व्यक्ति का नाम लिख दिया जाय सरकारी दल की तरफ से कहा जा सकता है कि यह भूमि के बटवारे का प्रश्न है। यह प्रश्न ऐसा नहीं है। हमारे जमींदारी विनाश अधिनियम में भी ऐसे प्रतिबन्ध लगाये गये हैं कि फ्यूचर होलडिंग्ज ३० एकड़ से ज्यादा न हों और पिछली होलडिंग्ज के लिये कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया है चाहे वह हजार एकड़ की ही क्यों न हों लेकिन इस अधिनियम में कई जगह इस बात का प्रयत्न किया गया है कि ३० एकड़ से ज्यादा जमीन भविष्य में कोई न ले और यह विधेयक भी भविष्य के राइट्स के लिये है इसलिये यह असंगत नहीं है बल्कि सही मानों में उस जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम की पूर्ति करता है। इस संशोधन की सपोर्ट में मैं आपकी आज्ञा से जमींदारी विनाश अधिनियम की धारा १३ का उपखंड ३ (ख) पढ़ना चाहता हूं उस में लिखा है कि :--

"यदि वह उक्त उपधारा के खंड (ख) में आने वाली भूमि हो तो ३० एकड़ से अधिक, रखने के लिये"

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ठेकेदार इस प्रकार अनुज्ञात भूमि ठेके की अवधि के बाद रखने का अधिकारी न होगा और उस अतिरिक्त भूमि को जो उस खंड (ख) के अधीन ३० एकड़ से ऊपर मिली हो, वह गांव सभा की ओर से असामी होगा और उसके निमित्त उस लगान का देन दार होगा जो निहित होने के दिनांक से ठीक पहले के दिनांक पर लागू मौरूसी दर के अनुसार हो।

इस उपखंड के जरिये से प्रतिबन्ध लगाया गया है कि भविष्य में होलडिंग ३० एकड़ से अधिक न हो और ठेकेदार तक का इस प्रतिबन्ध में जिक्र है। अगर ३० एकड़ से ज्यादा होगी तो वह भूमि असामी को चली जायगी। इसी अधिनियम की धारा १५४ में भी बताया गया है और वह इस प्रकार है "यदि किसी भूमिधर द्वारा किये जाने वाले विक्रय

[श्री राम नारायण त्रिपाठी]

या दान के परिणामस्वरूप कोई व्यक्ति इतनी भूमि का अधिकारी हो जाता हो, जितने से मिलकर उस के परिवार की समस्त भूमि ३० एकड़ से बढ़ जाय तो, जब तक वह व्यक्ति कोई दानोत्तर स्थापित संस्था न हो, तब तक उक्त भूमिधर को यह अधिकार न होगा कि वह ऐसे व्यक्ति के पक्ष में कोई ऐसा संक्रामण कर सके । "मतलब यह है कि कोई बेचना चाहता है या गिफ्ट करना चाहता हो तो जमीन पाने वाला अपने पास ३० एकड़ से ज्यादा नहीं रख सकता । इसके बाद इसी जमींदारी अधिनियम में धारा १९६ में भी एक और लिमिट बांधी गई है जो ३० एकड़ की तो नहीं बल्कि ५० एकड़ तक जाती है । उस में यह है कि "यदि कोई भूमि धारा १३ की उपधारा (२) के खंड (ख) के उपखंड (२) तक अधीन खाली हो जाय और ऐसी भूमि निहित होने के दिनांक से ठीक पहले के दिनांक पर किसी ऐसे मध्यवर्ती के स्वामित्व में रही हो, जिस की सीर में धारा १० के अधीन मौरूसी अधिकार उत्पन्न हो गये हों तो गांव सभा ऐसे मध्यवर्ती की प्रार्थना पर प्रार्थी को ऐसी भूमि या उस का भाग सीरदार के रूप में उठा देगी, किन्तु प्रार्थी भूमि के इस प्रकार उठाये जाने के परिणाम-स्वरूप ऐसी भूमि का अधिकारी न होगा, जो उस भूमि से मिल कर, जो उस के पास हो, उत्तर प्रदेश में ५० एकड़ से अधिक हो जाय ।" मतलब यह है कि यह बन्धन वहां भी, ३० एकड़ का तो नहीं लेकिन ५० एकड़ का लगाया गया है । अगर हम इस तरह का कोई प्रतिबन्ध इस विधेयक में भी रख देते हैं तो हम मूल कानून के विरुद्ध नहीं जाते हैं । हमारे माल मंत्री जी ने इकानामिक होल्डिंग से संबंध रखने वाले एक संशोधन के सिलसिले में कहा था कि इस विधेयक का स्वागत तब होगा जबकि सोशलिस्ट पार्टी का राज्य हो जाय और भूमि का बटवारा होने लगे । सोशलिस्ट पार्टी केवल भूमि का बटवारा ही नहीं चाहती है । महात्मा गांधी के सिद्धांतों पर चलने वाले श्री विनोबा भावे ने आज सारे देश में एक वातावरण फैला रखा है और उससे प्रभावित होकर अभी हाल में कांग्रेस वर्किंग कमेटी में भी यह बात डिसकस हुई थी । उन्होंने यह समझा कि सचमुच यह अन्याय मालूम होता है कि किसी के पास तो हजारों एकड़ जमीन हो और किसी के पास कुछ भी न हो जिसके खानदान में १० और २० आदमी हैं इसे उन्होंने उचित नहीं माना कि जिसके खानदान में २ या ३ ही मनुष्य हैं वह हजारों एकड़ जमीन का मालिक बना रहे । उन्होंने कोई निश्चित फैसला तो नहीं किया और मालूम नहीं क्या नहीं किया । मगर उनकी नजरों में भी यह बात खटकी जरूर । कांग्रेस को इस संबंध में जल्दी फ़ैसला करना होगा । मैंने जमींदारी विनाश कानून की कई धाराओं को पढ़कर यह साबित किया कि हम कोई नई बात नहीं करने जा रहे हैं । एक प्रश्न यह भी उठ सकता है कि दिक्कत यह होगी कि यदि कोई आदमी किसी को खेती के लिये जमीन दे दे, नौकर के रूप में या ठेकेदार के रूप में, तो हम यदि उसका कब्जा मान लेते हैं तो सारे खेती करने वालों के सामने एक समस्या उत्पन्न हो जायगी और कोई किसी को सहायक के रूप में नहीं रखेगा । श्रीमान् जी, मौजूदा बिल में व्यवस्था है कि अगर दोनों पक्ष रजामन्द हो जायं कि हम सिर्फ एक साझी काश्त की हैसियत से काम करते हैं तो उस समय साझीवाले को कोई अधिकार नहीं होगा । तो हमारे संशोधन से भविष्य के लिये कोई खतरा नहीं है । हमारा संशोधन नैतिक भी है कि ३० एकड़ एक आदमी के लिये काफ़ी है । उसके बाद जो फाजिल जमीन हो वह ऐसे लोगों को देनी चाहिये जिनके पास बिलकुल जमीन नहीं है । यह संशोधन इस बिल के उद्देश्य और कारण का भी समर्थन करता है । इन शब्दों के साथ मैं आशा ही नहीं बल्कि विश्वास करता हूं कि माननीय राजस्व मंत्री जी हमारे संशोधन को मंजूर करके इस बिल को सही मानों में अनुपूरक बिल बनावेंगे ।

श्री रामलखन मिश्र--आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, जो संशोधन हमारे मित्र माननीय रामनारायण जी ने प्रस्तुत किया है उसके प्रस्तुत करने में एक बड़े सिद्धान्त का उल्लंघन किया गया है । जमींदारी अबालीशन ऐक्ट में यह सिद्धान्त स्वीकार किया

गया है कि भूमिधर या सीरदार या किसी के खेत में जो साझीदार हो, अर्थात् जो केवल उसमें सहायता करता हो, तो चाहे वह ३० एकड़ से ज्यादा की हो या कम की हो उसमें उसे हक क़ब्जा नहीं लगेगा और यह एक उचित सिद्धान्त भी है। मैं नहीं समझ पाता हूं कि ३० एकड़ से अधिक है या उसमें कोई साझीदार है या सहायता करता है तो उसमें उसे कोई हक़ क़ब्जा लग जाय। अगर यह हक़ लग भी जाय तो किस खेत में लग जाय, यह भी एक महत्व का प्रश्न होगा क्योंकि स्पष्टीकरण तो किसी खेत विशेष का है नहीं। यह इसलिये असंगत सा प्रतीत होता है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं दिखाई पड़ती जो मानने के योग्य हो। हां, एक सद्भावना है कि किसी जोतदार को जो साझी करता हो चाहे किसी बड़े काश्तकार के साथ उसे कुछ दे दिया जाय लेकिन यह वैधानिक रूप में परिणित नहीं किया जा सकता। ऐसी अवस्था में मैं समझता हूं कि वह एक कनफ्यूज्ड थिंकिंग के कारण ही ऐसा संशोधन लाये हैं। यदि इस पर गम्भीर दृष्टि डाली जाय तो जब तक मूल ऐक्ट के सिद्धान्त को संशोधन नहीं कर दिया जाता तब यह उस पर लागू ही नहीं हो सकता, विशेषकर इस एग्जीक्यूटिव पड़ताल के सिलसिले में। यह मौजूदा विधेयक तो जांच पड़ताल के लिये रखा गया है। जो ऐसा काश्तकार हैं जो अपनी दरिद्रता के कारण अपना नाम पटवारी के यहां नहीं लिखा सका है उनके लिये सरकार का यह कर्तव्य हो जाता है कि कब्जे के आधार पर वह कागजात को ठीक कराये। ऐसी अवस्था में यह विधेयक लाया गया है। यदि इसके अन्दर ३० एकड़ की समस्या को हम मान लें तो एक कठिनाई और बढ़ जायगी कि जो नाम लिखाने वाला है उसे आवश्यकता होगी कि ऐसे जोतदार की समस्त जोतों को देखे कि ३० एकड़ से ज्यादा है और पटवारी के सब कागजों को इकट्ठा करें। इस तरह वह एक महान् कठिनाई में पड़ जायगा। तो इस बिल का उद्देश्य ही गिर जायगा। मैं नहीं मानता कि प्रस्तावक महोदय को यह सब कठिनाइयां स्वीकार होंगी। मैं जानता हूं कि जिन लोगों को लीगल टैक्नी-कैलीटीज़ का परिचय नहीं है या कानून का ज्ञान नहीं है, केवल सद्भावना है, उनको कभी कभी वेग जनरलाइजेशन करना पड़ता है और बहुत ईमानदारी के साथ वे अपने भावों को भाषा में लाने का प्रयत्न करते हैं। पर जैसी कि विचार करने की एक श्रृंखला कानून में बांधी गई है वह उसके विपरीत पड़ती है। मैं यह समझता हूं कि प्रस्तावक महोदय अपने संशोधन को अवश्यमेव उठा लेंगे क्योंकि जिसके हक़ में वह उसे लाना चाहते हैं उसी के पथ में एक बड़ी कठिनाई उत्पन्न हो जायगी और वह यह कि ३० एकड़ से ऊपर है या नीचे है इसके बारे में सबूत उसी के जिम्मे होगा और कुछ घंटों में ही उसे यह करना होगा। कोई लेखबद्ध पड़ताल तो होगी नहीं जो उसे कुछ समय मिल सके। दूसरे सिद्धाततः उसमें दोष है। तो ऐसी स्थिति में मैं इस संशोधन में कोई तत्व नहीं देखता।

श्री भगवती प्रसाद शुक्ल (ज़िला बाराबंकी)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री रामनारायण जी के संशोधन का विरोध करना चाहता हूं। जैसा कि अभी मिश्रा जी ने कहा बड़े अच्छे विचार होते हुये भी कानूनी टैक्नीकैलीटीज़ का ज्ञान न होने के कारण ऐसे संशोधन आ जाते हैं जिनकी वजह से बड़ी कठिनाई पड़ जाती है। यह विधेयक लैंड रिफार्म्स का ही अमेंडमेंट है। जैसा कि स्वयं संशोधक महोदय ने बताया और उन्होंने ३ धाराओं को पढ़ा जिनमें ३० एकड़ की लिमिट लैंड रिफार्म्स ऐक्ट में ही रखी हुई है और ऐक्ट में हर जगह ३० एकड़ ही की बात है तो फिर इस संशोधन विधेयक में ३० ऐकड़ को बढ़ाना मेरी समझ से कोई भी वाजिब बात नहीं मालूम होती। जब मेन ऐक्ट में एक बात दी हुई है तो वह संशोधक विधेयक में खामख्वाह ही लागू हो जायगी। इसमें उन शब्दों के लगा देने से एक ऐनोमली पैदा हो जायगी और मैं ख़याल करता हूं कि संशोधक महोदय

[श्री भगवती प्रसाद शुक्ल]

स्वयं भी कोई झगड़ा बढ़ा देना नहीं चाहते। वह तो अपने संशोधन से केवल यह चाहते हैं कि कुछ लोगों को सुविधा हो जाय। जब हम किसी को कोई सुविधा देना चाहते हैं तो उसके लिये बेकार की मुक़दमेबाजी बढ़ाना, झगड़ा बढ़ाना, शब्दों की खींचातानी करना मैं समझता हूं वे पसन्द न करेंगे। यदि वे इस कानून की इंट्रीकेसी समझेंगे तो मैं ख़याल करता हूं कि वे इस संशोधन पर जोर न देंगे। इसमें कानूनी खास बात यह है कि जब मेन ऐक्ट में ३० ऐकड़ की बात कही गयी है तो फिर अमेंडमेंट ऐक्ट में फिर से ३० एकड़ की बात कहना लाभकर नहीं है। इससे कोई विशेष लाभ नहीं हो सकता। ऐसी परिस्थिति में यह संशोधन अनावश्यक हो जाता है।

श्री ब्रजविहारी मिश्र (जिला आजमगढ़)---माननीय अध्यक्ष महोदय, जो संशोधन प्रस्तुत किया गया है उसको अगर पढ़ा जाय और स्पष्टीकरण को पढ़ा जाय जिसमें यह शब्द आये हैं---

"यदि कोई व्यक्ति उक्त भूमि पर भोग बंधकी (मार्टगेजी विद पज़ेशन) या ठेकेदार के रूप में खेती करता हो अथवा खेती का काम वास्तविक रूप में करने में, सम्बद्ध भूमिधर, सीरदार, अधिवासी या असामी की केवल सहायता करता हो या उसके साथ साझेदारी के रूप में काम करता हो, तो उसके संबंध में यह नहीं समझा जायगा कि वह उक्त भूमि पर खेती करने के रूप में क़ाबिज़ है।"

यह स्पष्टीकरण पास किया गया है। इस पर माननीय त्रिपाठी जी ने एक संशोधन पेश किया है जो उसके पश्चात् इस प्रकार बढ़ जायगा---

"किन्तु यह स्पष्टीकरण उन जोतों के लिये लागू नहीं होगा जिन सीरदारों या भूमिधरों के पास उस भूमि के अलावा ३० एकड़ भूमि पहले से मौजूद हो।"

इसका अर्थ यह है कि यह स्पष्टीकरण साफ तौर पर यह बतलाता है कि जो साझीदार है उसको हक इस खाते में दिया जाय जिसके पास ३० एकड़ से अधिक भूमि हो। यानी अगर ४० एकड़ या इससे अधिक भूमि हो जाय तो उसके साझीदार को यह अधिकार होगा जो दूसरों को प्राप्त होगा। सीधी सीधी बात यह है कि जो १३५९ फसली में काबिज है और जिसका नाम काग़ज़ात में दर्ज नहीं है उसका नाम दर्ज करने के लिये यह विधेयक प्रस्तुत किया गया है। उसमें आप संशोधन लाते हैं कि जो भूमिधर साझीदार होगा उसको हक़ नहीं दिया जायगा जब तक कि यह न देखा जाय कि उस भूमिधर का कब्जा कितनी आराजी पर है। आपका जो संशोधन है उसका यही मतलब है कि ३० एकड़ से ऊपर के जो खातेदार हैं उन सब के साझीदारों को यह हक़ प्राप्त हो जाय। यह जो स्पष्टीकरण है उसी से यह भाव स्पष्ट हो जाता है तो फिर ३० एकड़ का प्रश्न ही नहीं आता है। ३१ एकड़ या ४० एकड़ मान लें कि खातेदार का रकबा है। उसका खाता अगर ४० एकड़ का है तो इसका अर्थ यह होगा कि ३० एकड़ पर हक नही होगा और १० एकड़ पर होगा। यह भी तो आप स्पष्ट नहीं करते और आपके संशोधन से यह भी पता नहीं चलता है कि आपकी मंशा क्या है। आप चाहते हैं कि ३० एकड़ पर हक न रहे और ३० एकड़ से ज्यादा जो रकबा हो उसमें जो साझीदार हो उसे अधिवासी का हक़ प्राप्त हो जाय। क्या आपके इस संशोधन का यही अर्थ है? जैसा कि अभी अन्य सदस्यों ने कहा कि माननीय त्रिपाठी जी को कानून का ज्ञान नहीं है ऐसा मैं नहीं समझता हूं। उनको कानून का ज्ञान है लेकिन हम समझते हैं कि वे कुछ ग़लतफहमी में पड़ गये हैं, उनको थोड़ा 'कंफ्यूजन' मालूम होता है। अगर वे समझते

हैं कि ३० एकड़ से ज्यादा जमीन हो वह दूसरे को दे दी जाय तो उन्हें दूसरा स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना चाहिये था। उसमें भी लीगल टेकनिकैलिटी के कारणों से कुछ ऐसा अर्थ किया जाता है तो उस अर्थ का अनर्थ हो जाता है। मैं समझता हूं कि इसके ऊपर ज्यादा समय लेने की आवश्यकता नहीं है। यह संशोधन सेल्फ कंट्रेडिक्टरी हो जाता है। इस संशोधन को प्रस्तुत करके हमारे माननीय सदस्य जो उससे किसानों को लाभ पहुंचने की आशा करते हैं वह किसानों को प्राप्त नहीं होगा। इसलिये मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि वे अपने संशोधन को वापस ले लें।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं जो संशोधन माननीय रामनारायण त्रिपाठी ने इस सदन के सामने रखा है उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मुझे आज बड़ी खुशी हुई कि उधर से कुछ लोग इस बिल पर बोले और अपनी राय जाहिर की। सफाई म इस बात की देना चाहता था कि माननीय रामनारायण त्रिपाठी वकील भी हैं। माननीय मिश्र जी ने अभी कहा भी कि वे कानून से वाकिफ हैं इसलिये हम जानते हैं कि ऐसे मामले में कानूनी अड़चनें कहां पर पड़ती हैं। वैसे तो जहां तक इस जमींदारी उन्मूलन का सवाल है, मैं जिस इलाके से आया हूं वहां यह लागू नहीं होता है। इसलिये मैं इसकी इंट्रीकैसी में न जाकर यही कहना चाहता हूं कि हमारी सोशलिस्ट पार्टी ने भी कहा है कि किसी के पास ३० एकड़ से ज्यादा जमीन नहीं होनी चाहिये। मैं समझता हूं कि वही सिद्धान्त अगर आज नहीं तो थोड़े दिनों के बाद कांग्रेस की तरफ से भी आयेगा कि किसी के पास ३० एकड़ से ज्यादा जमीन नहीं होनी चाहिये और यही उद्देश्य माननीय रामनारायण त्रिपाठी का भी था कि अगर किसी सीरदार या किसी भूमिधर के पास कहीं और जगह पर ३० एकड़ से ज्यादा जमीन है और वह जमीन ऐसी है जिसमें वह किसी के शिरकत में जमीन कमाता है तो उनकी मंशा यह है कि जो उस जमीन को कमाता है उसके नाम पर वह जमीन कर दी जाय ताकि ज्यादा जमीन उस सीरदार या भूमिधर के पास न रहे। सब लोग कहते हैं और इस बात को मानते हैं कि जो खेती करता है वही उस जमीन का मालिक होना चाहिये। तो अगर इस सिद्धान्त को हम मानते हैं तो फिर जो आदमी खेती करता है चाहे वह कोई भी क्यों न हो उसको वह जमीन मिल जानी चाहिये बशर्ते कि वह उस जमीन पर क्लेम करता है या साबित करता है कि उसके पास ३० एकड़ जमीन और जगह है। इस सिद्धान्त को लेकर हम लोग किसी के पास ३० एकड़ से अधिक जमीन नहीं चाहते हैं। इसी चीज को सामने रख कर माननीय रामनारायण त्रिपाठी ने इस संशोधन को सदन के सामने रखा है। मैं समझता हूं कि इसमें कानूनी अड़चन की कोई बात नहीं है। और कानून में तो अड़चनें होती ही हैं। आखिर वकीलों के लिये भी तो कोई चीज मौजूद रहनी ही चाहिये जिससे वे अदालतों के सामने अपना अपना इंटरप्रीटेशन तो कर सकें। चूंकि इसमें कानूनी अड़चनें पड़ जायंगी इसलिये आप इस संशोधन को नहीं मानना चाहते, इसमें मैं कोई तथ्य नहीं देखता। इसलिये मैं आशा करता हूं कि हमारे माननीय राजस्व मंत्री जी इस पर विचार करेंगे और इस संशोधन को मान लेंगे ताकि जो जमीन करने वाले हैं, वास्तव में किसान हैं वे इस जमीन के मालिक समझे जायं। इतना कह कर मैं इस संशोधन का समर्थन करता हूं।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे साथी रामनारायण त्रिपाठी जी ने जो संशोधन रखा है उसका समर्थन करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। अभी सरकारी पक्ष के तीन साथियों के भाषण सुनने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि कल से जो आज तक इस विधेयक

[श्री रामसुन्दर पांडेय]

पर वादविवाद हो रहा है और जिस पर यह पहला मौका है कि हमारी प्रवर समिति के तीन माननीय सदस्य रामलखन जी शुक्ल, माननीय भगवती प्रसाद जी शुक्ल, और माननीय व्रजविहारी मिश्र के भाषण हुये। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कल से आज तक जितने संशोधन आये, मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि उन संशोधनों में से किसी पर उनको बोलने की जरूरत महसूस नहीं हुई लेकिन क्या बात है कि यह संशोधन जो हमारे साथी रामनारायण जी ने रखा है उसी पर उनको बोलने की आवश्यकता प्रतीत हुई। मैं अदब के साथ कहना चाहता हूं कि इस प्रकार के जो संशोधन हैं उन पर वह इसलिये बोले कि स्वार्थों पर धक्का लग रहा था।

श्री व्रज विहारी मिश्र--पर्सनल एक्स्प्लेनेशन हम लोग बोलने के लिये खड़े हुये थे लेकिन मौका नहीं दिया गया।

श्री रामसुन्दर पांडेय--उपाध्यक्ष महोदय, मैं भली प्रकार से जानता हूं कि कोई भी आदमी त्यागी बन सकता है लेकिन केवल शब्दों में। परन्तु जब उसके स्वार्थ पर धक्का लगने की बात आ जाती है और खुद ही ऐसे कायदे कानून बनाने की बात आती है तभी जब उनकी ही चल और अचल सम्पत्ति पर धक्का लगने की बात होती है तो उसके विरोध में बोलने की कोशिश करते हैं। मैं अदब से कहना चाहता हूं कि यह आदर्श रहा है कांग्रेस ऐसी महान् संस्था का और आज भी है और आचार्य विनोबा भावे जी इस प्रदेश में अभी घूमे हैं। मैं भली प्रकार जानता हूं कि सरकारी सदस्य और मंत्रिमंडल के लगभग सभी सदस्यों ने उनसे बातें की हैं और सब ने स्वीकार किया कि जिनके पास जमीन ज्यादा है जो जोत नहीं सकते, जो बो नहीं सकते उन्हें खुशी खुशी भूमि दे देनी चाहिये, उन लोगों को जो भूमिहीन हैं, जो खेत के भूखे हैं लेकिन खेत है नहीं जिसमें जोत बो सकें। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बहुत चिन्ता होती है और विषय भी चिन्ता का है कि जो लोग आचार्य विनोबा भावे के साथ घूमते रहे, जिन लोगों ने भूमिदान के लिये अपीलें निकालीं, जिन लोगों ने उनके साथ गांवों में जाकर भाषण किये, जिन लोगों ने जाकर बड़े बड़े जमींदार से जमीनें मांगी वही लोग जब सवाल आता है कि इस प्रदेश में जिन लोगों के पास तीस एकड़ से ज्यादा जमीन है या जो इस तरह की जमींदारों की जमीन पर हलवाही करते हैं और सेवा करते हैं और उस सेवा के बदले जो जमीन उसको मिली हुई है उस पर उसको हक़ मिलना चाहिये तो वही लोग जो आदर्श की बातें करते थे उसके विरोध में खड़े हो जाते हैं, यह चिन्ता का विषय है और बड़ी गम्भीर समस्या है हमारे प्रदेश के लिये। एक तरफ तो करोड़ों एकड़ जमीन ऐसी है जो परती पड़ी हुई है और दूसरी तरफ करोड़ों आदमी हमारे देश में ऐसे हैं जिनको जमीन की भूख है और ऐसे लोगों को हमारे माननीय सदस्य और माननीय राजस्व मंत्री जमीन देना नहीं चाहते। जो सही मानों में खेती करके गल्ले की समस्या को हमारे प्रदेश की हल करते हैं। एक दूसरी बात और खतरनाक होती है। हमने प्रवर समिति में भी इसका विरोध किया था और आज भी विरोध प्रदर्शित करना चाहता हूं।

श्री नोकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)--यह भाषण संशोधन के सम्बन्ध में हो रहा है या प्लेटफार्म पर भाषण हो रहा है।

श्री रामसुन्दर पांडेय--मैं समझता हूं कि संशोधन के पक्ष में ही हो रहा है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे माननीय सदस्यों को इस तरह के भाषण सुनने से दिल में कुछ खलबली सी मचती है और तरह तरह की बात सदन में उठायी जाती है। मैं आपके द्वारा माननीय सदस्यों से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि थोड़ी

देर के लिये हम लोगों की बातें सुनें, बहुमत आपके हाथ में है, शक्ति आपके हाथ में है हमारी बातें चाहे मानें या न मानें लेकिन मैं चाहता हूं कि सही मानों में जो भूमिहीन हैं और जिनको खेत मिलना चाहिये उनको माननीय राजस्व मंत्री और हमारे माननीय सदस्य इस बिल के द्वारा उनको जमीन नहीं देना चाहते। मूल अधिनियम जो सदन के सामने उपस्थित किया गया था मैं जानता हूं कि अगर वह स्वीकृत कर लिया गया होता तो अच्छा था क्योंकि वह इस संशोधित अधिनियम से हजार गुना अच्छा था। मैं अदब से कहना चाहता हूं कि शरीर का ढांचा तो बन गया है लेकिन इस ढांचे में शक्ति नहीं है बोलने की अगर माननीय रामनारायण जी का संशोधन स्वीकार कर लिया जाता है तो उसमें उस ढांचे में शक्ति आयेगी। करोड़ों आदमी जो इस देश में हलवाहीगीरी करते हैं और जिनके पास खेत नहीं है उनको जमीन मिलेगी और उन लोगों को नुकसान नहीं पहुंच सकता जिनके पास तीस एकड़ से ज्यादा जमीन है। मैं नहीं समझता कि जमींदारी उन्मूलन ऐक्ट में जब कि यह स्वीकार कर लिया गया है कि किसी परिवार को तीस एकड़ से ज्यादा जमीन नहीं दी जायगी। जब यह स्वीकार कर लिया गया है तो जो अधिनियम इस सदन में उपस्थित किया गया है उसमें यह स्वीकार कर लेने में क्या संकोच है, क्या हिचकिचाहट है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह जानता हूं कि बहुत से इस सदन में सम्मानित सदस्य हैं जिनके पास तीस एकड़ से ज्यादा जमीन है और वह समझते हैं कि अगर यह संशोधन हम लोगों का बहुमत में रहते हुये स्वीकार कर लिया जाता है तो इसके माने होंगे कि हमारे हाथों से ही हमारी कमाई चली जायगी। लोग सोचेंगे कि चले थे पहाड़ खोदने और निकली चुहिया। चले थे असेम्बली में कायदा कानून बनाने अपने हित के लिये लेकिन यह तो कायदे कानून बनाए गये ग़रीबों के लिये, भूमिहीन मजदूरों के लिये। और इसीलिये साथी रामनारायण जी के संशोधन का इतने जोरों से विरोध किया जा रहा है। मैं आपके जरिये से माननीय राजस्व मंत्री से और अपने माननीय सदस्यों से खासकर के उन लोगों से जैसे माननीय रामनरेश जी शुक्ल हैं माननीय रामलखन जी मिश्र हैं या माननीय भगवती प्रसाद शुक्ल हैं जो कहते हैं कि मैं किसान हूं, जो अपने को कहते हैं कि हम तो खेती पर जिन्दा रहते हैं, जो कहते हैं कि वे गरीबों और भूमिहीन किसानों के हमदर्द हैं वैसे लोग हैं वह यहां पर तो नहीं कह सकते कि इस तरह के कानून की पाबन्दी हो लेकिन बाहर इसका समर्थन नहीं कर सकते। लेकिन जब बाहर जायेंगे तो जितने सदस्य हमारे साथ हैं उनसे ज्यादा लम्बी चौड़ी बातें कर सकते हैं।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)—प्वाइन्ट आफ आर्डर। माननीय सदस्य ने समस्त हाउस के मेम्बरों पर अटैक किया है। मैं समझता हूं कि यह गलत बात है। ऐसा नहीं होना चाहिये।

श्री रामसुन्दर पांडेय—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, तो मैं आपके द्वारा चाहता हूं कि हमारे माननीय सदस्य जो कि सही मानी में चाहते हों कि भूमिहीन किसानों को जमीन मिले, सही मानी में आचार्य विनोबा भावे का समर्थन करना चाहते हैं, आचार्य विनोबा भावे ने अभी कहा है कि जमींदारी मिटाने से क्या लाभ जब हजारों की कतार में ऐसे लोग मौजूद हैं जिनके पास भूमि नहीं है। या सही मानी में चाहते हैं कि लोग गांधीवादी कहलायें और सही मानी में अगर उनके पास कोई कसौटी है तो वह यही हो सकती है कि तीस एकड़ से ज्यादा जिनके पास जमीन है और अगर उस पर किसान आबाद हैं तो उन को भी हक़ मिलना चाहिये।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत ताज्जुब में पड़ा माननीय रामलखन मिश्र की दलील सुन कर। उन्होंने कहा कि यह गणना करना कि तीस एकड़ से ज्यादा जमीन जोतने वाले कितने लोग हैं इस की गणना करना बहुत मुश्किल है। ताज्जुब होता है।

[श्री रामसुन्दर पाण्डेय]

जिस सरकार के पास इतनी शक्ति हो, जिसके आदमी गांव गांव में हों, उस सरकार के पक्ष के लोग यह कहें कि कैसे यह गणना की जायगी। मैं समझता हूं कि उन का यह कहना ठीक नहीं है। सरकार के पास यह आंकड़ा सात दिन में मौजूद हो सकता है कि किस आदमी के पास कितना खेत है और कितने खेतों पर दूसरे आदमी काबिज हैं और कितने पर वह काबिज है। यह कहना बहुत नामुनासिब बात है और बहुत से सदस्यों को ताज्जुब में डालने की बात है।

हमारे साथी माननीय पं० ब्रजविहारी मिश्र ने जो संशोधन हमारे सम्मानित सदस्य रामनारायण त्रिपाठी जी ने रखा है उसके संबंध में कहा कि इसको स्वीकार करने से जो मूल स्पष्टीकरण है उसका उद्देश्य खत्म हो जाता है मैं नहीं समझता हूं कि उद्देश्य कैसे खत्म होता है। उसका मतलब यह होता है कि तीस एकड़ से कम की जिस साझीदार या खातेदार के खेत पर कोई काबिज हो तो उस का खेत नहीं निकल सकता है। लेकिन अगर तीस एकड़ से ज्यादा वाले पर कोई काबिज हो तो उसको सीरदार का हक मिलना चाहिये। यह तो सीधी सी बात है। सीधा सा इसका मतलब है। माननीय पं० ब्रजविहारी मिश्र को यह भाव टमका कि यह तो विरोध है। हो सकता है कि माननीय पं० ब्रजविहारी मिश्र के विचार में विरोध हो। लेकिन जो संशोधन है जो स्पष्टीकरण है उससे तो विरोध प्रकट नहीं होता।

इन शब्दों के साथ, मैं आपके द्वारा, यह प्रस्ताव करना चाहता हूं कि हमारे साथी रामनारायण त्रिपाठी जी ने जो संशोधन रखा है सरकार और माननीय सदस्य उसको सहर्ष स्वीकार करें।

श्री ऐजाज रसूल (जिला हरदोई)---जनाबवाला, मैं डिबेट का क्लोजर चाहता हूं।

उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि अब यह डिबेट बन्द किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री चरण सिंह---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विरोधी दोस्तों की ओर से जब बहुत जोशीली और भावपूर्ण तकरीरें होती हैं तो जहां जरूरत से ज्यादा वक्त सर्फ होता है, वहां मुझे एक बात की खुशी भी होती है कि बहुत दिन के गुबार निकल जाने का मौका मिल जाता है, चाहे वह मौका सही हो या नहीं और जब अन्दर से ऐसा गुबार जो भरा हुआ है, निकाले जाने का मौका मिल जाय तो उस आदमी की तन्दुरुस्ती भी अच्छी होती है। तो मैं समझता हूं कि बहुत से लोगों का स्वास्थ्य अच्छा हो जायगा कि उनको पेट अप फीलिंग्स को निकलने का बहाना मिल गया। लेकिन देखना यह है कि वह उचित था या नहीं था, मौका है या नहीं।

तो मेरी गुजारिश यह है कि बिल्कुल बेमौके तकरीरें हुईं और बेमौके यह संशोधन है। कहना आपका यह है कि स्पष्टीकरण में यह बात और जोड़ दी जाय कि "किन्तु यह स्पष्टीकरण उन जोतों के लिये लागू नहीं होगा जिन सीरदारों या भूमिधरों के पास उस भूमि के अलावा ३० एकड़ भूमि पहिले से मौजूद हो।" तो यह कुछ उस एक्सप्लेनेशन में एक प्रकार से प्रोवाइजों जोड़ना चाहते हैं। जो स्पष्टीकरण या एक्सप्लेनेशन है, उसमें यह है कि जो शख्स मुर्तहिन दखली या ठेकेदार या साझीदार के हैसियत से काबिज हो उसका कब्जा नहीं दर्ज किया जायगा, अर्थात् उसको अधिवासी डिक्लेयर नहीं किया जायगा। जहां तक साझीदार का ताल्लुक है, चाहे वह जमीन जिस पर उसका साझा है, एक एकड़ हो या एक हजार एकड़ हो, वह उसके रकबे से बिलकुल गैर मुताल्लिक बात है, उसको तो नेचर देखना है हमको कि

जो कब्जा उसकी हैसियत क्या है, किस किस्म का कब्जा है। यह जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम ने भी उसूल माना है और सिलेक्ट कमेटी ने माना है कि जो आदमी केवल साझीदार है वह काश्तकार नहीं है। वह केवल मददगार है काश्तकार का, इसलिये उसको अख्तियार नहीं दिया गया है। तो अब जिस जमीन में वह साझेदार है उसका रकबा कितना है। उस रकबे का ज्यादा हो जाना, केवल इसी कारण कि उसका रकबा ज्यादा है, इससे उस साझीदार की हैसियत काश्तकार की हो जाय यह बात बिलकुल अक्ल के कहो या मंतिक़ के बिल्कुल बईद बात है। तो यह साझीदार तो यों निकल गया।

अब रहा ठेकेदार। जहां तक ठेकेदार का ताल्लुक़ है, कभी कोई शिकायत मैंने कम से कम यह नहीं सुनी कि ठेकेदारी दर्ज नहीं थी। आम तौर पर जो ठेके होते हैं उनका ठेकेनामा हो जाता है जो ठेकेदार दर्ज होते हैं और दरअस्ल वह काश्तकार होते हैं उसके लिये सेक्शन १२ है अधिनियम का। तो वह भी दर्ज होते हैं। ठेका दर्ज होता है और ठेकेनामा मौजूद होता है। लेकिन ठेकेदारों के मुताल्लिक मेरे कानों में यह शिकायत नहीं पड़ी कि ठेकेदारी दर्ज नहीं थी, जबकि यह विधेयक केवल उन्हीं लोगों की रक्षा के लिये आ रहा है जोकि दर्ज नहीं हैं। इसलिये ठेकेदार भी इससे खारिज हुआ।

अब रह गया मुर्तहिन दखली। तो मुर्तहिन दखली बेशक दोनों तरह के हो सकते हैं वह भी कि जिनका तहरीरी सबूत हो और वह भी जिनका तहरीरी सबूत न हो। आम तौर पर मुर्तहिन दखली के हक में भी तहरीरी सबूत होता है और खास तौर पर जब रकबा ज्यादा हो तो जरूर ही जरूर होता है। अगर रहननामा दखली दर वाकई हो और सबूत न हो तो यह होता है कि रुक्का लिखवाने वाले कर्जख्वाह, क्रेडिटर, ने बजाय रहननामे के सूद के एवज में या सूद और अस्ल दोनों के एवज में एक दो एकड़ जमीन भी ले ली, बस इससे ज्यादा नहीं। मुमकिन है एक आध केस ऐसा मिल भी जाय, लेकिन कहीं भी सूबे में ऐसा नहीं पायेंगे और आम तौर पर यह नहीं होगा कि ३० एकड़ से ज्यादा जमीन हो और मुर्तहिन दखली हो और काबिज हो और सबूत न हो। इसलिये चाहे मुर्तहिन दखली हो या ठेकेदार हो, या साझीदार हो, तीनों सूरतों में हक़ देने वाली बात मेरी समझ में आती नहीं है। तो एक तो यह दलील है।

दूसरी बात यह है कि अब आप अधिनियम को देखिये। अधिनियम में यह कहा गया है। सेक्शन १३ में ठेकेदार के लिये कहा गया है और १४ में मुर्तहिन दखली के लिये कहा गया है कि जितनी जमीन सीर और खुदकाश्त की ठेकेदार के कब्जे में या मुर्तहिन दखली के कब्जे में थी वह सब पहले जमींदार को वापस हो जायगी। अगर आप की बात मैं मानता हूं और अगर सीर और खुदकाश्त तीस एकड़ से ज्यादा हुई तो वह अधिवासी हो जायगा जबकि ऐक्ट यह कहता है कि सीर और खुद काश्त बिला लिहाज रकबा उस जमींदार को वापस हो जायगी, इस तरह इससे कंफिलिक्ट होता है। इसलिये आप का यह संशोधन गैर जरूरी भी है जैसा कि मैंने पहले समझाने की कोशिश की थी। दूसरी बात यह है कि यह अधिनियम की स्प्रिट के बिलकुल विपरीत भी पड़ता है। इसलिये यह संशोधन स्वीकार नहीं होना चाहिये।

अब हमारे भाई माननीय रामसुन्दर पांडेय ने जो स्पीच दी, तो भाई उन्होंने दिल से अपील की, लेकिन दिमाग को वह हमारे अपील नहीं की। दिल की जो बात होती है वह भावुकता की बात होती है और बहुत कुछ बढ़ा करके बात कही जा सकती है। उन्होंने आचार्य विनोबा भावे का जिक्र कर दिया। आचार्य विनोबा भावे जी का जो मिशन है, जो उनका उद्देश्य है, परमात्मा करे वह बहुत जल्दी पूरा हो जाय। यही हम सब की इच्छा है लेकिन उसका इस मामले से क्या वास्ता है। मैं कई बार कह चुका हूं कि जहां तक भूमि के वितरण का वास्ता है वह एक सिद्धांत की बात है और अगर भूमि दान करके उसका वितरण हो तो उसके लिये विनोबा भावे जी को धन्य है और जो उनके साथ काम करते हैं उनको धन्य है।

[श्री चरण सिंह]

इसमें कोई दो राये नहीं हो सकतीं लेकिन जहां तक अमल की बात है हमारे सूबे में भूमि के वितरण की कोई गुंजाइश अब है या नहीं है और भूमि का वितरण हमने किया या नहीं किया इस पर जरा आप गौर करके देखें, महज नारा उठाने से क्या फायदा होता है। भूमि व्यवस्था के संबंध में जो हमारे क्वानीन और यह अधिनियम आदि बने हैं, वाकया यह है कि हमारे देश के दूसरे प्रदेशों में यदि आ जायं तो आप देखेंगे कि जो परिभाषा हम इस्तेमाल करते हैं, जो टर्मिनालाजी हमारी है, उस को दूसरे लोग समझते तक नहीं हैं क्योंकि हम बहुत दूर चले गये हैं। यहां जितनी भूमि थी वह करीब करीब सब वितरित हो गयी है। काश्तकारों को मिल गयी है, माफीदारों को मिल गयी है, ठेकेदारों को मिल गयी है, मुर्तहिनों को मिल गयी है, काश्तकार के काश्तकार को मिल गयी है, सीर के बगैर दखीलकार काश्तकार को मिल गयी है, जो बिला तसफिया लगान दर्ज न थे उनको भी मिल गयी है और जो बंजर भूमि थी उसके लिये भी गांव सभा से कह दिया है कि उसको भी तकसीम कर दो। जमीन के रकबा के कई बार आंकड़े मैं दे चुका हूं और फिर मैं बता देना चाहता हूं कि केवल १ लाख १४ हजार ७ सौ खाते ऐसे हैं जिनका रकबा २५ एकड़ से ज्यादा है। अब अगर उनके पास आप २५, २५ एकड़ जमीन रहने दें तो २४ लाख एकड़ ऐसी जमीन रह जाती है जो कि तक्सीम के लिये होगी। २४ लाख में से १० लाख काश्तकारों के काश्तकार यानी शिकमी काश्तकार और सीर के काश्तकारों के पास आलरेडी मौजूद है। तो १४ लाख एकड़ जमीन रह जाती है। अगर २५ एकड़ के बजाय ३०, ३० एकड़ जमीन हम देते हैं और कानून में ऐसा जरूरी समझा जाय तो केवल ८ लाख एकड़ जमीन रिडिस्ट्रिब्यूशन के लिये अवेलेबिल है। आचार्य विनोबा भावे जी का जो मिशन है उसकी विशेषता तो यह है कि बिना पैसा के दान के रूप में भूमि दी जाती है। दान के तौर पर तो २५ एकड़ से कम वालों ने भी बहुतों ने अपनी भूमि दी है और वे हमारे शुक्रिया के पात्र हैं और वे धन्य हैं। आचार्य विनोबा भावे जी के उद्देश्य से इस संशोधन का जमीन आसमान का अन्तर है लेकिन मैंने जैसा कहा कि किसानों के लिये हमदर्दी हम सब लोगों के दिल में है। हमारे यहां किसान बहुत गरीब है और जमीन भी हमारे किसान के पास बहुत कम है। हम यह चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारा देश हरा भरा हो जाय, सब की इच्छा है लेकिन जब हम सोचते हैं कि इसकी पूर्ति किस तरह से हो सकती है तो हम भूल जाते हैं और कह देते हैं कि जमीन का बंटवारा होना चाहिये और सारा देश हरा भरा हो जायगा। नहीं ऐसा नहीं है। जो इच्छा लोगों के मन में दबी हुई है वह चाहे मेरे दोस्त इधर के बैठने वाले कांग्रेसी हों तो वह तो समझते हैं कि उनके कहने से वक्त खराब होगा क्योंकि मिनिस्टर बिठा रखा है वह कहेगा ही। लेकिन आप लोगों पर कोई लगाम नहीं है और आप मौके बे मौके अपनी भड़ास निकाल बैठते हैं। वास्तव में हम आपके जज़बात की कद्र करते हैं। लेकिन यह बात बेमाने हो जाती है और यह संशोधन ठीक बैठता नहीं है। अगर इसको मान लिया जायगा तो दीवार बिगड़ जायगी। इन शब्दों के साथ मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—उपाध्यक्ष महोदय, इस संशोधन के पक्ष विपक्ष में बहुत से भाषण हुये और बहुत सी बातें लोगों ने एक दूसरे के विरोध में कही हैं। मुझे थोड़ा ही कहना है। एक तो मैं उन साथियों को जवाब देना चाहता हूं कि जिन्होंने यह कहा है कि मैं वकील नहीं हूं इसलिये लीगल टैक्नेकैलिटीज को समझता नहीं हूं। मैं इस बात को मान लेता हूं कि मुझसे ज्यादा बुद्धिमान दुनिया में कोई नहीं है यह मेरा दावा नहीं है और जिस दिन मैं इस बात को मान लूंगा उस दिन मेरी सारी तरक्की रुक जायगी क्योंकि एक आदमी की जिन्दगी अधिक से अधिक १००/१२५ साल की है और ज्ञान इतना विशाल है कि कभी पूरा नहीं हो सकता है तो यह कहने का सौभाग्य तो उन्हीं के रहे कि मैं लीगल टैक्नेकैलिटीज को समझता हूं।

इसके साथ ही साथ श्री व्रजविहारी मिश्र ने जो हमदर्दी दिखाई है उसके लिये मैं उनको बधाई देना चाहता हूं। अगर सचमुच में वह हमारी मंशा को समझते हैं तो उनकी लीगल एड से संशोधन सही रूप में आजायगा और हमारी मंशा भी पूरी हो जायगी और लीगल टैक्नेकैलिटीज भी ठीक हो जायेंगी। मैंने राजस्व मंत्री की बात सुनी। मैंने पहले ही बतला दिया था कि लोगों को भ्रम हो जायगा कि मैं जमींदारी विनाश बिल के विरोध में बोलना चाहता हूं या उसको अमेंड करना चाहता हूं जो प्रस्तुत विधेयक है वह सिर्फ अनुपूरक रूप में है मैंने पहले ही कहा था कि लोगों को आशंका होगी लेकिन ध्यान नहीं दिया गया क्योंकि वह लोग दावा रखते हैं कि हम लोग बेमौके बोलते हैं, जहां मौका हुआ चिल्लाना शुरू कर देते हैं। जब पहले से ही यह धारणा है तब तो हमें कुछ कहना नहीं है। खास तौर से ऐसे मंत्री के सामने जो सोशलिस्ट शब्द को ही गाली समझता हो। उसके सामने कुछ कहना अनर्गल बात है।

यह विधेयक अनुपूरक के रूप में है। जमींदारी कानून के लागू होने के पहले की जमीनों के सम्बन्ध में यह विधेयक है। इसमें एसी जमीनों का जिक्र है जो १ जुलाई, १९५२ के पहले खेती के रूप में कब्जे में रही हैं और उनका इंदराज नहीं है। मैं भविष्य की बात नहीं कहता हूं और न खतरा ही उपस्थित हो सकता है। मैंने शुरू में ही कह दिया था कि अगर आप राइट मान लेते हैं तो ३० एकड़ से ज्यादा वाले को दिक्कत न होगी और जो सहायता करने वाले हैं भविष्य में इस विधेयक से जमीन नहीं मिलेगी मैं यह मानने को तैयार हूं कि अगर कोई दूसरे की सहायता से खेती करता है तो वह खेती का हकदार नहीं है लेकिन न्याय तो यह है कि "Land must go to the tiller of the soil" और सरकार का पक्ष हमारे दृष्टिकोण से गलत है तो उसका सवाल नहीं। लेकिन हम तो यह कहते हैं कि भविष्य के लिये बाधक न हो क्योंकि यह विधेयक भविष्य की जमीनों के लिये लागू नहीं होता बल्कि पिछली जमीनों के लिये लागू होता है। मैंने धारा १३ का जिक्र किया था और राजस्व मंत्री ने उसका स्पष्टीकरण किया था। उसमें ठेकेदार शब्द आया है ठेकेदारी लिख पढ़ कर होती है और जबानी ठकेदारी भी होती है। अगर दावा किया जाय तो कचहरी के सामने यह बात उपस्थित होगी कि हमने लिखा पढ़ा तो नहीं था, आपसी संबंध थे जिससे जबानी ठेकेदारी दे दी। जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था विधेयक की धारा १३ में जो व्यवस्था की गई है उसमें तहरीरी ठेकेदारी तो ठीक है और राजस्व मंत्री उसे ठीक मानते हैं लेकिन अगर कोई ठेका बिना तहरीर के है उसको वह गड़बड़ समझते हैं यह बात मेरी समझ में नहीं आती। अगर कोई दावा जिसकी लिखत पढ़त नहीं है, वह ठेकेदार होने का दावा करे और वही बात वह कहे जो इस अधिनियम की धारा १३ में है तो वह गड़बड़ कैसे हो सकता है। जहां तक जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम का सवाल है उसमें कहा गया है कि भविष्य में किसी को भी शेयरर्स का हक नहीं होगा। भविष्य का खतरा नहीं है परन्तु उन जमीनों का है जो पहली जुलाई, सन् ५२ के पहले इस किस्म के झगड़े में पड़ गई हैं जिसके लिये राजस्व मंत्री को ६ जुलाई को एक अनुपूरक विधेयक लाने के लिये मजबूर होना पड़ा। राजस्व मंत्री ने कहा था कि हम एक अमेंडिंग बिल भी लाने वाले हैं। लीगल टेक्निकैलिटीज और नाइसिटीज की बात उठायी जाती है। सरकारी पक्ष को जब कि सूबे के ६५ करोड़ के बजट में २५ करोड़ सरकारी मशीनरी वह खर्च किया जाता है उस मशीनरी का सहयोग उपलब्ध है परामर्श के रूप में, अभी एक कानून पहली जुलाई, सन् १९५२ को लागू किया गया है लेकिन उसमें भी इतने बड़े सहयोग के बावजूद खामी रह गई। विरोधी पक्ष को यह सब सुविधायें प्राप्त नहीं हैं। जब सुविधाओं की बात कही जाती है तो विरोधी पक्ष का मजाक उड़ाया जाता है और यह समझा जाता है कि यह तो हमारी प्रजातंत्रवादी परम्परा के विरुद्ध है। हम इंगलैंड को अपना गुरु मानते हैं परन्तु वहां तो लीडर आफ दी अपोजीशन को मिनिस्टर के बराबर तनख्वाह दी जाती है ताकि वह जनता के हित में ठीक प्रकार से काम कर सकें। यहां पर हर बात में यह जवाब दे दिया जाता है कि इससे तो बड़ी गड़बड़ी हो जायगी, बड़ी परेशानी हो जायगी, मुकदमेबाजी बढ़ जायगी। मैं सरकारी दल से पूछना चाहता हूं कि जितने कानून

[श्री रामनारायण त्रिपाठी]

हैं हमारे प्रदेश में या देश में जिनके मातहत मुकदमे चल रहे हैं उनको क्या विरोधी दल ने बनाया था, उनके बनाने वाले सरकारी दल वाले ही थे चाहे आज के हों या पहले के हों। तो इतने एक्सपर्टस के बावजूद भी मुकदमें चलते हैं तो हम ऐसे मुकदमों से, परेशानी और गड़बड़ी से नहीं घबड़ाते। हम चाहते हैं कि किसी भी विधेयक से, किसी अधिनियम से जनता को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे। मैं समझता हूं कि इस संशोधन के द्वारा फायदा उनको होता है जिनके पास जमीन नहीं है। इस विधेयक के उद्देश्य और कारण में बड़े जोर से ढिंढोरा पीटा गया कि गवर्नमेंट उनकी तरफदारी करने जा रही है, उनके पक्ष में विधेयक उपस्थित करने जा रही है, जो हरिजन हैं, निर्बल हैं, गरीब हैं। एक तरफ तो इतना ऊंचा व्यापक उद्देश्य की बात कही जाती है, दूसरी तरफ किसी मुनासिब संशोधन को अगर लाया जाता है तो कह दिया जाता है कि वह बेमौके है, बेमानी है। इससे लीगल टेक्निकैलेटिज और नाइसिटीज गड़बड़ हो जाती हैं। इसमें जोत शब्द लिखा हुआ है जिसके मानी यह हैं कि जिस आदमी के पास ३० एकड़ से फाजिल जमीन है, उस पर यदि कोई कोशेयरर है तो वह सीरदार हो जाय, अधिवासी या असामी हो जाय। इसमें अगर शब्दों में कुछ हेरफेर है और सरकार हमारे संशोधन को मानने को तैयार है तो इस प्रश्न को लेकर हम लीगल एसपर्टस की राय को लेने के लिये तैयार हैं और शब्दों में हेर फेर करके उसे लाया जा सकता है। सदन में कई बार ऐसे मौके आये हैं जब कि माननीय अध्यक्ष और माननीय उपाध्यक्ष दोनों ने तरफ की गलतियों को शुद्ध किया है। विनोबा भावे की बात कही गई, उनका जिक्र किया गया। सोशलिस्ट शब्द को राजस्व मंत्री जी गाली समझते हैं जब कि हमारे प्रधान मंत्री अपने को समाजवादी कहते हैं। और माननीय मुख्य मंत्री ने अपने जन्मोत्सव के असवर पर यह बतलाया था कि जहां तक सोशलिस्टों का सवाल है उसमें और कांग्रेस में कोई अन्तर नहीं है। जिस किस्म के सिद्धांत को लेकर सोशलिस्ट चलते हैं कांग्रेस भी उसी सिद्धांत को लेकर चलती है। सैकड़ों बार कांग्रेस ने यह दावा किया है कि हममें और सोशलिस्टों में कोई भेद नहीं है सिर्फ वह इस वजह निकल गये कि उनको सीट नहीं मिली। यह कितनी अनर्गल बात है। हमारी सरकार का तो कोई सिद्धांत ही नहीं है। वह तो यह समझते हैं कि उनका एक बहुमत है जो वह चाहेंगे करालेंगे और हमारी बात चाहे कितनी ही उचित और सही हो और किसानों के हक में हो उसको नहीं माना जायगा। मैं यह जानता हूं कि माननीय राजस्व मंत्री इसको स्वीकार नहीं करेंगे लेकिन फिर भी हमारा कर्त्तव्य हो जाता है कि इसको रखें क्योंकि यह संशोधन सही मानों में इस विधेयक की पूर्ति करता है और किसी तरह से अमेंडिंग नहीं है। इसलिये मैं मजबूर हूं कि इस संशोधन को पेश करूं और इसको प्रेस करूं।

श्री चरण सिंह---उपाध्यक्ष महोदय, मेरी समझ में नहीं आता कि क्या कहूं सिवाय इसके कि मेरी बदकिस्मती है कि मेरी इतनी कोशिश के बाद भी मैं अपना साफ मतलब आपको नहीं समझा सका। सिर्फ इतना और कहता हूं कि जो जमींदारी अबालीशन ऐक्ट में संशोधन आ रहा है उसमें कोई भी तरमीम इस तरह की नहीं की जायगी जो भूमि वितरण से संबंध रखती हो। भूमि वितरण का कोई भी उसूल उसमें रखने का विचार नहीं है क्योंकि हम इसको गैरजरूरी समझते हैं।

उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ३ के स्पष्टीकरण के अन्त में निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक वाक्य बढ़ा दिया जाय---

"किन्तु यह स्पष्टीकरण उन जोतों के लिये लागू नहीं होगा जिन सीरदारों या भूमिधरों के पास उस भूमि के अलावा ३० एकड़ भूमि पहले से मौजूद हो।"

(प्रश्न उपस्थित किया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री दलबहादुर सिंह (जिला रायबरेली)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये से इस भवन में यह अपना संशोधन उपस्थित करता हूं कि खंड ३ के अन्त का स्पष्टीकरण निकाल दिया जाय।

इसके पहले इस भवन में जब यह बिल आया था और जो धारा ३ उसमें थी उसका वह स्पष्टीकरण इस प्रकार था कि एक तो साझीदार और शब्द या था कि जो नौकर के रूप में काम करता रहा हो उसका हक़ उस जमींन पर कब्जे के रूप में नहीं माना जायगा। लेकिन प्रवर समिति में जाने के बाद वहां से जो स्पष्टीकरण आया है उसमें उसकी संख्या और बढ़ा दी गई। अब तो उसमें ठेकेदार, सहायक, भोगबन्धक और बढ़ा दिये गये हैं। मेरा ख़याल है कि इस स्पष्टीकरण के आने के बाद इस बिल का जो मन्शा है वह बिल्कुल खत्म हो जाता है। इसमें तो फिर सीधे सीधे यह कह देना चाहिये कि हम शिकमी प्रथा को मानते हैं क्योंकि इसके पास होने के बाद हमारा अपना तो यह ख़याल है कि कोई शिकमी अपनी जमीन पर काबिज़ नहीं रहेगा। वह किसी न किसी श्रेणी में चाहे वह नौकर करार दिया जाय, चाहे वह भोगबन्धक, भोगबन्धक तो शायद उसमें न आवे, चाहे ठेकेदार हो, साझीदार हो, सहायक हो, नौकर हो, इस तरह से तमाम चीजें उसके खिलाफ पड़ जायगी और उस बेचारे को यह साबित करना कि हम असल काश्तकार हैं बड़ा मुश्किल हो जायगा। इसलिये मैं इस पर बहुत ज्यादा न कह कर सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि यह स्पष्टीकरण वापस कर लिया जाय क्योंकि धारा ३ ही काफी ऐसी हो गई है, जो पहले की धारा ३ थी वह बहुत मामूली थी और बहुत साफ थी और उसमें कोई हेरफेर नहीं था, लेकिन अब तो उस धारा ३ में भी २ उपखंड क और ख जोड़े गये हैं इसलिये पहले स्पष्टीकरण की जो मंशा थी वह इस धारा में जो अब २ उपखंड बढ़ाय गये हैं उनसे पूरी हो जाती है। इसलिये अन्य स्पष्टीकरण की कोई जरूरत नहीं है।

श्री चरण सिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे लायक दोस्त ने जो कहा है कि धारा ३ जैसे पहले थी वह वैसे ही दो तीन संशोधन करके कमजोर कर दी गई है। मालूम होता है उनको कुछ ग़लतफहमी है। धारा ३ में जो क जोड़ा गया है उसका मतलब इतना ही है कि जो भूमिधर या सीरदार डिसएनिल्ड हो या असमर्थ हों उसकी जमीन में जो ग़ैरमुन्दर्ज हो उसको इतना ही अख्तियार होगा जितना उस शख्स को जिसके नाम दर्ज हो। जमींदारी विनाश अधिनियम में भी दफा १० में यह दिया हुआ है कि जो असमर्थ हो उसकी सीर में जो काश्तकार के तौर पर दर्ज है वह असामी होगा। वही यहां किया है जो दर्ज नहीं हैं उनको भी अख्तियार होंगे। तो इस तरह से उसमें कोई कमजोरी नहीं लाई गई है। इसमें पहले को असामी और दूसरे को अधिवासी कह दिया। सिर्फ स्पष्टीकरण में कुछ अन्तर हुआ है। उसमें भी जहां तक साझेदार का ताल्लुक़ था वह पहले भी था और अब भी है कि साझेदार को हक़ नहीं मिलेगा और मैं समझता हूं कि साझेदार को हक देने की न किसी की मंशा थी और न है। साझेदार केवल मददगार होता है और उसका अकेले कब्जा भी नहीं होता बल्कि दोनों का साझला या मुश्तर्का कब्जा होता है। सिर्फ ठेकेदार या मुरतहिन दख़ली की बात रह जाती और उसके मुताल्लिक़ पहले ही अर्ज किया जा चुका है। इसलिये ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। इसको रखना बहुत जरूरी है। अगर मेरे लायक़ दोस्त पहले किसी सेलेक्ट कमेटी के मेम्बर से बात कर लेते तो उनको शायद यह जहमत न उठाना पड़ती। मैं उम्मीद करता हूं कि वह इसको वापस ले लेंगे।

श्री दलबहादुर सिंह—मैं अपने प्रस्ताव को वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री रामनारायण त्रिपाठी--उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड ३ के स्पष्टीकरण के बाद निम्नलिखित दूसरा स्पष्टीकरण बढ़ा दिया जाय --

"स्पष्टीकरण २--परन्तु ऐसा व्यक्ति जो ऐसे भूतपूर्व जमींदार (अब भूमिधर) की जमीन पर क़ाबिज़ रहा हो, जो २५० रुपये से अधिक मालगुजारी देता रहा हो तो वह व्यक्ति उक्त भूमि का सीरदार हो जायगा।"

इस संशोधन के द्वारा मैंने सिर्फ यह प्रयत्न किया है कि प्रस्तुत बिल के अनुपूरक होने में जो थोड़ी बहुत कमी रह गयी है वह पूरी हो जाय। माननीय राजस्व मंत्री जी इस बात को जानते हैं कि जहां तक जमींदारी विनाश अधिनियम की धारा १६ का प्रश्न है उसमें १३५६ फ़सली में जिनके नाम दर्ज थे और जो जमीन पर क़ाबिज थे उनको मौरूसी करार दिया गया है। मेरे जिले में तो ऐसा खास उदाहरण उपस्थित था जिसकी वजह से मुझे इस संशोधन को रखने की ज़रूरत पड़ी। मेरे जिले में एक केस है कि ४८४ बीघा पक्की जमीन इसके चकर में है और उसमें से १५० बीघे में बटाईदार हैं और बाकी में कोई नाम नहीं है और उन्होंने यह चालाकी की है कि अपने बच्चे और स्त्री के नाम दो तीन साल पहले पट्टे लिख दिये हैं और वह अब भूमिधर बन गये हैं और अब एक ट्रेक्टर के जरिये से कोशिश कर रहे हैं कि उसको किसी तरीके से कुछ करके उसका रूप बदल दें। १५० बीघे के बटाईदारों में और अन्य किसानों में फर्क इतना है कि इनका तो इन्द्राज है वह सीरदार हो ही जायेंगे। लेकिन फर्क इतना ही है कि पटवारी के कागजात में उनका इन्दराज नहीं है। यह संशोधन धारा १६ के अनुसार ही पड़ता है। सन् ५६ के बिना तसफिया के काश्तकारों को तो मौरूसी का हक दे दिया गया है लेकिन ५९ के ऐसे जमींदारों की भूमि का इसमें जिक्र नहीं है जो २५० रुपये मालगुजारी देते थे। पूंजीवाद के राष्ट्रीयकरण के बारे में हम कहते कहते और सुनते सुनते थक गये हैं। अब जमींदारों के साथ यह पक्षपात किया गया है और उसका कारण यही है कि सरकारी दल में स्वयं ही काफी संख्या में लोग उससे फायदा उठाते हैं। किसान से १० गुना लेकर उसे भूमिधर बनाया गया और जमींदार से जितना लगान है वह भी रुपये में २ आने कम करके उनको भूमिधर बना दिया गया है। इसलिये मुझे यह शब्द "अब भूमिधर" ब्रैकिट में रखने पड़े। इस संशोधन से ऐसे जमींदारों का केस भी कर्व हो जाता है जो २५० रुपये मालगुजारी देते थे और जिनके ऐसे सैकड़ों बीघे जमीन का प्रश्न है कि खेती करने के रूप में किसानों का क़ब्ज़ा तो है लेकिन १३५९ तक इन्दराज नहीं है। हम तो राजस्व मंत्री जी से निराश हो गये हैं। कल जब थोड़ा सा उन्होंने विश्लेषण किया था तो मेरे दिमाग में यह बात साफ हो गई कि उनको समाजवादी, कम्यूनिस्ट और कैपिटैलिज्म की पार्टियों का ज्ञान नहीं है। अगर वे पैसे खर्च करके हमारी पुस्तकें पढ़ें तो उनको मालूम हो जायगा कि हमारे क्या सिद्धान्त हैं।

एक सदस्य--मुफ्त ही दे दी जायं।

श्री रामनारायण त्रिपाठी--नहीं, मुफ्त नहीं दी जा सकतीं। वे मंत्री हैं। पैसे खर्च कर सकते हैं। अगर ग़रीब होते तो हम दे देते; वह तो पहले ही से सोशलिज्म को गाली समझते हैं। उनको यह तो सोचना चाहिये कि जो लोग सदैव हमारे साथ रहे और गांधी जी का नाम भी लेते हैं तो ऐसे लोगों की बात को वे क्यों नहीं मानते। उन्होंने धारा १६ में १३५६ के किसानों के लिये तो व्यवस्था की थी और इस अनुपूरक विधेयक में उसका समावेश नहीं हो पाया है। तो हमारा निवेदन है कि मंत्री जी हमारे इस संशोधन से इस विधेयक को अनुपूरक बना दें।

(इस समय श्री शिवनारायण खड़े हुए किन्तु माल मंत्री के खड़े होने पर बैठ गये।)

श्री रामनारायण त्रिपाठी—उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक प्रिविलैज का सवाल उठाना चाहता हूं। आपने अभी देखा होगा कि श्री शिवनारायण जी बोलने के लिये खड़े हुये और माननीय राजस्व मंत्री जी ने उनको बोलने से मना कर दिया।

श्री चरण सिंह—मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय की आज्ञा से ही खड़ा हुआ हूं। इस संशोधन के सम्बन्ध में जो पेश किया गया है सेलेक्ट कमेटी में काफ़ी बहस हुई। वहां यह तय हुआ कि यह ठीक नहीं होगा कि सबको अधिवासी ही बनाना चाहिये। कारण भी बहुत साफ़ है। यह हमारी सरसरी कार्यवाही है और वह भी जुडिशल नहीं बल्कि एग्ज़ीक्यूटिव है। तो फिर यह तहकीकात करनी पड़ेगी कि अगर हम उसे सीरदार बनावें अगर वह २५० रु० से बड़ा मालगुजार है और वह क़ाबिज़ था कि वाक़ई उसकी मालगुजारी कितनी है। इस तहकीकात में फंसने से वह सरसरी कार्यवाही न रह कर लम्बी कार्यवाही हो जायगी। इस तरह से जो लोग काबिज़ हैं या काश्तकारों के उपकाश्तकार या शिकमी हैं तो वे अधिवासी होते ही नहीं हैं। या यह भी है कि ज़मींदारों की सीर पर उनका क़ब्जा हो। तो ज़मींदारों की तादाद तो २० लाख या १९ लाख १६ हजार है। उसमें से १८ लाख ८६ हजार २५० रु० से कम के हैं और ३० हजार ढाई सौ से ज्यादा के हैं। तो १८ लाख की सीर पर और खुदकाश्त पर जो काबिज़ हैं वह इस कानून के अन्दर अधिवासी होते हैं तो वे ३० हजार ज़मींदार रह गये जिनकी सीर पर काश्तकार को हक़ होता है कि वह सीरदार हो जाय। तो आदमियों की तादाद बहुत थोड़ी है और जहां तक रकबये सीर का ताल्लुक़ है तो ७१ लाख एकड़ ज़मीन कुल सीर की है। ४७ लाख एकड़ उन लोगों की है जो २५० रु० से कम के मालगुजार हैं। यानी २,३ सीर के रक़बे पर तो अधिवासी ही हो सकते थे। अब १,३ सीर का रक़बा रहा। अगर उस पर ऐसा क़ब्ज़ा साबित हो जाय जिसका नाम दर्ज नहीं है और उसका नाम दर्ज हो जाता है तो ज़मींदारी रिफर्म्स ऐक्ट के अनुसार वह अधिवासी हो जाता है। इस संशोधन के मानने से नुक़सान यह है कि ये प्रोसीडिंग्स जुडिशल नहीं हैं बल्कि सरसरी हैं, यानी जल्दी तहकीकात करके मौके पर जाकर कब्जा देने की कार्यवाही है। इस संशोधन से कार्यवाही लम्बी हो जायगी। इसलिये हमने यह रक्खा है कि सबको अधिवासी ही करार दे दिया जाय। बहुत थोड़े से किसान ऐसे होंगे जो सीरदारी के मुस्तहक़ होते अगर उनका नाम दर्ज हो। इसलिये व्यवहारिक कठिनाइयां होने के कारण हम इसे स्वीकार करने से मजबूर हैं। हमने भूमि की जो तारीफ़ रखी है वह यह है कि भूमिधर या सीरदार। अगर हम किसी को सीरदार लिखें तो वह एक सबार्डिनेट टैन्योर में रह जाता है। सीरदार का सीरदार तो नहीं होगा लेकिन भूमिधर का सीरदार हो जायगा। लेकिन यह बात ठीक तो नहीं बैठती है। मेरा ख़याल गलत रहा। यह बात यहां नहीं लागू होती। तो पहली बात कि कार्यवाही सरसरी है और वह इस संशोधन को मानने से खत्म हो जायगी, वही बरक़रार रही। प्रस्तावक महाशय सेलेक्ट कमेटी के मेम्बर तो नहीं थे और यदि होते तो वे उसी समय राजी हो जाते। मैं समझता हूं कि शायद वह अब भी राजी हो जायं अगर्चे आदत उनकी हमेशा इंकार करने की ही है।

श्री गेंदा सिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसी कि माननीय मंत्री जी ने इस संशोधन के विरोध में दलील दी और सेलेक्ट कमेटी के मेम्बरों के बारे में राय दी उसके सम्बन्ध में मैं कुछ कहने की आवश्यकता समझता हूं। सेलेक्ट कमेटी का एक मेम्बर मैं भी था और इसमें कोई शक नहीं है कि इस प्रश्न पर काफी बहस मुबाहिसा हुआ था लेकिन हम लोग इस पर राजी हो गये थे यह बात सही नहीं है। हां, यह बात जरूर है कि कहने में

[श्री गेंदा सिंह]

हम किस तरह कहते हैं इसमें जरूर गलतफहमी हो जाती है। इस बात पर बराबर जोर देते रहे कि जो लोग सीरदार होने का हक रखते हैं उनको सीरदार होना चाहिये।

(इस समय पर ४ बजकर ५ मिनट पर अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

श्री चरण सिंह—मैंने कहा था कि आमतौर पर कमेटी के सदस्य सहमत थे। उस आम तौर में मैं जानता था कि गेंदा सिंह जी शायद सहमत न हों।

श्री गेंदा सिंह—तब मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अब दूसरी बात में यह कहना चाहता हूं कि सीरदारी का हक़ रखने वाले लोगों को सीरदार न बना देना उचित नहीं मालूम होता। २५० रुपया से ऊपर देने वालों का जो हिसाब माननीय मंत्री जी देते हैं और वह हर मामले में ऐसा हिसाब हमारे सामने पेश करते हैं जो आम तौर पर अपने देश में या किसी दूसरे देश में पर कैपिटा इनकम का हिसाब लगाया जाता है। वह कुल हिसाब हमारे सामने रखते हैं। मैं समझता हूं कि मेरी इस बात से सारा सदन इत्तिफाक करेगा कि जहां तक छोटे जमींदारों का संबंध है वे उतनी ही कम जमींन शिकमी पर उठायेंगे। और जितना बड़ा जमींदार होगा वह उतनी ही ज्यादा जमींन शिकमी पर उठायेगा। इसलिये यह हिसाब लगा देना कि १५ लाख से ज्यादा के लोग २५० रुपया से नीचे के जमींदार हैं इसलिये उनके सीरदार सीरदारी का हक़ न उठायेंगे, यह मानने के लिये कोई प्रमाण नहीं है कि २५० रुपये के जमींदारों की जमीन ही शिकमी पर उठाई गयी है। मेरा कहना है और यदि माननीय माल मंत्री जी इसकी तह में जाने की तक़लीफ गवारा कर सकते हैं तो उनको यह मालूम होगा कि जितने ही बड़े खाते वाले लोग हैं वही अपनी जमींन उठाते हैं। अगर उन्होंने उठाई है तो उनके शिकमी काश्तकारों को सीरदारी का हक़ मिलने में दिक्कत नहीं होनी चाहिये। यह जरूर है कि यह कार्यवाही सरसरी तौर पर होगी। सरसरी तौर पर होने में जैसे अधिवासी को हक़ दिया जाता है वैसे ही सीरदार को भी हक़ देने में कोई दूसरी कार्यवाही नहीं करनी पड़ेगी। मुझे एक बात का शक होता है और वह रोग कहीं न कहीं है हालांकि अगर उसको दूर करा दिया जाय तो माननीय माल मंत्री जी का स्वास्थ्य बनेगा। जैसी कि रामसुन्दर जी के स्वास्थ्य की चिन्ता माननीय माल मंत्री जी को रहती है वैसी ही चिन्ता हमें उनके स्वास्थ्य की रहती है। जब हम अपने माननीय मंत्रियों को देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे राजस्व मंत्री जी को इतना मजबूत तो होना ही चाहिये।

श्री शिवनारायण—अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि माननीय मित्र बिल पर बोल रहे हैं या राजस्व मंत्री जी के स्वास्थ्य पर ?

श्री गेंदा सिंह—मैं अपने राजस्व मंत्री जी के लिये शुभ कामनायें प्रकट कर रहा हूं। यह कोई घबराहट की बात नहीं है। मैं समझता हूं कि इस कानून में अधिवासी को असल में इस कानून में ऐसे अधिकार दिये हुये हैं कि अधिवासी बेदखल नहीं होगया जब तक यह सरकार रहेगी जब किसी खास इलाके के किसान को बेदखल होने का हुक्म सरकार देगी तभी वह अधिवासी बेदखल होगा लेकिन यह सरकार किसी अधिवासी को अपने जीवन में बेदखल होने का मौका नहीं देगी और ऐसा हमारा विश्वास है। कम से कम माननीय माल मंत्री जी ने विश्वास दिलाया तो कोई वजह नहीं है कि हम इस पर विश्वास न करें। फिर उसके बाद कठिनाई और है कि अधिवासी को यह भी हक होगा कि बजाय दस गुना देकर भूमिधर बनने के वह

लगान का पन्द्रह गुना दे देगा तो भूमिधर भी बन सकता है। तो मैं समझता हूं कि असल बात जो है वह यह है कि पन्द्रह गुना रुपया मिल जाय। यही असली चीज है जिसके ऊपर कुछ पर्दा पड़ा हुआ है। तो मैं समझता हूं कि अगर इस बात का लोभ छोड़ दिया जाय कि पन्द्रह गुना अधिवासियों से लेना है तो फिर उनके सीरदार बनने में कोई दिक्कत नहीं होगी और इसीलिये मैं माननीय माल मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि यह ज्यादा स्वास्थ्यवर्द्धक दवा है कि पन्द्रह गुना की लालच छोड़ कर उनको सीरदारी का हक दिया जाय।

श्री रामनारायण त्रिपाठी--अध्यक्ष महोदय, मुझे भी इस बात की अवश्य खुशी हुई कि कम से कम माननीय राजस्व मंत्री जी ने इस बात की हमदर्दी प्रकट की कि जहां तक उसके मंशे का संबंध है उससे हम सब लोग सहमत हैं और सलेक्ट कमेटी में भी इसके ऊपर विचार हुआ। मैंने यह कहा कि जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा १६ के अनुसार उन्हें हक भी है कि उनको सीरदार बना दिया जाय। और सही माने में मैं घबड़ा भी गया हूं क्योंकि मैंने एक जमींदार का उदाहरण ४८४ बीघे का बतलाया। इस किस्म के प्रश्न पर मैं बहुत हद तक नहीं जाना चाहता जैसा कि श्री गेंदा सिंह ने कहा और मैं भी बहुत मर्तबा इस बात को कह चुका हूं। लेकिन अध्यक्ष महोदय काफी परेशानी हम लोगों को हो जाती है जब विरोधी दल के सदस्य की हैसियत से कोई बात सरकारी दल के हित की या जनता के कल्याण की ऐसी बार बार कही जाती है तो वह बात भी नहीं मानी जाती। मैं सिर्फ दो तीन प्रमाण आपके सामने दूंगा। यह किसी सोशलिस्ट पार्टी के लीडर की कही हुई बात नहीं है, सरकारी पक्ष से ही इसका संबंध है, यह स्पष्ट घोषणा हुई थी कि अगर भूमि व्यवस्था संबंधी कार्यवाही जल्दी नहीं की जायगी ताकि भूमिहीनों को भी जमीन मिल जाय तो इस सारे प्रदेश में जबर्दस्त क्रान्ति हो जायगी। अभी हमारे रिप्बलिक के वाइस प्रेसिडेंट माननीय राधाकृष्णनन ने ४ सितम्बर को यह कहा था कि हमारे देश के स्थिर स्वार्थ वर्ग वालों ने सरकारी पदों पर और तमाम कल कारखानों पर कब्जा कर लिया है। जब तक हम एक जबर्दस्त लड़ाई उनके खिलाफ नहीं लड़ते तब तक कांग्रेस का असली मंशा पूरा नहीं होता और इसके बाद जैसा कि सरकारी दल भी मानता है।

अध्यक्ष--यह संशोधन से संबंधित नहीं है। यह घरेलू बातें लाबी में भी हो सकती हैं।

श्री रामनारायण त्रिपाठी--आपकी गैरहाजिरी में यहां कुछ ऐसा डिस्कशन हो गया इसीलिये मैं यह बात कह रहा हूं। मैं आपका सिर्फ एक मिनट ही लूंगा। तीसरा प्वाइंट यह है कि माननीय श्री मलखान सिंह जी की जबरदस्त विजय। ऐसी ही घटना मद्रास में भी हुई थी तो माननीय श्री राजगोपालाचारी को सदन में वोट आफ कांफिडेंस लाना पड़ा था। यहां के लिये और कुछ तो मैं नहीं कहता लेकिन ईमानदारी की बात तो यही है कि सरकारी पक्ष विरोधी दल के इस चुनौती को स्वीकार करे और माननीय मुख्य मंत्री यहां मौजूद नहीं हैं तो माननीय राजस्व मंत्री जी को इस चुनौती को स्वीकार करना चाहिये और माननीय मुख्य मंत्री को यहां से इस्तीफा देकर फिर अपनी कंस्टीट्यूएंसी से खड़ा होने के लिये इस चुनौती को स्वीकार करना चाहिये। अध्यक्ष महोदय, मुझे तो परेशानी होती है कि बार-बार हमदर्दी की बात कही जाती है लेकिन हमारी कोई बात मानी नहीं जाती। इन शब्दों के साथ मैं निवेदन करता हूं कि माननीय राजस्व मंत्री जी को हमदर्दी के अनुकूल ही इस संशोधन को मान लेना चाहिये और इसे मानकर सही माने में पंद्रह गुना की लालच छोड़कर उन काश्तकारों को सीरदारी का हक देना चाहिये।

श्री चरण सिंह--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने यह अर्ज किया था कि टेक्निकली देखा जाय तो ठीक है कि उनको सीरदारी का हक मिलना चाहिये था लेकिन अमल में जो कठिनाइयां हैं उन कठिनाइयों का जवाब नहीं दिया गया है।

[श्री चरण सिंह]

वह गरीब किसान कहां साबित करता फिरेगा जिसका नाम भी दर्ज नहीं है, जिसकी इतनी बिसात भी नहीं थी कि अपना नाम दर्ज करवा सके कि यह जमींदार ढाई सौ से ज्यादा का जमींदार है और फलां गांव में जमींदारी है। है डिप्टी कलेक्टर मौके पर गया उसने उसके हल और बैल देखे। एक दो आदमियों से पूछा और उसमें उसका नाम दर्ज कर दिया। केवल यह मंशा है। अब आप चाहते हैं कि पूरी मुकदमेबाजी कर सके। यह कहे कि ढाई सौ से ज्यादा का जमींदार है। लिहाजा मैं सीरदार हूं। तो उसी में मर मिटेगा। इतना पैसा उसके पास नहीं है। सरसरी तौर से देखें तो अधिवासी करार दे दें तो उसके हक में बड़ा बयास होगा कि उसके इंदराज को माना जायगा। कुल रकबा ४ करोड़ ३३ लाख एकड़ इसमें से ४ करोड़ ८ लाख एकड़ में अधिवासी ही हो सकते थे और केवल २५ लाख एकड़ है बच जाती है जिसमें बड़े जमींदारों की सीर या खुदकाश्त में सीरदार हो सकते थे कुल जमीन का १/१७ वां हिस्सा बैठता है जिसमें सीरदार होते और एक तरीके से महरूम हो रहे हैं।

गेंदा सिंह जी ने कहा कि १० और १५ का फ़र्क है। असली फर्क जमीन मिलने न मिलने का है। उस गरीब को जमीन मिले भी कैसे। अगर पूछा जाय कि तेरा नाम दर्ज नहीं है, तू तैयार है कि पांच साल के बाद तेरा नाम भूमिधरी में दर्ज हो जायेगा तो १५ गुना क्या तीस गुना देने के लिये तैयार हो जायगा। तो हम जमीन मिलने का ढंग बांध रहे हैं। आप उसमें १०० अड़ंगे लगा रहे है। पेचीदगी पैदा कर रहे हैं और पेचीदगी करने से उसका नुकसान है।

जरा सी एक बात और है। माननीय रामनारायण त्रिपाठी जी ने कहा कि माननीय मुख्य मंत्री एलेक्शन लड़ें, राजस्व मंत्री एलेक्शन लड़ें। अभी भाई आली एक ही हुआ है। वह तो ऐसा है मटके में पानी थोड़ा होता है तो छलकता है। और समुद्र में कितनी नदियां आ जायं और कितनी निकल जायं उसमें कोई अंतर नहीं पड़ता। क्या हुआ एक आदमी अगर रह गया या ज्यादा हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपने कुलाबे अभी से क्यों बांध रहे हैं"

इन शब्दों के साथ मैं इसका विरोध करता हूं।

अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ३ के स्पष्टीकरण के बाद निम्नलिखित दूसरा स्पष्टीकरण बढ़ा दिया जाय।

"स्पष्टीकरण २---परन्तु ऐसा व्यक्ति जो ऐसे भूतपूर्व जमींदार (अब भूमिधर) की जमीन पर काबिज रहा हो, जो २५० रुपये से अधिक मालगुजारी देता रहा हो तो वह व्यक्ति उक्त भूमि का सीरदार हो जायगा।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री महावीर प्रसाद शुक्ल (जिला इलाहाबाद)---माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं खंड ३ में यह संशोधन उपस्थित करना चाहता हूं

खंड ३ को खंड ३ के उपखंड (१) के रूप में परिगणित कर दिया जाय तथा उसके बाद निम्नलिखित नया उपखंड (२) बढ़ा दिया जाय---

"(२) यदि उपधारा (१) के अधीन प्रख्यापित कोई अधिवासी या असामी विधि के उपयोग से भिन्न किसी अन्य प्रकार बेदखल किया गया हो, तो वह या उसके द्वारा दावा रखने वाला कोई व्यक्ति धारा ४ की उपधारा (२) में अभिदिष्ट इन्दराज के किये जाने के दिनांक से ६ महीने के भीतर परगना अधिकारी असिस्टेंट कलेक्टर को उक्त भूमि पर कब्जा पाने के लिये प्रार्थना पत्र दे सकता है, और उक्त अधिनियम की धारा २३२ के उपबंध

यथासंभव प्रवृत्ति होंगे और असिस्टेंट कलेक्टर की आज्ञा का सम्पादन उसी प्रकार होगा जैसा कि उक्त धारा की उपधारा (४) के अधीन किसी आज्ञा का हो।"

श्रीमन् इस विधेयक का उद्देश्य यह है कि जिन किसानों का १३५९ फसली में भूमि पर कब्जा रहा हो और उनका नाम न लिखा गया हो तो उनका नाम लिख जाय और दूसरा यह है कि यदि वह बलपूर्वक अपने कब्जे से विस्थापित कर दिये गये हों तो उनको कब्जा मिल जाय। खंड ४ में इस बात की व्यवस्था तो की गयी है कि उनका नाम लिख जाय परन्तु कहीं भी इस बात की व्यवस्था नहीं की गयी है कि उनको अपनी जमीन से यदि बलपूर्वक विस्थापित किया गया हो तो किस प्रकार उनको उसका उपभोग वापस मिले।

यह संशोधन इसी अभाव की पूर्ति करता है, अतएव मैं श्री राजस्व मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वह इसे स्वीकार कर लेवें।

इसलिये मैं समझता हूं कि यह संशोधन इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये अतीव आवश्यक है और माननीय राजस्व मंत्री जी इस संशोधन को अवश्य ही स्वीकार करेंगे।

श्री चरण सिंह---यह संशोधन मुझको स्वीकार है।

राजा वीरेन्द्रशाह---श्रीमन्, जो प्रस्ताव अभी माननीय सदस्य ने भवन के सामने पेश किया है मैं उसका विरोध करता हूं। वह इसलिये कि अभी मंत्री जी ने और सरकार की ओर से कई दफा यह कहा गया कि मुकदमे बाजी और बढ़ाने के लिये सरकार खिलाफ है। मगर इस तरीके से इसको संशोधित करने के बाद यह होगा कि आप कई तरफ से मुकदमेंबाजी को बढ़ायेंगे और तरह-तरह से आप यह चाहेंगे कि लोगों को कब्जा आप इस तरह से दिलायें। तो हम लोगों ने जो संशोधन पेश किये थे उसी हिसाब से अगर सरकार इस पर भी निगाह डालेगी तो नतीजा यही आता है कि किसी तरह से भी हो कब्जा लोगों को दिलाया जाय और कब्जा करने के लिये अदालत में जाय और उन लोगों को परेशान किया जाय जिनके कि पास केवल भूमि ही रह गयी है। इसके अतिरिक्त मैं इसलिये भी विरोध करता हूं कि राजस्व मंत्री ने इसके ऊपर कोई विचार प्रकट नहीं किया और केवल यही कह दिया है कि मैं इसको स्वीकार करता हूं। अब मंत्री जी यह बतलायें कि यह किस तरह के केसेज हैं और कैसे राजस्व मंत्री उनको मानने को तैयार हैं, तब मैं समझूंगा कि हमें समर्थन करना चाहिये या नहीं। जहां तक मैं समझता हूं इसमें उन लोगों को कब्जा दिलाया जा रहा है जो गासिबाना हो और इस तरह के नाजायज लोग हैं वह जमीन पर कब्जा जमाना चाहते हैं। इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री गेंदा सिंह---माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय महावीर प्रसाद शुक्ल के इस संशोधन पेश करने के एवज में मैं बधाई देना चाहता हूं और बधाई देना चाहता हूं अपने राजस्व मंत्री जी उसके स्वीकार कर लेने में।

मैं जानता हूं कि जितने संशोधन आये थे, अगर वह स्वीकार किये गये होते, उनमें से अधिकांश संशोधन ऐसे थे कि हम लोगों ने दिये थे, उनसे इस बिल का रूप अच्छा होता, लेकिन किसी कारण से भी हमारे संशोधन स्वीकार नहीं किये गये, लेकिन मैं समझता हूं कि इस संशोधन को स्वीकार करके इस बिल को कुछ मजबूत किया गया है और उन लोगों को कुछ अधिकार देने की बात जरूर पुख्ता हुई, जो लोग निकाल दिये गये हैं। उनको भी जमीन के पाने का हक है और माननीय वीरेन्द्रशाह का जो कथन है कि इससे दूसरे लो आ जायेंगे जिनका कि कोई हक नहीं है, वह भी कब्जा जमायेंगे। तो कब्जा जमाने क कोई सवाल नहीं है। संशोधन तो यह कहता है कि अगर ऐसे आदमी को नाम दर्ज कराने का हक होगा तो फिर वह अदालत में जा करके दरख्वास्त दे सकता है। इस तरह की सुविधा

[श्री गेंदा सिंह]

तो इस बिल उन लोगों ने को भी दी है कि अगर किसी का आराजी पर नाम लिख गया तो नाम लिख जाने के बाद एक अदालती रास्ता खुला हुआ है कि वह अपने हक के लिये दरख्वास्त दे सकता है, मुकदमा दायर कर सकता है। इसी प्रकार का यह एक संशोधन स्वीकार किया गया है। मैं समझता हूं कि इसका विरोध माननीय वीरेन्द्र-शाह जी को नहीं करना चाहिये और इस संशोधन को स्वीकार करना चाहिये।

श्री महावीर प्रसाद शुक्ल---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पहले ही निवेदन कर चुका हूं कि इस विधेयक के जो जो उद्देश्य हैं उनकी पूर्ति नहीं हो सकती यदि उसमें इस बात की व्यवस्था न की जाय कि जो लोग बल पूर्वक अपनी भूमि से विस्थापित किये गये हैं उनको कब्जा मिले। अगर यह व्यवस्था न की जाय तो सारा बिल थोथा रह जायगा। केवल नाम लिख जाने से उन किसानों का हित नहीं होता और न जिस उद्देश्य से यह बिल रखा गया है उसकी पूर्ति ही होती है और जिस प्रकार हम ३ दिनों से विवाद कर रहे हैं उसका ही कुछ फल होता है। मैं समझता हूं कि इस संशोधन को सारे भवन का समर्थन प्राप्त है। मैं अपने समाजवादी मित्रों को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने हमारे संशोधन का स्वागत किया है और मैं समझता हूं कि हमारे मित्र श्री वीरेन्द्रशाह ने जो आपत्ति की है वह उस पर विचार करेंगे तो स्वयं इस परिणाम पर पहुंचेंगे कि जिन साधन-हीन किसानों की सहायता के लिये उन्होंने स्वयं संशोधन उपस्थित किये थे उनकी सहायता इससे होती है या नहीं।

उनकी यह शंका कि इससे उन लोगों को बल मिलता है जो गासिबाना कब्जा कर चुके हैं या करना चाहते हैं निर्मूल हैं और यदि यह संशोधन स्वीकार न होता और उनकी बात मानी जाती मैं तो समझता हूं कि इस बिल का इस भवन में उपस्थित करना और इसका पास करना ही निरर्थक हो जाता। इससे अधिक मैं निवेदन करना नहीं चाहता।

अध्यक्ष---माननीय मंत्री जी को तो यह स्वीकार ही है।

श्री चरण सिंह---जी हां।

अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ३ को खंड ३ के उपखंड (१) के रूप में परिगणित कर दिया जाय तथा उसके बाद निम्नलिखित नया उपखंड (२) बढ़ा दिया जाय---

"(२) यदि उपधारा (१) के अधीन प्रख्यापित कोई अधिवासी या असामी विधि के उपयोग से भिन्न किसी अन्य प्रकार बेदखल किया गया हो, तो वह या उसके द्वारा दावा रखने वाला कोई व्यक्ति धारा ४ की उपधारा (२) में अभिदिष्ट इन्दराज के किये जाने के दिनांक से ६ महीने के भीतर परगना अधिकारी असिस्टेंट कलेक्टर को उक्त भूमि पर कब्जा पाने के लिये प्रार्थना पत्र दे सकता है, और उक्त अधिनियम की धारा २३२ के उपबंध यथासंभव प्रवृत्त होंगे और असिस्टेंट कलेक्टर की आज्ञा का सम्पादन उसी प्रकार होगा जैसा कि उक्त धारा की उपधारा (४) के अधीन किसी आज्ञा का हो।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ३ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ४

अधिकार अभिलेख का संशोधन करने के लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति।

४--(१) इस बात को निश्चित करने के लिये कि धारा ३ में अभिदिष्ट किसी व्यक्ति का किसी भूमि पर खेती करने के रूप में १३५९ फस्ली में कब्जा था राज्य सरकार इस अधिनियम के आरम्भ हो जाने के बाद यथाशीघ्र किसी क्षेत्र में अधिकार अभिलेख (Record of Rights) में संशोधन के लिये अधिकारी नियुक्त कर सकती है जो पद में द्वितीय श्रेणी के असिस्टेंट कलेक्टर से कम का न हो।

(२) उक्त अधिकारी का यह कर्त्तव्य होगा कि वह ऐसी स्थानीय जांच करने के बाद जिसे वह आवश्यक समझे, १३५९ फ़सली के अधिकार अभिलेख में उक्त प्रकार के प्रत्येक व्यक्ति का नाम भूमि पर काबिज (occupant) के रूप में दर्ज कर दे, चाहे किसी विधि में इसके विपरीत कोई बात हो।

राजा वीरेन्द्रशाह--माननीय अध्यक्ष महोदय, आप की आज्ञा से मैं यह संशोधन पेश करना चाहता हूं कि खंड ४ के उपखंड (१) की पंक्ति ५ के शब्द "कर सकती है जो पद में द्वितीय" के स्थान पर शब्द "करेगी जो पद में प्रथम" रख दिये जायं।

श्रीमन्, मेरे इस संशोधन का जो अभिप्राय है उसका समर्थन इससे भी होता है कि इस भवन की हर पार्टी ने इसी तरह के संशोधन आगे दिये हैं। हमारे सोशलिस्ट पार्टी के माननीय रामनारायण त्रिपाठी जी ने और कांग्रेस पार्टी के माननीय देवकीनन्दन विभव जी ने इसी तरह के संशोधन दिये हैं। ऐसी दशा में मैं यह समझता हूं कि भवन का हर सदस्य इस बात को समझता है कि जो आफिसर इस विधेयक के द्वारा अमल करेगा उसकी जिम्मेदारी इतनी बढ़ जाती है कि वह छोटे २ आफिसरों के द्वारा न कराई जाय। श्रीमन्, मैं सरकार से यह बतलाना चाहता हूं कि इसमें भ्रष्टा चार और तरह-तरह के जोर दबाव के बढ़ने की बड़ी भारी आशंका है। जैसा हमारे माननीय राजस्व मंत्री ने इसको पेश करते वक्त बतलाया था कि आफिसरों की कमी होने की वजह से नायब तहसीलदार और तहसीलदार को इस काम में लगाने की आवश्यकता पड़ सकती है। मैं आपके जरिये सरकार से बतलाना चाहता हूं कि यह इतना अहम काम है, एक आदमी को खेती दिलाना और दूसरे आदमी की खेती को लेना इतना नाजुक काम है कि इसको अगर छोटा श्रेणी का राज्य कर्मचारी करेगा तो घूस और भ्रष्टाचार की अधिक सम्भावना रहेगी। इसके साथ-साथ ऐसा आफिसर होना चाहिये जिसको सेटिलमेंट की योग्यता होनी चाहिये क्योंकि सरसरी तौर पर दो चार आदमियों का बयान ले करके नामों का इन्दराज करना होगा। श्रीमन् यह बड़ी जिम्मेदारी का कार्य है। इस लिये मैं आपके द्वारा सरकार से कहना चाहता हूं कि भले ही उनको कुछ दिक्कत पड़े और कुछ और आफिसर दूसरे डिपार्टमेंट्स से बुलाने पड़ें परन्तु फर्स्ट क्लास आफिसर या ऐसे आफिसर जो इस जिम्मेदारी को उचित रूप से उठा सकें उनसे यह कार्य कराइये।

वर्ना इसमें दोनों तरफ, गरीब किसानों को और जिसकी जमीन ली जायगी, नुक्सान होने का डर है। इन शब्दों के साथ मैं आशा करता हूं कि मंत्री जी इस संशोधन को अवश्य स्वीकार करेंगे क्योंकि भवन की हर तरफ से ऐसी इच्छा प्रगट की गई है, जो मैंने अपने संशोधन द्वारा रखी है। इसलिये मैं आशा करता हूं कि मंत्री जी इसको अवश्य स्वीकार करेंगे।

श्री चरण सिंह--माननीय अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न शायद जब यह विधेयक सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द किया जा रहा था तब भी उठा था और जो जवाब मैंने तब दिया था वही अब भी है। हो सकता है कि इतने मामले हो जायें कि डिप्टी कलेक्टर अपने इलाके में सब जगह न जा सके और सब मामलों की देख रेख न कर सके तो यदि ऐसी दशा होगी तो हमें अपने तहसीलदारों से काम लेना होगा। वैसे इरादा हमारा यही है कि डिप्टी कलेक्टर्स को ही भेजें। लेकिन जहां जरूरत होगी और जरूरत पड़ गई और इस विधेयक ने ऐसा अधिकार दिया नहीं तो ऐसी स्थिति के पैदा होने पर काम रुक जायगा। इसलिये लफ्ज यह है कि इससे कम श्रेणी के न हों, ऊंची के तो कलक्टर हो सकता है, कमिश्नर हो सकता है लेकिन इससे कम का न हो। इसके माने यह नहीं है कि हर सूरत में तहसीलदार को ही भेजा जाय। लेकिन असल में इरादा है कि जब जरूरत पड़ेगी तब ही तहसीलदार को भेजा जायगा।

जहां तक लैंड रेवेन्यू के तजुर्बे की बात है तो इसका तजुर्बा तो आम तौर पर तहसीलदार साहबान को ही ज्यादा है बनिस्बत आज कल के डिप्टी कलक्टर्स के क्योंकि उनमें बहुत से नौज-

[श्री चरण सिंह]

वान हैं और उनकी एक-दो साल की सरविस है और तहसीलदार साहबान इनके बनिस्बत बहुत ज्यादा मुद्दत से काम करते आ रहे हैं । तो तहसीलदारों का तजुर्बा तो लैंड रिफ़ार्म्स के मामले में कम नहीं है । फिर आप जो मंशा पूरी करना चाहते हैं वह इससे पूरी नहीं होती है । हमने रख दिया असिस्टेंट कलक्टर फ़र्स्ट क्लास का होगा तो उससे क्या फर्क पड़ेगा । आप हाथ कहां तक बांध सकते हैं । मैंने अर्ज किया कि गवर्नमेंट की मंशा नहीं है कि डिप्टी कलेक्टर के अलाव ऐसे अधिकारी को भेजा जाय । लेकिन बहुत से एक्सेप्शनल सरकम्सटेंसेज हो सकते हैं । इसीलिये सदन से यह चाहा जा रहा है कि अगर जरूरत पड़ जाय तो तहसीलदार को भेजने का अख्तियार सदन गवर्नमेंट को दे दे । यह मैं कोई कमिटमेंट के तौर पर नहीं कह रहा हूं । जैसा कि मैंने कहा कि हमारा इरादा यही है कि डिप्टी कलेक्टर ही भेजा जाय और हम चाहते हैं कि तहसीलदार मुकर्रर न हों जब तक कि गवर्नमेंट की परमीशन न ले ली जाय । मैं चाहता हूं कि राजा साहब अपने संशोधन अब और ज्यादा प्रेस न करें ।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—अध्यक्ष महोदय, जैसी कि हमें और संशोधक को आशंका है उससे राजस्व मंत्री को इंकार नहीं है । मैं इस पर बोलता हूं इसके माने यह नहीं है कि हम सब तहसीलदारों को बेईमान समझते हैं बल्कि मुझे एतराज है और मैंने हाल ही में सुना है कि गवर्नमेंट ने इस क़िस्म का सरक्यूलर भेजा है कि तहसीलदारों को डिप्टी कलेक्टरी के चुनाव में ज्यादा मौका न दिया जाय तो सरकार भी समझती है और आम तौर पर इस बात से तो सभी सहमत हैं कि बहुत से तहसीलदार तो ऐसे हैं जो मामूली दर्जे से तरक्की कर गये हैं । पहले वह कानूनगो वगैरह थे फिर आगे बढ़े हैं । ऐसे तहसीलदारों के खिलाफ़ शिकायत नहीं हो सकती है जो अभी दो तीन साल पहले के हैं और फ़र्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट हैं, उनको रखा जाय । हमारे मंत्री जी भी कहते हैं कि कोई खास जरूरत पड़ जायगी तभी उनको भेजा जायगा तो ऐसी दशा में साफ़ कर देना चाहिये कि तहसीलदारों को यह जिम्मेदारी नहीं दी जानी चाहिये । जहां तक आशंका है दोनों पक्ष इस बात से सहमत हैं कि आशंका है और हम इस बात में थोड़ी देर स्वीकार कर सकते हैं लेकिन ऐसे अफ़सरों को नियुक्त कर देना कि जिनसे किसानों का अनहित बड़े व्यापक रूप में होने वाला हो उचित नहीं है । रेवेन्यू विभाग के निम्न कर्मचारी घूसखोरी के लिये कितने बदनाम हैं यह सारे सदन के माननीय सदस्यों को ज्ञात है । इन शब्दों के साथ मैं माननीय राजस्व मंत्री से यह निवेदन करूंगा कि जब हमारी आशंका से सहमत हैं तो इस बात का मौका न दें कि जो थोड़ा बहुत हित इस विधेयक से किसानों का होने जा रहा है उसमें भी गड़बड़ी पड़ जाय ।

राजा वीरेन्द्रशाह—श्रीमन्, मैंने अपने मंत्री महोदय का उत्तर सुना तो वह कठिनाई की बात जो पहले उन्होंने अपने उत्तर में कही थी वही फिर दोहरा दी । मैं आप के जरिये सरकार को बतलाना चाहता हूं कि सरकार जब इस तरह से विधेयक में अधिकार ले लेती है तो अमल में यह आता है कि जो कम से कम अधिकार रक्खा जाता है वही अमल में आता है, यह नहीं होता जैसा कि मंत्री जी ने कहा कि हम कभी-कभी इस्तेमाल करेंगे । श्रीमन्, मैं आप के जरिये बतलाना चाहता हूं कि जहां सरकार ने यह अधिकार लिया पहला हुक्म यही निकलेगा कि तहसीलदार तक तो हमको अधिकार है ।, इसलिये पहले तहसीलदार साहबान ही काम करें । हम लोगों को जो भय है, बहुत से तहसीलदार बहुत योग्य हैं, उनकी योग्यता में कोई आशंका नहीं है लेकिन जिस तरह से इस विधेयक में यह रख दिया जायगा तो उसका यह मतलब होगा कि सरकार वहां तक तो जा ही सकती है । मैजिस्ट्रेट के लिये जो माननीय मंत्री ने यह कहा कि उसको फर्स्ट क्लास कर देंगे तो वह करना कठिन होगा क्योंकि प्रान्त में तहसीलदारों को फ़र्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट सरकार सोच समझ कर ही बनायेगी । मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि हर पार्टी का मेम्बर इस संशोधन से सहमत है । उसको भी अगर न माना जाय तो सिवा हठ के क्या कहा जा सकता है । हम श्रीमन् के जरिये यह कहेंगे कि माननीय मंत्री भी अपने पार्टी के सदस्यों को स्वतंत्र कर दें फिर वह देखें कि वह हमारे संशोधन के पक्ष में बोलते हैं या विपक्ष में । सोशलिस्ट भाई इस संशोधन से सहमत ही हैं । फिर कौन इसके विरोध में है सिवा माननीय

राजस्व मंत्री के। इन शब्दों के साथ मैं अपने संशोधन को फिर प्रेस करता हूं और राजस्व मंत्री से प्रार्थना करूंगा कि वह इस संशोधन को स्वीकार कर लें।

श्री चरण सिंह—जो शब्द मैंने पहले कहे थे उन ही शब्दों के साथ मैं विरोध करता हूं।

अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खण्ड ४ के उपखंड (१) की पंक्ति ५ के शब्द "कर सकती है जो पद में द्वितीय" के स्थान पर शब्द "करेगी जो पद में प्रथम" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

राजा वीरेन्द्रशाह—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से यह संशोधन उपस्थित करना चाहता हूं कि खंड ४ के उपखंड (२) के स्थान पर निम्नलिखित नया उपखंड (२) रख दिया जाय:

"(२) उक्त अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह ऐसी स्थानीय पब्लिक जांच, जिसकी सूचना पहिले से सम्बद्ध व्यक्तियों को दे दी जायगी, करने के बाद, १३५९ फ़सली के अधिकार अभिलेख में उक्त प्रचार के प्रत्येक व्यक्ति का नाम भूमि पर काबिज (occupant) के रूप में दर्ज कर दें किन्तु उक्त अधिकारी की इस कार्यवाही के विरुद्ध असन्तुष्ट व्यक्ति को उचित (Competant) न्यायालय में अपील करने का अधिकार होगा, चाहे किसी विधि में इसके विपरीत कोई बात हो।"

श्रीमन्, यह इतना बड़ा अधिकार उस अफ़सर को दिया जा रहा है कि जिसके बारे में अभी यहां पर जिकर हो चुका है। इसके साथ यह जरूरी है कि पब्लिक इन्क्वायरी होनी चाहिये और यह न हो कि जनता को मालूम भी न हुआ कि वह अफ़सर फलां दिन आयेगा। उस जगह के हर आदमी को मालूम होना चाहिये कि फलां जगह वह आयेगा ताकि सही तरीके से जांच हो सके। सब लोगों को यह मालूम होना चाहिये कि आज जांच होने वाली है। गांव सभा के हर एक आदमी को यह मालूम होना चाहिये कि फलां दिन जांच के लिये अफसर वहां आयेगा। तब सही ढंग से जांच हो सकेगी। मुझे यह भय है कि बहुत से लोग यह चाहेंगे जो काफ़ी प्रभाव रखते हैं वह ऐसा मौका निकालें कि वह अफ़सर वहां न आये और उनका काम ऐसे ही हो जाय। इस संशोधन का मतलब यही है कि जो अफ़सर वहां पर जाय तो जब वहां वह सरसरी जांच करे तो उसकी सूचना सब लोगों को होनी चाहिये। इसलिये मेरा यह प्रस्ताव है।

दूसरी बात यह है कि उस आदमी को अदालत में जाने का मौका मिलना चाहिये कि अगर उसको वह जांच सही मालूम न हो तो न्यायालय में फैसला करा सके जिससे उसको यह विश्वास हो जाय कि वह काम ठीक हुआ है। इन शब्दों के साथ मैं इस संशोधन को पेश करता हूं।

श्री चरण सिंह—मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं और उसका कारण यह है कि जो इस विधेयक का मन्शा है वह सरसरी कार्यवाही करने का है। मौके पर अफ़सर जायेगा और गांव के अन्दर वह नोटिस बांटेगा और जितनी जरूरत समझेगा वह तहकीकात भी करेगा तब वह जा कर इन्दराज करेगा। लेकिन इसके आगे जो आप चाहते हैं कि वह रेगुलर प्रोसीडिंग के रूप में कोर्ट में आये ऐसा हम चाहते नहीं हैं वर्ना शायद इस विधेयक को आना ही नहीं चाहिये था। अदालती कार्यवाही के लिये पहले से रास्ता खुला हुआ है। दूसरी बात जो आप ने लिखी है कि अपील का अधिकार न्यायालय में जाने का उनको मिलना चाहिये तो वह तो कांस्टीट्यूशन के अनुसार वह अधिकार रहता ही है। उसको कोई रोकता नहीं है। इस वजह से मैं इस संशोधन को स्वीकार नहीं कर सकता।

राजा वीरेन्द्रशाह—श्रीमन्, मैंने माननीय मंत्री जी का भाषण सुना। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि उन्होंने मेरे संशोधन को स्वीकार नहीं किया। मैं यह जानना चाहता हूं कि वह अफ़सर किसको सूचना देगा। अगर वह सही रूप से लोगों को सूचना

[राजा वीरेन्द्रशाह]

नहीं देगा तो फिर पब्लिक इन्क्वायरी नहीं हो सकेगी। जहां तक जुडिशियल कार्यवाही की बात है वह तो अदालत में जरूर जायेगा। लेकिन इससे कुछ झगड़ा कम हो सकता था और अगर आगे कोई कार्यवाही होती तो वह समझ बूझ कर हो सकती थी और ठीक हो सकती थी। अगर माननीय मंत्री जी मेरे संशोधन को नहीं मानते हैं तो न मानें लेकिन मैं यह समझता हूं कि मेरा प्रस्ताव अपनी जगह पर बिलकुल सही है और बहुत उचित है और उसको मान लेना चाहिये।

श्री चरण सिंह--जी नहीं, मुझे कुछ कहना नहीं है।

अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ४ के उपखंड (२) के स्थान पर निम्नलिखित नया उपखंड (२) रख दिया जाय :

"(२) उक्त अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह ऐसी स्थानीय पब्लिक जांच, जिसकी सूचना पहिले से सम्बद्ध व्यक्तियों को दे दी जायगी, करने के बाद १३५९ फ़सली के अधिकार अभिलेख में उक्त प्रचार के प्रत्येक व्यक्ति का नाम भूमि पर काबिज (occupant) के रूप में दर्ज कर दे किन्तु उक्त अधिकारी की इस कार्यवाही के विरुद्ध असन्तुष्ट व्यक्ति को उचित (Competent) न्यायालय में अपील करने का अधिकार होगा, चाहे किसी विधि में इसके विपरीत कोई बात हो।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री महावीर प्रसाद शुक्ल--मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड ४ के उपखंड (२) की प्रथम पंक्ति में शब्द "वह" के पश्चात और शब्द "ऐसी" के पूर्व निम्नलिखित शब्द समूह बढ़ा दिया जाय--

"स्वतः अथवा इस अधिनियम के प्रचलित होने के दिनांक से ६ मास के अन्तर्गत प्राप्त किसी व्यक्ति की प्रार्थना पर"

श्रीमन् इस खंड में इस बात की व्यवस्था की गयी है कि अधिकारी जा कर वहां जांच करें और भूमि जिसके उपभोग में पावे वह उसका नाम वहां पर लिख दे लेकिन इसमें यह नहीं बताया गया है कि यह कार्यवाही आरम्भ किस प्रकार होगी और इस कार्यवाही के लिये अवधि क्या होगी। जहां तक मैं समझता हूं सरकार का यह मन्शा रहा होगा कि इसकी व्यवस्था नियमों द्वारा सरकारी आदेश से कर दी जायगी। इसकी व्यवस्था अगर अधिनियम में ही कर दी जाय तो उत्तम होगा। इसलिये मैं अनुरोध करता हूं कि यह संशोधन स्वीकार किया जाय।

श्री चरण सिंह--अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा बेशक इसकी व्यवस्था नियमों में ही की जाती लेकिन अगर माननीय सदस्य चाहते हैं कि अधिनियम ही में इस चीज को साफ़ कर दिया जाय तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है और संशोधन मुझे स्वीकार है।

अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ४ के उपखंड (२) की प्रथम पंक्ति में शब्द "वह" के पश्चात् और शब्द "ऐसी" के पूर्व निम्नलिखित शब्द समूह बढ़ा दिया जाय :--

"स्वतः अथवा इस अधिनियम के प्रचलित होने के दिनांक से ६ मास के अन्तर्गत प्राप्त किसी व्यक्ति की प्रार्थना पर"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ४ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ५

५--धारा ४ के अधीन अधिकार-अभिलेख में किया गया इन्दराज सही समझा जायगा जब तक कि उसका विरोध करने वाला पक्ष (party) उसे ग़लत न प्रमाणित कर दे।

अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ५ विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ५-क

५-क--इस अधिनियम में कही गयी कोई बात ऐसी भूमि के संबंध में लागू नहीं होगी :

(क) जिसके विषय में,

(१) यू० पी० टेनेंसी ऐक्ट, १९३९ की धारा १८० या १८३ के अधीन कोई वाद या उक्त वाद में दी गयी डिक्री के विरुद्ध कोई अपील या अन्य व्यवहार ३० जून, १९५२ को किसी माल या दीवानी न्यायालय में विचाराधीन रहा हो, अथवा

(२) उक्त दिनांक को या उससे पहले दखल की डिक्री दी गयी हो, और वह अन्तिम हो चुकी हो, अथवा

(३) कोड आफ़ क्रिमिनल प्रोसीजर, १८९८ की धारा ५२२ के अधीन इस अधिनियम के प्रारम्भ से पहले दखल की वापसी की आज्ञा दी गयी हो ;

(ख) जो इस अधिनियम के प्रारम्भ के पहले, विवासित सम्पत्ति (evacuee property) के प्रशासन से सम्बद्ध में किसी विधि (law) के अधीन और अनुसार विवासित सम्पत्ति (evacuee property) प्रख्यापित हो या हो चुकी हो।

श्री रामसुन्दर पांडेय--माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा संशोधन यह है कि खंड ५ क के खंड १ व २ निकाल दिये जायं। ५-१ में में यह बताया गया है कि यू० पी० टेनेंसी ऐक्ट सन् ३९ की धारा १८० या १८३ के अधीन कोई वाद या उक्त वाद में दी गई डिक्री के विरुद्ध कोई अपील या अन्य व्यवहार ३० जून, १९५२ ई० को किसी माल या दीवानी न्यायालय में विचाराधीन रहा हो।" तो उसका असर नहीं पड़ेगा। अध्यक्ष महोदय प्रवर समिति में भी हमारी पार्टी की ओर से इसका बहुत तीव्र विरोध किया गया था। अध्यक्ष महोदय उत्तर में माननीय राजस्व मंत्री जी ने कहा था कि हमारे प्रदेश में हज़ारों आदमी ऐसे हैं जिनके मुक़द्दमें १८० और १८३ के अदालतों में हैं और वह मुल्तवी कर दिये गये हैं। अध्यक्ष महोदय जिस दिन माननीय राजस्व मंत्री जी ने प्रवर समिति में यह स्पष्टीकरण किया कि ४१ हज़ार मुक़द्दमें १८० और १८३ के हैं और मुल्तवी हैं तो अध्यक्ष महोदय इस बिल का उद्देश्य यह रहा कि जो लोग ग़रीब हैं, दरिद्र हैं, खेतों को जोतते हैं, लेकिन उनका पटवारी के काग़ज़ात में इंदराज नही है उनको इस बिल के ज़रिये से राहत मिलेगी। अध्यक्ष महोदय, जिस दफ़ा के अन्दर इतने अधिक मुक़द्दमें ४१ हज़ार से उपर मुकद्दमें अदालतों में चल रहे हों और जो माननीय राजस्व मंत्री जी के हुक्म से सब के सब मुल्तवी कर दिये गये हैं वे इस विधेयक के स्वीकार हो जाने के बाद सब के सब मुक़द्दमे उन्हीं अदालतों के द्वारा देखे जायेंगे और वह किसान जिसको कि माननीय माल मंत्री जी दरिद्र कहते हैं, उसको सही मानों में राहत मिल सकेगी, यह ताज्जुब की बात है। अध्यक्ष महोदय, अदालतों में जो खर्चा होता है, ग़रीब आदमी किस प्रकार अदालतों से सस्ता न्याय प्राप्त करता है, मैं समझता हूं कि सदन के सभी सदस्य इसको जानते हैं। मैं जानता हूं कि आज प्रदेश में किसानों की आर्थिक दशा क्या है। ऐसी अवस्था में उन ज़मींदारों ने जिन्होंने १८० के मुक़द्दमे अदालतों में दायर किये हैं और वैसे ही बड़े-बड़े काश्तकारों ने जिन्होंने १८० के मुक़द्दमे चला रखे हैं, उनके मुक़ाबले में अच्छे वकील और अच्छे अच्छे गवाह दरिद्र और ग़रीब किसान उपस्थित करके कैसे अपने पक्ष में फैसला लेगा। यह बहुत मुश्किल बात है।

[श्री रामसुन्दर पांडेय]

यह बड़ी दिक्कत की बात है । अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि केवल ४१ हजार जो मुक़द्दमे अदालतों में चालू हैं वही नहीं हैं, इससे भी ज्यादा मुक़द्दमे इस प्रदेश में इस प्रकार के हैं जो १८० और १८३ ही नहीं बल्कि दूसरे रूप में अदालतों में चालू हैं । उनमें से किसी को न्याय मिलने वाला नहीं है और इस बिल का जो उद्देश्य है वह निरर्थक सा हो जायगा और यही नहीं, अध्यक्ष महोदय, जितने भी मुक़द्दमें अदालतों में हैं उनके अतिरिक्त भी इस प्रदेश में ऐसे किसान हैं जो इस बिल के जरिये से नुक़सान उठायेंगे । इसलिये हमारे साथियों ने इसका पहिले भी विरोध किया था । सही मानों में जो बिल का उद्देश्य इस सदन में प्रस्तुत किया गया है, प्रवर समिति मे जाने के कारण वह बिलकुल ख़राब कर दिया गया है । और माननीय राजस्व मंत्री जी ने जो प्रवर समिति का संशोधन सदन के सामने उपस्थित किया है वह क्लेशदायक है कि इससे गरीब किसानों को राहत मिलेगी । अध्यक्ष महोदय मैं प्रवर समिति में मौजूद था और सरकारी कुर्सियों पर बैठे हुये बहुत से सम्मानित सदस्यों ने धारा १८० और १८३ का विरोध किया था ।

अध्यक्ष—प्रवर समिति के अन्तर्गत जो बातें हुई हैं वे इस भवन में नहीं आ सकतीं हैं ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—मैं समझता हूं कि बहुत से सम्मानित सदस्य उसके विरोधी हैं । परती जमीनें जिन किसानों ने तोड़ीं उन पर भी १८० का मुकदमा है । जिन किसानों ने परती जमीनें तोड़ करके हर तरीके से किसानों के जो कब्जा होने के तरीके हैं जो प्रमाण हैं उनको साबित किया, उन पर भी १८० के मुकदमें हैं । गलत इन्दराज करा कर १८० और १८३ के बहुत से मुकदमें प्रदेश में दायर हैं । तो मैं समझता हूं कि जो अधिनियम लागू हैं और जो संशोधन हमारे माननीय राजस्व मंत्री जी ने उपस्थित किया है उसको स्वीकार कर लिया गया तो करीब तीन चार लाख आदमी वैसे ही अभी प्रदेश में होते हैं जो भूमिहीन हैं और उनके खेत बेदखल हो जायेंगे । और अब सही माने में जो सस्ता न्याय गरीबों को दिलाने का मकसद रहा है वह भी खत्म हो जायगा ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं नहीं चाहता हूं कि माननीय राजस्व मंत्री जी को परेशानी और दिक्कत हो लेकिन मैं आपके द्वारा उनसे पूछना चाहता हूं कि जब उन्होंने इस रूप में यह विधेयक प्रस्तुत किया था उसके पहले क्या उन्होंने नहीं सोचा था कि इस तरह के संशोधन हमारे सरकारी सदस्यों की ओर से भी उपस्थित होंगे । मैं समझता हूं कि यदि माननीय राजस्व मंत्री जी को यह भेद मालूम हुआ रहता तो इस तरह के संशोधन वे विधेयक में ही लाये होते । लेकिन अध्यक्ष महोदय, प्रवर समिति में इसीलिये यह विधेयक लाया गया कि कुछ लोग जो सही माने में इस विधेयक के उद्देश्य और कारणों के विरोधी हैं वे लोग अपने संशोधन ला करके इस विधेयक का जो असली उद्देश्य है उसे खत्म करें और इसीलिये यह संशोधन लाया गया है और आज सदन के सामने विधेयक के रूप में प्रस्तुत किया गया है । वह सही माने में उसके उद्देश्य और कारणों को कलंकित कर रहा है ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय सम्मानित सदस्यों को और खास कर श्री शिव नारायण जी ऐसे सदस्य को संबोधित करना चाहता हूं जो उसी पंक्ति में बैठे हुए हैं और अपने साथियों के साथ बैठ कर अपने हाथों से ही अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारने की बात कर रहे हैं । आप ऐसे उद्बोधित और उत्तेजित माननीय सदस्य श्री शिव-नारायण जी चुपचाप बैठे हुये हैं । माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा यह चाहता हूं कि श्री शिव नारायण जी हमारे इस संशोधन को रखने के पहले ही इस पर संशोधन रखते जैसा कि हमारे साथी श्री महावीर प्रसाद शुक्ल ने संसोधन रक्खा और हमारे साथी माननीय श्री गेंदा सिंह जी ने उसका समर्थन किया । मैं समझता हूं कि माननीय शिव नारायण जी ऐसे आदमी जो अपने को गरीब बनते हैं, हरिजन हैं और यह विधेयक हरिजनों के स्वार्थ पर आघात पहुंचाने वाला है । तो मैं नहीं समझता हूं कि

शिवनारायण जी चुपचाप क्यों हैं । मैं अपने दिल में सोचता हूं तो इसी नतीजे पर पहुंचता हूं कि माननीय शिवनारायण जी कहना तो चाहते हैं लेकिन....

अध्यक्ष---माननीय शिवनारायण जी के लिये बहुत अधिक कह रहे हैं। एक ही व्यक्ति के ऊपर आपकी नजर है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय---अनुशासन का चाबुक है इसलिये सही बात की इच्छा रहते हुए भी बोलने की हिम्मत नहीं रखते।

अध्यक्ष---यह बात आप वापस लें। यह आपने एक व्यक्तिगत हमला किया है।

श्री रामसुन्दर पांडेय---मैं इसको वापस लेता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज हमने जो संशोधन आपके द्वारा सदन के सामने उपस्थित किया है इससे ४१ हजार ऐसे जो मुकदमें अदालतों में हैं और ४१ हजार परिवारों के ढाई लाख आदमी हैं जिनको इस ऐक्ट के जरिये से लाभ पहुंचने वाला है उनको सस्ता न्याय मिल सके और वह सुख की नींद ले सकें और सही मानों में इस संशोधन को स्वीकार करने से हमारें प्रदेश में गरीबों को लाभ पहुंचेगा।

अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मैं इस संशोधन को फिर रखता हूं।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)---आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक प्वाइंट आफ आर्डर आपकी इजाजत से पेश करना चाहता हूं। इस बिल का जो उद्देश्य है इस उद्देश्य में लिखा हुआ है, सरकार को इस आशय की बहुत सी शिकायतें मिली हैं कि भूमिधर और सीरदारों के खातों की भूमि में खेती करने के रूप में काबिज बहुत से व्यक्ति भूमि से जबर्दस्ती बेदखल किये जा चुके हैं या किये जा रहे हैं। सरकार को यह विश्वास करने के लिये उपयुक्त कारण हैं कि इन में बहुत से व्यक्तियों को खातेदारों ने अपनी भूमि पर कब्जा दिया था। उक्त व्यक्ति कृषकों की उस श्रेणी के हैं जो अत्यन्त निर्बल और दरिद्र हैं। इस विधेयक का यह उद्देश्य है कि उक्त भूमि पर उक्त व्यक्तियों के अधिकारों को सुरक्षित रखा जाय। तो इस विधेयक का उद्देश्य....

अध्यक्ष---प्वाइंट आफ आर्डर क्या है ?

श्री राजनारायण---प्वाइंट आफ आर्डर यह है कि ५(क) इस उद्देश्य के विरुद्ध जा रहा है । जो पहले बिल इस सदन के सम्मुख आया था उसमें सेलेक्ट कमेटी ने इसको बढ़ाया है। मैं समझता हूं कि इस पर विचार हो ही नहीं सकता क्योंकि जो उद्देश्य वर्णित है उस उद्देश्य के बाहर यह धारा जाती है।

अध्यक्ष---यह जो वैधानिक आपत्ति पेश की गई है कोई वैधानिक आपत्ति नहीं है क्योंकि उद्देश्य में जो चीज दी जाती है उसके अनुसार जितने कानून यहां आते हैं या उसके विषय में संशोधन आते हैं उसके उद्देश्य की पूर्ति होती है या नहीं इसका निर्णय यह भवन स्वयं करता है। इस भवन को अधिकार है कि अगर उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती है तो नामंजूर कर दे। इसमें कोई वैधानिक संकट नहीं पड़ता है। कानून बनाने का अधिकार पूर्ण रूप से इस सदन को है और वह अधिकार माननीय राजनारायण जी चाहते हैं कि छिन जाय और अध्यक्ष के हाथ में आ जाय और वह कह दें कि यह कानून मत पेश करों। ऐसे अधिकार को अवैध रूप से अपने ऊपर लेना, यूजर्प करना मेरे लिये उचित नहीं है।

मैं इस आपत्ति को अवैध करार देता हूं।

सदन की बैठक के कार्य काल में वृद्धि का प्रस्ताव

श्री रामनरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)---मैं प्रस्ताव करता हूं कि एक घंटे के लिये समय और बढ़ा दिया जाय ।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फ़ैज़ाबाद)---अभी अभ्यस्त अपराधी प्रतिबन्ध विधेयक की प्रवर समिति की बैठक है और उसमें कई आदमियों को जाना है। साथ ही साथ कोई ऐसी असाधारण परिस्थिति भी नहीं है। यह सेशन महीनो तक चलेगा और काम होता रहेगा। कोई आवश्यकता इस बात की भी नहीं है कि विधेयक आज ही खत्म हो जाय। कल भी कार्रवाई सदन की होगी, तब यह खत्म हो सकता है। इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं।

माल मंत्री (श्री चरणसिंह)---मैं समझता हूं कि एक घंटे भर नहीं तो आध ही घंटे बढ़ा दिया जाय और जहां तक लायक मित्रों का वास्ता है तो सदन ने और आपने काफी मौका दिया, वर्ना तो अमेंडमेंट एक भी नहीं आया था ७ दिन के बावजूद, और जितनी बहस हुई है वह जो कल संशोधन आये हैं उन्हीं पर हुई है। इसलिये इस बात का लिहाज रखा जाय कि ज्यादा वक्त इसमें न लगे। वर्ना तो कल ही दो घंटे में खत्म हो गया होता।

अध्यक्ष---तो आप घंटे भर के लिये कहते हैं।

श्री चरणसिंह---आध घंटे के लिये, और नहीं खत्म होगा तो फिर बढ़ा दिया जाय।

अध्यक्ष---बाद में फिर समय नहीं बढ़ाया जा सकेगा।

श्री चरणसिंह---आध घंटा ही रख दिया जाय।

अध्यक्ष---(श्री रामनरेश शुक्ल को संबोधित करते हुये) तो आप आध घंटे को स्वीकार करते हैं?

श्री रामनरेश शुक्ल---जी हां।

अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि समय आध घंटे के लिये बढ़ा दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश भूमि-व्यवस्था (अनुपूरक) विधेयक, १९५२ (क्रमागत)

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य (जिला मथुरा)---माननीय अध्यक्ष महोदय, आज जो मेरे मित्र ने इस संशोधन के संबंध में वक्तृता इस सदन में दी वह सचमुच एक बड़ी विचित्र वक्तृता है और मैं तो समझ नहीं पाया कि आखिर उनका मतलब इससे क्या है। माननीय राजनारायण जी ने कहा कि यह जो इसमें ५ (क) बढ़ाया गया था, ५(ख) का जो विरोध किया गया यह तो विधेयक के उद्देश्य और कारण के विपरीत है और मेरे मित्र ने जो कि दूसरी बातें कहीं वह भी एक प्रकार से सही हैं कि यह जो विधेयक है यह प्रारम्भ में तो इस प्रकार से बनाया गया था कि इसमें जितने ट्रेस्पासर्स या वह व्यक्ति जिन्होंने कि भूमि पर अवैधानिक रूप से, अनियमित रूप से अधिकार किया था उन सबको एक प्रकार से यह छूट दी गयी थी कि १३५९ में यदि उन्होंने अधिकार कर लिया तो वह बराबर उस पर अधिकार किये रहें। मैं ख्याल करता हूं कि मेरे दोनों ही मित्रों का यह विचार गलत है और इसके पीछे कुछ भ्रम अवश्य है: जहां तक कि मेरे मित्र राजनारायण जी की आपत्ति का संबंध है, वह तो स्पष्ट रूप से.....

अध्यक्ष--मैं इसके लिये तो अपना निर्णय दे चुका हूं। इसके ऊपर बहस नहीं हो सकती।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--सही है। जहां तक कि और बातें ट्रेस्पासर्स के संबंध में कही गयीं, यदि स्पष्ट रूप से इस सदन के सामने यह कहा जाय कि ट्रेस्पासर्स के विरुद्ध जितने मुकदमे हैं सब गलत हैं और अन्त तक जो उनमें निर्णय होंगे वह सब गलत और चूंकि वह ट्रेस्पासर्स है इसलिये उनको न निकाला जाय और यदि उन्होंने ट्रेस्पासर्स किया तो उसको एक निश्चित विधान के रूप में स्वीकार करें और उनको अधिकार दे दिया जाय, तो वह बात युक्तायुक्त या ऐसी थी कि जिसके संबंध में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया जाय कि एक विचारधारा है और उसको रखने का किसी को अधिकार है। किन्तु उसके विपरीत कहा यह गया कि जितने ट्रेस्पासर्स हैं उन सबके विरूद्ध जितने मुकदमे हैं वह सब गलत। मैं यह दृढ़ता के साथ इस सदन के सामने कहूंगा कि ऐसे केसेज तो हो सकते हैं, उनकी कल्पना भी की जा सकती है, जिनमें कि जमींदार साहबान ने गलत इन्दराज पटवारी से कराये और उनके आधार पर मुकदमा दायर किया और वह कहीं कहीं सफल भी हुये। ऐसी भी कल्पना की जा सकती है कि बहुत से लोग अपनी दरिद्रता के कारण मुकदमों की पैरवी नहीं कर सके और मुकदमे हार गये। यह भी कल्पना की जा सकती है कि कहीं कहीं पर गलत निर्णय हुआ किन्तु जहां यह संभावनायें हैं वहां यह भी तो प्रबल सम्भावना है कि बहुत से सही ट्रेस्पासर्स भी भूमि पर अनाधिकार रूप से आ गये और वे काफी समय तक काबिज रहे। तो यह ५ वीं धारा में जो सुधार प्रवर समिति ने किया उसका तात्पर्य तो केवल यह है कि १३५९ फसली में भी कुछ व्यक्तियों ने संभव है कि भूमि पर अधिकार किया हो, उनका भूमि पर अधिकार रहा हो। १३५९ फसली में भी हल बैल लेकर उन्होंने काश्त की हो लेकिन उनमें तीन प्रकार के व्यक्ति हो सकते हैं एक तो वे जिन्होंने सही अर्थों में किसान के रूप में काश्त की यानी उनको भूमिधर से सीरदार से अथवा जमींदार से यह आज्ञा प्राप्त हुई कि तुम भूमि पर जाकर अधिकार करो और किसान के रूप में वहां कार्य करो और पटवारी ने किन्हीं कारणों से उनका इंदराज नहीं किया। स्पष्ट है कि यह हमारा विधेयक ऐसे सारे व्यक्तियों को अधिकार देना चाहता है और उनके संबंध में सरसरी तौर पर जो अधिकारी जांच करेंगे वे जांच करके अन्त में इस निर्णय पर पहुंचेंगे कि ये अधिकारी हैं और उनका इन्दराज किया जायगा। दूसरी श्रेणी उन लोगों की है जिन्होंने अना-विकार रूप से वहां पर कब्जा किया भूमि पर और उनके विरुद्ध दूसरे लोगों ने दावा दायर किया। वे दावे आज तक चल रहे हैं या ३० जून सन् १९५२ के चल रहे हैं थे। उनमें वे भी हैं जिनका दावा चल नहीं रहा था किन्तु उनके संबंध में डिग्री हो गयी थी। संभव है कि उन डिग्रियों को एक्जिक्यूटि करा कर कुछ व्यक्तियों ने उन पर अपना अधिकार प्राप्त कर लिया हो। तीसरी श्रेणी उन लोगों की है जिन्होंने अनाधिकार रूप से ट्रेस्पास किया और उनके विरुद्ध अदालत फौजदारी में ४४७ धारा के अन्तर्गत कुछ दावे किये गये और अदालत फौजदारी से ४४७ में जो अपराधी थे उनको दंड दिया गया और दंड के पश्चात् ५२२ धारा के अन्तर्गत अधिकारी या अदालत ने जो कि उचित व्यक्ति थे उनको दोबारा डिग्री दे दी। इन तीनों श्रेणियों में से पहली श्रेणी उनकी है जो निश्चित रूप से भूमि के अधिकारी हैं लेकिन उनको निकाला गया है। उनके संबंध में तो दो रायें नहीं हैं परन्तु आज यह सारी वकालत यहां पर उन लोगों के संबंध में की जाती है जिन्होंने जबरन भूमि पर अधिकार कर लिया है। आप तो दूसरे व्यक्तियों के लिये गासिबाना अधिकार कहते हैं परन्तु जिन लोगों ने गासिब के रूप में भूमि पर अधिकार कर लिया है उनके संबंध में मैं इस सदन के सामने एक सीधा सा प्रश्न पूछना चाहता हूं। क्या आप यह चाहते हैं कि जिन्होंने गासिब के रूप में अधिकार किया वे भूमि पर बने रहें? यदि आप इस व्यवस्था को आगे के लिये कायम करते हैं तो आखिर इसका अन्त कहां होगा। १३५९ आप के सामने है। १३५९ में कुछ लोगों ने गासिब के रूप में अधिकार किया, यदि आप यह समझते हैं कि वे गासिब नहीं हैं बल्कि सारे के सारे ऐसे हैं जिनके लिये यह कह दिया जाय कि उन्होंने काश्त की

[श्री लक्ष्मीरमण आचार्य]

है, इस लिये उनको काश्तकार के रूप में स्वीकार कर लिया जाय, तो आखिर इस व्यवस्थाहीन न्याय का कहां अन्त होगा। १३५९,१३६०,१३६१,१३६३, या १३६५ में कहीं तो इसका अन्त होना चाहिये। अगर कोई भी व्यवस्था, कोई भी न्याय प्रणाली इस प्रकार के गासिब या इस प्रकार के ट्रेसपासर या इस प्रकार के अनाधिकार व्यक्ति के अधिकार को स्वीकार कर ले तो आखिर वह न्याय प्रणाली कैसी होगी। मेरे एक मित्र ने एक चित्र खींचने का प्रयास किया कि जितने ट्रेस्पासर्स हैं वे न्यायरूप से भूमि के अधिकारी हैं, मैं तो दृढ़ता से कहता हूं कि इस प्रकार की भावना मैं नहीं जानता कि कैसे स्वीकार की जाती है। मेरी दृष्टि में तो बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने निश्चितरूप से जो कि अधिकारी व्यक्ति हैं उनको निकाल कर बाहर कर दिया। मैं जानता हूं कि ग्रामों में लम्बे लम्बे गिरोहों ने जान बूझकर जो दुर्बल हैं उनको निकाल दिया। किन्हीं को १४५ करना पड़ी और किन्हीं को ४४७ में जाना पड़ा और किन्हीं को पंचायतों की खाक छानना पड़ी और कहीं कहीं तो उनमें से बहुत से असफल भी हुये। बहुत से ऐसे व्यक्ति तो मुझे मालूम हैं, मेरे मित्र ने जिनका जिक्र किया। श्री शिव नारायण जी का जिक्र किया। जितने गासिब हैं वह शायद हरिजन हैं लेकिन मैं कहता हूं कि गासिब नाम का कोई व्यक्ति हरिजन नहीं होता है बल्कि विपरीत होता है हरिजन तो गासिब के अधिकारों का शिकार होता है। मैं कहूंगा कि मेरे मित्र ने गलत तर्क रखा है। जैसा तर्क उन्होंने सामने रखा है उसी को न्याय के अनुसार स्वीकार कर लेने पर उस प्रकार के अधिकार कोई न्याय प्रणाली नहीं दे सकेगा, अगर देगी तो उसको न्याय प्रणाली नहीं कहा जा सकेगा। मैं इन शब्दों के साथ संशोधन का विरोध करता हूं।

माल मंत्री (श्री चरण सिंह)—माननीय अध्यक्ष महोदय, जो मेरे भाई श्री लक्ष्मीरमण जी ने कहा है मैं उससे सहमत हूं कि जान बूझकर किसी को ट्रेसपासर के अधिकार देना मुनासिब नहीं होगा और यह देश की शान्ति के लिये और समाज की व्यवस्था के लिये घातक होगा। इसलिये हमने जो जायदादों पर मुकदमे चल रहे हैं उनको इस कानून के जूरिसडिक्शन से निकाल दिया है। ऐसे मुकद्दमे जो १८० या १८३ के हैं। १८३ के मुकद्दमे तो काश्तकार दायर करते हैं यदि काश्तकार को जमींदार ने बेदखल कर दिया है या अपने किसी आदमी से बेदखल करा दिया है तब मुकद्दमे दायर होते हैं। ऐसे लोगों को आप अधिकार नहीं देना चाहते हैं जिन साहब ने यह संशोधन पेश किया है। फिर १८० के मुकद्दमे भी आधे से ज्यादा काश्तकार की तरफ से दायर किये गये हैं। उनमें भी काश्तकार के ही हित की बात है कि जिन्होंने कब्जा कर लिया है उनसे भूमि निकाली जाय।

अब बाकी मुकद्दमे जो जमींदारों ने दायर किये हैं तो एक तो सीर और खुदकाश्त के मुताल्लिक हैं और कुछ खुलासा जमीन के मुताल्लिक हैं यानी ऐसी जमीन जो खाली पड़ी हुई है या किसी काश्तकार से बेदखल होकर आई थी। ऐसी जमीनों पर जो मुकद्दमें चल रहे हैं वह जमींदारी अबालिशन के जो रूल्स तय किये हैं उनके रूल ५ के अनुसार तै हो जायेंगे। सिर्फ सीर के और खुदकाश्त के मुकद्दमे चलते रहेंगे। उनमें से ३-४ मुकद्दमे या शायद ८-१० या ९-१० ऐसे हैं जिनमें किसान ही मुद्दई हैं। अब थोड़े से मुकद्दमे रह गये हैं वह अदालत में पहुंच गये हैं तो अदालत के जूरिस्डिक्शन ने उनको आफ्ट करना मुनासिब नहीं होगा और जो दलील आचार्य जी ने दी हैं मैं इत्तफाक करता हूं इन अल्फाज के साथ मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, यह सिलेक्ट कमेटी से वापस होकर जो वृद्धि इस विधेयक में की गई है और जो हमारे मित्र रामसुन्दर पांडेय जी ने उसको निकाल देने की अपील की है, मैं उसके समर्थन के लिये खड़ा हुआ हूं। मैं आप के द्वारा राजस्व मंत्री जी से जरूर निवेदन करना चाहूंगा यद्यपि इससे पहले उन्होंने यह कह दिया है कि

विरोधी पक्ष की बातें उनके दिल का चुम्बन तो करती हैं मगर मस्तक को नहीं उठाती हैं। मैं आपके द्वारा जरूर अपील करूंगा कि जरा वह शान्ति चित्त से इस विधेयक में ५ (क) और (ख) के द्वारा जो वृद्धि की गयी है उसकी ओर देखें। वह एक लम्बी कहानी है और मैं समझता हूं कि वे बातें मस्तिष्क के लिये भी ग्राह्य होगी अगर मंत्री जी अपने मस्तिष्क को अभी तक बौद्धिक परतंत्रता की बेड़ी में जकड़े नहीं रखे हैं।

अध्यक्ष महोदय, ग़ासिब की बात कही गयी। ग़ासिब की बात कहने वाले मेरे मित्र यहां राजा वीरेन्द्रशाह उपस्थित नहीं हैं लेकिन अब ग़ासिब की कहानी छेड़ना मैं समझता हूं नामुनासिब होगा। इसलिये मैं उस पर नहीं जाना चाहता। १९३९ की धारा १८० में क्या है, उसकी ओर सरकार का ध्यान जरूर आकर्षित करना चाहता हूं और जिस रूल की चर्चा माननीय राजस्व मंत्री ने यहां की है उसकी ओर भी जरा आप के द्वारा माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित कर देना चाहता हूं।

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, बहुत देर से मैं इंतजार कर रहा था कि शायद यह धारा इस सदन में न आये, मगर आ ही गई। हमारे सम्मानित सदस्यगण यह देखें कि गवर्नमेंट पहले जो बातें कह चुकी है उनसे किस तरह से पीछे हट रही है और बराबर पीछे हटती चली जा रही है। बार-बार माननीय राजस्व मंत्री ने इस सदन में चर्चा करते हुये कहा और कल भी उन्होंने इसकी चर्चा की थी कि विरोधी दल जो अपना असहमति पत्र देता है.....

श्री चरण सिंह—मैं अपने माननीय मित्र से यह दरख्वास्त करूंगा कि वह आम बातों को न कह कर संशोधन पर आयें।

अध्यक्ष—मैं इसी को देख रहा हूं कि वह संशोधन पर आ जायं तो अच्छा हो।

श्री राजनारायण—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आप के जरिये फिर माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि वह जो वृद्धि की गई है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको पास कराने में बहुत जल्दी न करें। १९३९ के ऐक्ट में धारा १८० में क्या बात थी अगर माननीय सदस्यों के हाथों में उस रूल के ड्राफ्ट की कापी होती तो वह देखते कि उसमें गवर्नमेंट की मंशा क्या थी। उस ड्राफ्ट रूल में है—

"Suits, applications and proceedings including appeals, references and revisions under section 180 of the U. P. Tenancy Act, 1939 except in cases where (1) the plaintiff or applicant is a tenant, or (2) the land on the date immediately preceding the date of vesting is recorded as *sir*, khudkasht or grove of an intermediary".

[यू० पी० टेनेंसी ऐक्ट, १९३९ की धारा १८० के अधीन, उन दशाओं को छोड़ कर जब (१) वादी या प्रार्थी काश्तकार हो या (२) निहित होने के दिनांक से तत्काल पूर्वगामी दिनांक को भूमि मध्यवर्ती की सीर खुदकाश्त या बाग़ के रूप में अभिलिखित है, वाद, प्रार्थनापत्र और व्यवहार जिनमें पुनर्वाद, निर्देश और पुनरीक्षण भी सम्मिलित हैं।]

यह ड्राफ्ट रूल है और अब हम देखते हैं कि जो नया रूल फ्रेम हो कर आया है, जिसके लिये कि एक सिलेक्ट कमेटी बनी थी, सिलेक्ट कमेटी न कहिये बल्कि यह कहिये कि सरकार ने एक कमेटी बनाई थी उसमें वह कौन सा रूल पास हुआ, उस रूल में यह मंशा व्यक्त किया गया था कि १८० के वे केसेज जो किसानों की ओर से दायर किये हुये हैं वे स्टे नहीं होंगे, बल्कि वे केसेज स्टे होंगे जो जमींदारों के द्वारा किसानों के खिलाफ़ दायर किये हुये हैं, उन पर पाबन्दी लगेगी। शुरू शुरू में यह ड्राफ्ट की मंशा थी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जब ड्राफ्ट की यह मंशा आयी थी तो सूबे के प्रत्येक जिले में धड़ाधड़ मुकदमें बन्द होने लगे, तब ज़मींदारों ने दौड़धूप मचाई और सरकार को प्रभावित किया और सरकार इसमें संशोधन करने के लिये बाध्य हुई और वह संशोधित नियम इसमें इस प्रकार आया—

'Suits, applications and proceedings including appeals, references and revisions under section 180 of the U.P. Tenancy Act, 1939."

[श्री राजनारायण]

[यू० पी० टेनेंसी ऐक्ट, १९३९ की धारा १८० के अधीन वाद, प्रार्थना-पत्र और व्यवहार जिनमें पुनर्वाद, निर्देश और पुनरीक्षण भी सम्मिलित हैं।]

अब सरकार ने जो ड्राफ्ट में मंशा व्यक्त की थी कि ज़मींदारों द्वारा जिनको ट्रेसपासर करार देकर मुक़दमें दायर किये गये हैं वे मुक़दमे स्थगित कर दिये जायंगे, उसको उड़ा दिया जा रहा है। यह रूल जो हमारे सामने हैं इसमें इसकी चर्चा नहीं है और सरकार ने जो समिति बनायी थी उस समिति में विरोधी पक्ष की ओर से बहुत ही मजबूरी के साथ हम लोगों ने यह रखा था उसमें हमारे साथी श्री मुकुट बिहारी लाल जी और श्री गेंदा सिंह मौजूद थे। हम लोगों ने अच्छे तरीके से सरकार के सामने, अपना मत व्यक्त किया था। अगर सरकार.....

अध्यक्ष--अगर समिति में क्या हुआ उसका जिक्र आप यहां पर नहीं कर सकते।

श्री राजनारायण--वह समिति सरकार की ओर से बनायी गई थी उसकी रिपोर्ट यहां पर उपस्थित है। मैं उसको पढ़ना चाहता हूं। यह रिपोर्ट हर सदस्य को छाप कर बांटी गयी है। इसमें सर्वश्री राजनारायण, मुकुट बिहारी लाल और गेंदा सिंह ने सरकार से अपील की थी कि "जिस किसी खेतिहर का नाम कृषि वर्ष १३५६ के काग़ज़ में दर्ज हो वह ३० जून, सन् १९५२ की भी जमीन पर काबिज़ तस्लीम किया जाय और उसका नाम नियम १३ जी, के अन्दर बनाये जाने वाले काग़ज़ में दर्ज किया जाय, जब तक कि पटवारी के काग़ज़ के अलावा दूसरे लिखित प्रमाण से यह साबित न हो जाय कि उसने किसी दबाव के बग़ैर उस भूमि पर अपने हक़ को छोड़ दिया है। ज़मीदारी विनाश और भूमि सुधार अधिनियम की धारा १६ और २० में जिन खेतिहरों के हक़ों की रक्षा की व्यवस्था की गयी है उन सभी के हितों के संरक्षण के लिये इस प्रकार का नियम बनाना निहायत ज़रूरी है"

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय राजस्व मंत्री ने बराबर सदन में आश्वासन दिया कि अनुपूरक विधेयक आयेगा उसमें इस कमी को दूर कर दिया जायगा मगर मैं निहायत अदब के साथ उनसे अर्ज़ करना चाहता हूं कि जो आश्वासन दिलाया गया था आज उसको क्यों छोड़ा जा रहा है। यह जो वृद्धि की गयी है यह ५ पी० और ५ क, , यह बिलकुल ही उचित नहीं है। मैं आपके द्वारा सदन से अपील करता हूं कि वह इस धारा को देखें कि वह किस तरफ़ जा रही है। मैंने यह समझाया था कि जब यहां पर विधेयक उपस्थित था तो इसका नियम बताया था और कहा था कि जमींदारी उन्मूलन कानून में यह बहुत बड़ी ख़ामी थी और उसको इस विधेयक के ज़रिये से दूर किया जा सकता है। इसलिये मैंने इस बिल को सेलेक्ट कमेटी में भेजने का विरोध किया था। सेलेक्ट कमेटी में भेजने का प्रस्ताव राजा साहब ने किया था और फिर बाद में रामनरेश शुक्ल जी ने सेलेक्ट कमेटी में जाने का प्रस्ताव उपस्थित किया। मैं चाहता हूं कि आज यह सदन इस बात को समझ ले कि सेलेक्ट कमेटी में जो परिवर्तन इस बिल में किया गया है वह ज़मींदारों के हित में जाता है और किसी तरह से खेतिहर के हित में नहीं जाता है। इस बिल का जो उद्देश्य था वह खत्म किया जा रहा है। इसमें यह कहा गया था कि जो निर्बल हैं, खेतों से बेदखल किये जा रहे हैं उनकी रक्षा इस बिल के द्वारा होगी। मैं यह जानना चाहता हूं कि यह उनके हित की रक्षा हो रही है या उनका जो हक़ है उसको छीना जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, उस समिति के बाद जो परिवर्तन हो कर आया है.....

अध्यक्ष--माननीय सदस्य अपने विचारों को संशोधन तक ही सीमित रखें, जनरल बातें नहीं इसके अन्दर आनी चाहियें।

श्री राजनारायण--जो इसके अन्दर परिवर्तन किया गया है यू० पी० टेनेन्सी ऐक्ट, १९३९ के अन्तर्गत मैं उसी का ज़िकर यहां पर कर रहा हूं और वह बिलकुल इसी से सीमित है...

अध्यक्ष---माननीय सदस्य यह समझ लें कि जो बात वह कह रहे थे उसको ही वह स्पष्ट कर के बतला रहे हैं कि यह हुआ और वह हुआ मैं चाहता हूं कि आप स्पष्ट बतावें कि किस तरह से किसानों की रक्षा नहीं होती उनके लिये आप वाद करें तो उसके प्रेमिसेज़ तो ठीक होने चाहिये और नतीजा भी स्पष्ट करना चाहिये।

श्री राजनारायण---मैं उसी पर आ रहा हूं और माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं कि जो नियम सदन पास कर चुका है उस पर अगर ग़ौर किया जाय तो वह १८० से ही संबंधित है और रिपोर्ट आने के बाद सदन में जो रूल बने हैं और जो ड्राफ्ट में थे उस के बाद कुछ अंश जोड़ा गया है। लेकिन मैं अपने सम्मानित सदस्यों से जानना चाहता हूं कि वह क्या चाहते हैं कि जिनके नाम सन् ५६ में लिखे हुये थे और सन् ५७,५८ और ५९ में नहीं हैं क्योंकि अगर अधिनियम पढ़ा जाय तो उसमें लिखा हुआ है कि ५६ में है, अभिलिखित हो और वेस्टिंग डेट पर काबिज़ हो। हमने बार बार कहा है कि काबिज़ शब्द बिलकुल गोल है वह कैसे साबित करेगा कि मैं काबिज हूं। एक अफ़सर से सेकेन्ड क्लास मैजिस्ट्रेट की नियुक्ति होगी लेकिन उसके लिये यह गुंजायश नहीं रहने दी जा रही है कि यह सेकेन्ड क्लास मैजिस्ट्रेट जाय और देखे कि जो कोर्ट में मुक़द्दमे चल रहे हैं आया वह मुक़दमे जायज़ हैं या नाजायज़ हैं। मैं माननीय राजस्व मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि उन्होंने मुक़दमे स्टे ही क्यों कराये थे। इसका भी कोई कारण था कि सरकार के पास ऐसी सूचना थी कि जो जमीन के जोतने वाले हैं अगर बेदखली बन्द नहीं हुई तो उनके हाथ से जबरदस्ती जमीन ले ली जायगी चाहे वह कानून से ही निकालें। इसीलिये सरकार ने बेदखली बन्द की थी लेकिन अब वह मुक़दमे नियम ४-५ के अन्दर उनको अस्तित्व दिया गया और हमारी ओर से बार-बार कहा गया कि अधिनियम की धारा १६ और धारा २० के अन्दर किसानों को जो हक़ खेती के मिलते हैं उनकी सुरक्षा होनी चाहिये और हम समझते थे कि इस विधेयक के द्वारा वह हो सकता है बशर्ते कि सेलेक्ट कमेटी से आने के बाद वह वृद्धि इसमें न की गयी होती लेकिन अब सरकार यह कर रही है और आदरणीय अध्यक्ष महोदय मुझे याद है कि माननीय सुरेश प्रकाश सिंह ने इस पर सरकार को बधाई भी दी थी। यह वृद्धि कर के सरकार ने ट्रेसपासर पर एक अवधि लगाकर ही मान लिया है। मैंने पहले भी कहा था ट्रेस्पासर पासर की कहानी बहुत लम्बी है वह होते तो मैं उसको बतलाता कि ट्रेज़री बेंचेज़ के लोग ट्रेसपासर के बारे में क्या समझते हैं। जो क़ानून बन रहा है उसमें 'वेस्टेड इन्टरेस्ट' और जो सत्ताधारी क्लास है उसी के हित की हिफ़ाज़त की गयी है और उसी के लिये वह ट्रेसपासर का लम्बा किस्सा पेश करते हैं। मेरी राय में जिन्होंने तिकड़म से जबरदस्ती नाम दर्ज करा लिये हैं वह बड़े राबर हैं और डाकू हैं। जो टिलर आफ़ दि स्वायल हैं और जो अन्न पैदा करते हैं उनको उखाड़ने के लिये लम्बी चिट्ठी पेश की जाती है और सरकार मान भी लेती है। मैं आप के द्वारा अध्यक्ष महोदय माननीय राजस्व मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यह वृद्धि क्यों की गयी है क्यों वह यह चाहते हैं कि वह मुक़द्दमे जो कि आज अदालत में स्थगित हैं उनके बारे में भी अफ़सर जाकर मौक़े पर जांच पड़ताल न करे और उनके हक़ को सुरक्षित न करावें। कहने के लिये तो जब भी ट्रेज़री बेंचेज़ की तरफ़ से लोग खड़े होते हैं तभी क़ानूनी दिक़्क़त और बारीक़ी और व्यवहारिकता की दुहाई देते हैं। कहते हैं कि यह अव्यवहारिक है। किसानों के हित में जाने की बात तो अव्यवहारिक हो जाती है और जमींदारों के हित में जो बात होती है उसे सरकार व्यवहारिक कहती है। वह सरकार के लिये व्यवहारिक हो जाया करती है। मैं निवेदन करूंगा कि राजस्व मंत्री जी रामसुन्दर जी पांडेय के प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार करें और इस सदन को शब्दों के जाल में फंसाने की कोशिश न करें। वह कहते हैं कि हमने उनकी बुद्धि को अपील नहीं किया, उनके दिल को किया। मैं जानना चाहूंगा कि आख़िर बुद्धि को अपील करने का क्या तरीक़ा है। मैं यह कहूंगा कि जो इस विधेयक में प्रवर कमेटी में यह वृद्धि हुई है उसी रूप में यह पास हो कर जाता है तो इससे किसानों का कोई भला नहीं होकर केवल जमींदारों का ही भला होगा इसके इसी रूप में पास होने से उन लोगों का जिनकी संख्या राजस्व मंत्री जी ने ४३ लाख या कितनी बताई है, मैं सरकारी आंकड़ों पर विश्वास तो नहीं करता और न आंकड़ों

[श्री राजनारायण]

में जाना ही चाहता हूं परन्तु इतना कहूंगा कि यदि माननीय माल मंत्री जी को इस विधेयक का उद्देश्य पूरा करना है तो हमारे इस संशोधन को वह मान लें । बटवारे की बात कही गयी । उसके बारे में फिर बताऊंगा, इस समय उपयुक्त नहीं मालूम होता । इस संशोधन को मानने से ही हमारे उद्देश्य की पूर्ति होगी ।

अध्यक्ष—कल रामसुन्दर जी पांडेय अपना उत्तर देंगे । अब हम उठते हैं ।

(इसके बाद सदन ५ बजकर ३२ मिनट पर अगले दिन ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

लखनऊ,
१८ सितम्बर, १९५२ ।

कैलास चन्द्र भटनागर,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

विधान सभा सदस्य पुस्तिका

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या १२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३७५ पर)

शेष राजकीय कर की तालिका

क्रम सं०	शूगर मिलों का नाम	शेष राजकीय कर रु०	आ०	पा०
१	श्री जानकी शूगर मिल्स, दोईवाला	३,३२,५४९	७	०
२	गंगा शूगर कारपोरेशन लिमिटेड, देवबन्द	६,४०,११९	१५	६
३	रायबहादुर नरायन सिंह शूगर मिल्स लि०, लक्सर	४,०९,७२५	९	३
४	लार्ड कृष्ण शूगर मिल्स लिमिटेड, सहारनपुर	११,६१,९२२	११	९
५	सर शादी लाल शूगर मिल्स कम्पनी लि०, मंसूरपुर	१०,३५,७३५	११	९
६	अपर इंडिया शूगर मिल्स लि० खतौली	९,२९,०९२	८	०
७	अमृतसर शूगर मिल्स को० लि०, रोहानाकलां	१०,२०,१९६	३	९
८	अपर दोआब शूगर मिल्स लि०, शामली	११,१५,४१३	८	०
९	दीवान शूगर मिल्स, सखौती टांडा	४,७३,४६१	१२	०
१०	दौराला शूगर मि० वर्क्स, दौराला	६,३४,८४९	१४	०
११	जसवन्त शूगर मिल्स, मेरठ	६,६८,३३७	१२	६
१२	रामलक्ष्मण शूगर मिल्स, मोहीउद्दीनपुर	११,६९,९५६	१२	९
१३	बेगमाबाद शूगर मिल्स लि०, मोदीनगर	७,३३,३४३	१३	०
१४	सिम्भावली शूगर मिल्स लि०, मेरठ	७,८०,५३१	२	०
१५	मवाना शूगर फ़ैक्ट्री, मवाना	३,५९,८७६	८	०
१६	मन्नीबी शुगर मिल्स को० लि०, गोकुलनगर	४,५५,८९२	८	३
१७	एच० एस० शूगर फ़ैक्ट्री ऐंड आयल मिल्स, काशीपुर	४,१८,३३६	५	०
१८	नेवेली शूगर फ़ैक्ट्री, नैवेली	४,५३,६९८	२	३

विधान सभा

क्रम सं०	शूगर मिलों के नाम	शेष राजकीय कर		
		रु०	आ०	पा०
१९	कुन्दन शुगर फ़ैक्ट्री, अमरोहा	१०,३५,१०८	३	९
२०	अयोध्या शूगर मिल्स, बिलारी	९,०१,४३८	१०	०
२१	कैसर शूगर वर्क्स, बहेरी	७,५१,५१९	४	६
२२	एच० आर० शूगर फ़ैक्ट्री लि०, बरेली	४,७८,८२३	८	०
२३	एल० एच० शूगर फ़ैक्ट्री ऐंड आयल मिल्स, पीलीभीत	१६,२३,१८२	५	९
२४	धामपुर शूगर मिल्स लि०, धामपुर	१४,१९,३६८	११	३
२५	अपर गैंजेज शुगर मिल्स लि०, सिवहारा	१५,३५,२५९	५	९
२६	सेठ शिवप्रसाद बनारसीदास शूगर मिल्स, बिजनौर	८,२१,६९८	११	०
२७	रोजा शूगर वर्क्स, रोजा	४,४१,७६०	०	६
२८	राजा व बुलन्द शूगर को०, रामपुर	१५,८१,०६०	५	९
२९	बुढ़वल शूगर मिल्स को० लि०, बुढ़वल	४,०७,७०१	१	९
३०	रामचन्द्र एंड सन्स शुगर मिल्स, बाराबंकी	२,६८,३६४	१	०
३१	लक्ष्मी शूगर एंड आयल मिल्स लि०, हरदोई	३,८७,७६९	५	०
३२	कमलापति मोतीलाल शूगर मिल्स, मसोधा	३,६८,३३७	४	३
३३	सक्सेरिया शूगर फैक्ट्री लि०, विसवां	४,६०,५०७	५	३
३४	अवध शूगर मिल्स लि०, हरगांव	१५,५८,१५०	९	३
३५	लक्ष्मी जी शूगर मिल्स को० लि०, महोली	५,९९,२६७	३	३
३६	ऐरा शूगर फैक्ट्री, ऐरा	१,७३,१९०	१५	६
३७	हिन्दुस्तान शूगर मिल्स को० लि०, गोलागोकरन नाथ	११,४४,८६७	१२	०
३८	रत्ना शूगर मिल्स को० लि०, शाहगंज	३,३९,२६२	१	६
३९	नवाबगंज शूगर मिल्स को० लि०, नवाबगंज	३,१२,४१२	४	३

क्रम संख्या	शूगर मिलों का नाम	शेष राजकीय कर		
		रु०	आ०	प०
४०	लक्ष्मणदास मोहनलाल एंड सन्स शूगर मिल्स, जेरवल रोड़	१,७७,२०१	०	९
४१	श्री सीताराम शूगर को० लि०, बैतालपुर	१,५९,१४३	४	३
४२	देवरिया शूगर मिल्स लि०, देवरिया	२,०४,०४४	१३	६
४३	शंकर शूगर मिल्स लि०, कैप्टेनगंज	२,२६,३००	३	९
४४	विष्णुप्रताप शूगर वर्क्स लि०, खड्डा	२,०६,००२	३	६
४५	लक्ष्मीदेवी शूगर मिल्स, छितौनी	१,५७,१३४	५	०
४६	ईश्वरी खेतान शूगर मिल्स लि०, लक्ष्मीगंज	६,०६,३०६	६	०
४७	रामकोला शूगर मिल्स को० लि०, रामकोला	३,४०,७९३	१	६
४८	महेश्वरी खेतान शूगर मिल्स लि०, रामकोला	४,३३,२५७	८	०
४९	राजकृष्ण शूगर वर्क्स लि०, पडरौना	६२,२१३	६	३
५०	जगदीश शूगर मिल्स लि०, कठकुइयां	५,११,१९१	७	०
५१	दि युनाइटेड प्राविन्सेज शूगर को० लि०, सिवराही	७१,४१४	९	३
५२	सरैया शूगर फैक्ट्री, सरदारनगर	८,१४,९३९	०	०
५३	डायमंड शूगर मिल्स लि०, पिपराइच	२,२३,०८९	१५	०
५४	महावीर शूगर मिल्स लि०, सिसवा बाजार	७७,६६१	१५	०
५५	गणेश शूगर मिल्स लि०, फरेन्दा	१,५५,९३३	१०	०

अवध विधान सभा

नत्थी 'ख'

(देखिये अतारांकित प्रश्न १ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३८८ पर)

(क)

झांसी जिले में जिन राजनीतिक पीड़ितों अथवा उनके आश्रितों को मासिक पेन्शन दी गई है।

क्रम संख्या	नाम	मासिक पेन्शन			मंहगाई	
		रु०			रु०	आ०
१**	श्री कृष्ण गोपाल शर्मा	३०			१५	०
२	श्री नन्दकिशोर किलेदार	३०			१५	०
३	स्वर्गीय श्री गंगा धर अन्नाजी जोशी उनकी मृत्यु के	५०				
	पश्चात उनकी पत्नी श्रीमती रामाबाई जोशी	३०			१५	०
४	श्री खुदादाद खां	१०			५	०
५	श्रीमती बेनी बाई पत्नी स्वर्गीय श्री हरगोविन्द	२०			१०	०
६	श्री नन्द किशोर	२०			१०	०
७	स्वर्गीय श्रीमती जगरानीदेवी माता स्वर्गीय श्री चन्द्र शेखर आजाद	२५			१२	८
८	श्रीमती राधारानी माता स्वर्गीय श्री घासी राम व्यास	२५			१२	८
९	श्री मुख्तार अहमद	२०			१०	०
१०	श्री रामनाथ राव	२०			१०	०
११	श्री भगवानदास बन्देमातरम्	१५			७	८
१२	श्री घासी लाल	१२			६	०
१३	श्रीमती कस्तूरी देवी पत्नी स्वर्गीय श्री राम नाथ त्रिवेदी	१५			७	८
१४	श्री घनश्यामदास पांडेय	८			४	०

**श्री कृष्ण गोपाल शर्मा को मंहगाई बन्द कर दी गई थी। परन्तु १ जनवरी, १९५१ से आरम्भ कर दी गई।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्रम संख्या	नाम	मासिक पेंन्शन		मंहगाई
		रु०	रु०	आ०
१५	श्रीमती उमाबाई सेर	१५	७	८
१६	श्री मथुरा प्रसाद गांधी	१४	७	०
१७	श्रीमती सुशीलादेवी श्रीवास्तवा पत्नी स्वर्गीय श्री नाथूराम	१५	७	८
१८	श्रीमनीराम	२०	१०	०
१९	श्री बन्शीधर व्यास	१०	५	०
२०	श्री राम चरन सुनार	१६	८	०
२१	स्वर्गीय श्री दाल चन्द उर्फ दरेले हरिजन	१०	५	०
२२	श्रीमती वीरावली पत्नी स्वर्गीय श्री चौबा पंडा	१२	६	०
२३	श्री सखाराम गोपाल अभ्यकंर	२०	१०	०
२४	श्री हीरालाल स्वर्नकार	१४	७	०

(ख)

झांसी जिले में जिन राजनीतिक पीड़ितों को एक मुस्त रकम दी गई

क्रम संख्या	नाम	एक मुश्त रकम
		रु०
१	श्री हल्के सिंह परिहार	५००
२	श्री रुद्रनारायण सिंह	४००

विधान सभा उत्तर प्रदेश

(ग)

झांसी जिले में राजनीतिक पीड़ितों को सरकारी राशन के गल्ले की दूकानें दी गई हैं।

क्रम संख्या	नाम	क्रम संख्या	नाम
	१—श्रीमती रामाबाई जोशी		५—श्री खुदादाद खां
	२—श्री सेवक प्रसाद मंगल		६—श्री नन्द किशोर
	३—श्रीमती भगवती देवी पत्नी श्री राम दुलारे शर्मा		७—श्री रंजीत सिंह
	४—श्री एन० आर० कदम		८—सर्व श्री रामचन्द्र सीताराम
			९—श्रीमती जमुना बाई।

आर० बी० जैन की दूकान को बी क्लास का लोहा का कोटा दिया गया।

(घ)

झांसी जिले में जिन राजनीतिक पीड़ितों को मोटर के परमिट दिये गये

क्रम संख्या	परमिट अस्थायी	मोटर के मालिक का नाम और पता
१	३१४	१—श्री दुर्गा प्रसाद लोहिया
		२—,, नारायण दास
		३—,, नूर मुहम्मद
		४—,, कन्हैया लाल अग्रवाल मोठ, जिला झांसी।
		५—,, घनश्याम दास
२	३०५	१—श्री तुलसी दास गुप्ता
		२—,, देवी सिंह
		३—,, भूपत राव
		४—,, गया प्रसाद दीक्षित
		५—,, राम दयाल (समथर, झांसी)।
३	३१९	१—श्री बहादूर सिंह
		२—,, सिद्ध गोपाल तिवारी
		३—,, नाथू राम
		४—,, प्रभूदयाल
		५—,, उमराउ सिंह द्वारा तुलसी दास गुप्ता, मोटर स्टैन्ड, झांसी।

क्रम संख्या	परमिट अस्थाई	मोटर के मालिक का नाम और पता
४	३८१	१— श्री राम कृष्ण गुप्ता
		२— ,, नाथूराम
		३— ,, गनेश प्रसाद गुप्ता
		४— ,, खैराती
		५— ,, मुन्ना लाल मोठ, ज़िला झांसी ।
५	३१९	१— श्री राम दयाल
		२— ,, राम लाल
		३— ,, मदन सिंह
		४— ,, मंगल सिंह
		५— ,, भगवानदास द्वारा श्री तुलसीदास गुप्ता, मोटर स्टैंड, झांसी।
६	३१७	१— श्री मुरलीधर अग्रवाल
		२— ,, प्रेम चन्द्र
		३— ,, सीताराम
		४— ,, राम गोपाल
		५— ,, राम सरन दास खजान्ची बिल्डिंग, झांसी ।
७	३०१	१— श्री भगवान दास गुप्ता
		२— ,, सुन्दर लाल
		३— ,, नारायन सिंह
		४— ,, मंगली प्रसाद
		५— ,, प्रेम नारायन तिवारी समथर, झांसी ।
८	३६५	१— श्री मथुरा दास लटोरिया
		२— ,, काशी प्रसाद दुबे
		३— ,, बैजनाथ तिवारी
		४— ,, ठाकुर दास
		५— ,, विद्याधर ज़िला कांग्रेस कमेटी, झांसी ।
९	२७७	१— श्री स्वराज्य नन्द
		२— ,, भगवती स्वरूप
		३— ,, मन्नी राम
		४— ,, नन्द किशोर
		५— ,, भगवान दास गुरसराय, झांसी ।
१०	३१६	१— श्री हरदास शर्मा
		२— ,, खूब चन्द
		३— ,, प्यारे लाल
		४— ,, सूरव लाल
		५— ,, घनश्याम दास पिपरी ज़िला, झांसी ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्रम-संख्या	परमिट अस्थायी	मोटर के मालिक का नाम और पता
११	३३५	१—श्री जयदेव गुप्ता २—,, पन्नालाल पाहना ३—,, ब्रह्मा नन्द ४—,, राम गोपाल ५—,, प्रहलाद कोंच, जालौन ।
१२	३४६	१—श्री कामता प्रसाद सिंह २—,, श्रीमती पूर्णिमा देवी ३—,, सूरज देव सिंह ४—,, हर प्रसाद गुप्ता ५—,, राम शंकर गुप्ता, १९/१ सिविल लाइन, झांसी ।
१३	३२८	१—श्री राम सुमरिनलाल २—,, लाल सिंह ३—,, गया प्रसाद ४—,, कुन्दन लाल ५—,, राजेन्द्र सिंह मोटर स्टैन्ड, झांसी ।
१४	३०७	१—श्री भगवान दास २—,, प्रभूदयाल ३—,, रघुबीर सरन ४—,, एम० एम० कादिर ५—,, नारायन दास, जिला कांग्रेस कमेटी, झांसी ।
१५	३२२	१—श्री लक्ष्मी चन्द जैन २—,, बाबूलाल ३—,, किशन चन्द ४—,, मथुरा प्रसाद ५—,, हरी दास वर्मा सदर बाजार, झांसी ।
१६	२८५	१—श्री कृष्ण चन्द पंगोरिया २—,, सीताराम भगवत ३—,, राम रतन गोस्वामी ४—,, मुन्ना लाल ५—,, अयोध्या प्रसाद द्वारा श्री के० सी० पंगोरिया कुन्दन गेट, झांसी ।
१७	३१०	१— श्री कुन्दन लाल २— ,, गोरे लाल

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्रम संख्या	परमिट अस्थाई	मोटर के मालिक का नाम और पता
		३—— श्री प्यारेलाल ४—— ,, मंगल सिंह ५—— ,, भैरव प्रसाद द्वारा तुलसी दास गुप्ता, झांसी।
१८	२७६	१—— श्री शिवराज सिंह २—— ,, प्यारेलाल ३—— ,, कुन्दन लाल ४—— ,, जंगी सिंह ५—— ,, तेज सिंह, सैदपुर, झांसी।
१९	३६६	१—— श्री वी० डी० धुलीकर २—— ,, कुंजीलाल नाई ३—— ,, चिन्तामानी ४—— ,, हीरालाल ५—— ,, तीरथराज द्वारा जिला कांग्रेस आफ़िस, झांसी।
२०	२८६	१—— श्री ब्रिजनन्दन शर्मा २—— , शम्भूदयाल ३—— ,, मदनलाल ४—— ,, ग्यासी लाल ५—— ,, मरदान लाल ललितपुर, झांसी।
२१	३६७	१—— श्री राम सहाय शर्मा २—— ,, माधो प्रसाद पिछौरिया ३—— ,, ढूंढेराम ४—— ,, दयाराम ५—— ,, गोपीलाल द्वारा श्री रामसहाय शर्मा सिटी कांग्रेस कमेटी, झांसी।
२२	३०३	१—— श्री ब्रजनन्दन किलेदार २—— ,, नन्द किशोर ३—— ,, सुदामा प्रसाद ४—— ,, रामजी लाल ५—— ,, सन्तोष सिंह ललितपुर, झांसी।
२३	३६४	१—— श्री मंगल सिंह २—— ,, अमर सिंह ३—— ,, देवी सिंह ४—— ,, कृपा दयाल ५—— ,, रणधीर सिंह जिला कांग्रेस कमेटी, झांसी।
२४	२७८	१—— श्री चुनीलाल चौरसिया २—— ,, खानचन्द

विधान सभा

क्रम-संख्या	परमिट अस्थायी	मोटर के मालिक का नाम और पता
		३— श्री मन्टू लाल ४— ,, गोरे लाल ५— ,, हर प्रसाद, झांसी।
२५	३०२	१— श्री रामेश्वर प्रसाद शर्मा २— ,, प्यारेलाल ३— ,, कामता प्रसाद ४— ,, चूणामन प्रसाद ५— ,, लल्लूराम बाजपेयी द्वारा प्रेसीडेंट कांग्रेस कमेटी, झांसी।
२६	२९८	१— श्री भैरो प्रसाद २— ,, मथुरा प्रसाद ३— ,, कामता प्रसाद ४— ,, प्यारेलाल ५— ,, परमानन्द मौरानीपुर, झांसी।
२७	३२९	१— श्री सरनाम सिंह २— ,, देवराज वर्मा ३— ,, गोविन्द दास ४— ,, नाथूराम ५— ,, माधो प्रसाद मोटर स्टैण्ड, झांसी।

शिक्षा विभाग सम्बन्धी सूचना अभी प्राप्त नहीं हुई है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ग'

(देखिए पीछे पृष्ठ ३८९ पर)

असेम्बली की बैठक के पहले गुरुवार के लिये श्री गेंदासिंह द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या २४ के उत्तर के साथ जो तालिका १० जुलाई को विधान सभा के सम्मुख रक्खी गयी थी उसमें दिये हुये आंकड़े ठीक नहीं थे अब संशोधित आंकड़े तालिका में संलग्न है।

हुकुम सिंह,
उद्योग मंत्री।

दो आना कटौती की तालिका ३१ अगस्त, १९५२ तक

जिला	कटौती की रक़म			भुगतान की हुई रक़म			जमींदारी उन्मूलन कोष में जमा की हुई रकम			शेष			अधिक दी हुई रक़म		
	रु०	आ०	पा०	रु०	आ०	पा०	रु०	आ०	पा०	रु०	आ०	पा०	रु०	आ०	पा०
१—देवरिया	२३,५९,५७२	७	०	६,१५,०००	०	०	१९,६१,६६६	१४	१०	..	..		२,१७,०९४	७	१०
२—गोरखपुर	११,८९,६४७	१२	०	६,०३,३००	०	०	३३,१०,१४६	५	९	२,७६,२०१	६	३	..	..	..
३—बस्ती	५,७२,४८८	४	९	१,१५,०००	०	०	२,९१,३२०	२	३	१,६६,१६८	२	६	..	..	..
४—फैजाबाद	१,६३,०३१	८	०	१५,०००	०	०	९९,२७५	८	०	४८,७५६	०	०	..	..	..
५—आजमगढ़	४३,९५२	४	०	१०,०००	०	०	२३,०८५	५	०	१०,८६६	१५	०	..	..	..

उत्तर प्रदेश विधान सभा

जिला	कटौती की रकम			भुगतान की हुई रकम			जमींदारी उन्मूलन कोष में जमा की हुई रकम			शेष			अधिक दी हुई रकम		
	रु०	आ०	पा०	रु०	आ०	पा०	रु०	आ०	पा०	रु०	आ०	पा०	रु०	आ०	पा०
६—सुल्तानपुर	१२,५७१	१२	०	..			..			१२,५७१	१२	०	..		
७—गोंडा	६,२६,३९४	४	०	२,४३,०००	०	०	१,७१,९७२	१५	०	२,११,४२१	५	०	..		
८—बहराइच	२,१२,४१५	५	६	..			११,९१५	५	०	२,००,५००	०	६	..		
९—लखीमपुर	११,२७,०१५	१४	०	९,३५,०००	०	०	२,१४,०८३	१२	०	..			२२,०६७	१४	०
१०—सीतापुर	१०,७२,०४२	४	६	७,४०,०००	०	०	२,३२,३६०	११	९	९९,६८१	८	९	..		
११—बाराबंकी	५,५१,९१८	४	०	४,४२,०००	०	९	७१,६९६	१४	०	३८,२२१	५	३	..		
१२—लखनऊ	२०,६५७	२	३	१४,२३०	१०	३	९,२९४	४	०	..			२,८६७	१२	०
१३—कानपुर	६,२४९	१५	६	६,०००	०	०	१,५४३	६	६	..			१,२९३	७	०
१४—शाहजहांपुर	२,३२,८८१	८	३	९०,०००	०	०	४२,७१४	४	०	१,००,१६७	४	३	..		
१५—पीलीभीत	५,५५,६३४	४	०	१,७०,०००	०	०	२,७५,५३०	८	०	१,१०,१०३	१२	०	..		
१६—बलिया	१८,५४१	९	९	१,०००	०	०	..			१७,५४१	९	९	..		

उत्तर प्रदेश विधान सभा

१७—जौनपुर	१,४६,४१०	१०	०	७५,०००	०	०	२१,८४४	१०	०	४९,५६६	०	०	..				
१८—बनारस	७,१५०	४	०	..			..			७,१५०	४	०	..				
१९—एटा	१,६७,३५९	८	०	७५,०००	०	०	३९,६७६	२	०	५२,६८३	६	०	..				
२०—बदायूं	९४,५८०	८	०	६०,०००	०	०	६१,४१६	१	३	..			२६,८३५	९	३		
२१ —बरेली	५,७२,२७५	१०	६	२,७०,०००	०	०	२,४१,७५९	१४	९	६०,५१५	११	९	..				
२२—रामपुर	४,६८,१४०	५	०	४,६८,१४०	५	०	..			..			..				
२३—मुरादाबाद	७,७५,६६६	१०	९	१,५०,०००	०	०	४,३६,२०१	२	०	१,८९,४६५	८	९	..				
२४—बिजनौर	८,४३,३३७	०	३	२,४५,०००	०	०	३,९७,०३६	७	१	२,०१,३००	९	२	..				
२५—हरदोई	३,३७,५०७	७	०	३,३५,०००	०	०	२५,२४४	१३	३	..			२२,७३७	६	३		
२६—सहारनपुर	१५,०१,३४४	१२	०	६,४१,६१२	३	९	८,७७,०३६	१४	३	..			१७,३०४	६	०		
२७—मुजफ्फरनगर	२२,४५,६७७	९	३	४,५०,०००	०	०	१५,४९,७३८	१३	०	२,४५,९३८	१२	३	..				
२८—मेरठ	२१,१८,३४८	१४	९	८,१०,०००	४	३	१६,१२,७६२	३	६	..			३,०४,४१३	९	०		
२९—बुलंदशहर	३,७३६	०	०	३,०००	०	०	..			७३६	०	०	..				

उत्तर प्रदेश विधान सभा

जिला	कटौती की रकम			भुगतान की हुई रक़म			जमींदारी उन्मूलन कोष में जमा की हुई रक़म			शेष			अधिक दी हुई रक़म		
	रु०	आ०	पा०	रु०	आ०	पा०	रु०	आ०	पा०	रु०	आ०	पा०	रु०	आ०	पा०
३०—देहरदून	६७,३२७	५	०	६७,३२७	५	०	..			..				..	
३१—नैनीताल	१,२०,७१०	४	३	८५,०१९	६	९	१८,४७६	५	०	१७,२१४	८	६		..	
३२—फरुखाबाद	१४४	४	०	..			..			१४४	४	०		..	
योग ..	१,८२,३४,७३१	८	३	७७,३४,६३०	३	९	८९,९७,७९९	१०	२	२१,१६,९१६	१	८	६,१४,६१४	७	४

		रु०	आ०	पा०
शेष रक़म	..	२१,१६,९१६	१	८
अधिक दी गई रक़म	..	६,१४,६१४	७	४
		१५,०२,३०१	१०	४

(जो रक़म अभी देनी है।)

उत्तर प्रदेश विधान सभा